सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों का कार्य निष्पादन

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
आयुध फैक्ट्रियाँ
2013 की संख्या 24
(कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा)

विषय-सूची

क्रम संख्या/ पैरा संख्या	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	iii
2	कार्यकारी सारांश	iv
3	अध्याय I - प्रस्तावना	
1.1	आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियाँ	1
1.2	संगठनात्मक संरचना	1
1.3	उत्पाद प्रोफाइल एवं उत्पादन लागत	2
1.4	बजट अनुमान एवं वास्तविक आय/व्यय	3
4	अध्याय II - लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	
2.1	हमने यह लेखा परीक्षा क्यों किया?	4
2.2	लेखापरीक्षा की परिधि एवं प्रतिदर्श	4
2.3	लेखापरीक्षा का उद्देश्य	5
2.4	लेखापरीक्षा मानदंड	6
2.5	लेखापरीक्षा कार्यविधि	6
2.6	अभारोक्ति	7
5	अध्याय III - उत्पादन योजना	
3.1	सामान्य	8
3.2	लक्ष्य निर्धारण बैठक का आयोजन में विलंब	9
3.3	लक्ष्यों का निर्माण क्षमता के अनुरूप न होना	9
3.4	लक्ष्य की एकपक्षीय कटौती	11
3.5	लक्ष्य निर्धारण की अन्य मुख्य बाधायें	11
3.6	लेखा-परीक्षा निष्कर्ष	12
6	अध्याय IV - भंडार की अधिप्राप्ति	
4.1	सामान्य	13
4.2	भंडार का अधिक प्रावधान	14
4.3	निविदायें खोलने की प्रक्रिया की अवहेलना	16
4.4	खुली निविदा जांच के स्थान पर सीमित एवं एकल निविदा जांच द्वारा अधिप्राप्ति	17
4.5	आदेशों के प्रस्तुतीकरण में अधिक विलंब	19
4.6	पूर्व क्रय दर (एल.पी.आर.) से आठ प्रतिशत से उच्च दर पर भंडारों की अधिप्राप्ति	20
4.7	गठजोड़ निर्माण	21
4.8	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	23
7	अध्याय V - उत्पादन कार्य निष्पादन	
5.1	सामान्य	24
5.2	लक्ष्य के प्रति उत्पादन/निर्गमन में गिरावट	25
5.3	अवधि पश्चात उत्पादन/निर्गम	27

5.4	कार्यों का वाह्यस्त्रोतिकरण	29
5.5	सिविल व्यापार/निर्यात कार्यकलाप	35
5.6	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	35
8	अध्याय VI - संसाधनों का उपयोग	
6.1	सामान्य	37
6.2	श्रमशक्ति का उपयोग	37
6.3	मशीनरी का अल्प उपयोग	41
6.4	सामग्री नियंत्रण	44
6.5	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	47
9	अध्याय VII - गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन	
7.1	सामान्य	48
7.2	व्यापार से अधिप्राप्त इनपुट सामग्री की अपर्याप्त जांच	48
7.3	दोषयुक्त सामग्री की स्वीकार्यता	50
7.4	गुणवत्ता आश्वासन में मदों की आवती विफलता	52
7.5	गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण के दौरान अंतिम अस्वीकृति	54
7.6	परेषिती के स्तर पर अस्वीकृतियां	56
7.7	उपभोक्ता के परिवाद	57
7.8	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	58
10	अध्याय VIII - उत्पादों का मूल्य निर्धारण एवं लागत नियंत्रण	
8.1	सामान्य	59
8.2	उत्पादन लागत में उच्च उपरिव्यय एवं श्रम प्रभार	62
8.3	सर्वनिष्ठ मदों की उत्पादन लागत में व्यापक भिन्नता	63
8.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	66
11	अध्याय IX - आंतरिक नियंत्रण	
9.1	सामान्य	67
9.2	विनिर्माण संबंधी नियंत्रण विफलता	67
9.3	उच्चतम स्तर के प्रबंधन एवं मंत्रालय द्वारा अनुश्रवण	72
9.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	72
12	अध्याय X - निष्कर्ष	74
13	अनुलग्नक I	76
14	अनुलग्नक II	78
15	अनुलग्नक III	84
16	अनुलग्नक IV	85
17	अनुलग्नक V	88
18	अनुलग्नक VI	90
19	अनुलग्नक VII	94
20	परिशिष्ट -I - शब्द संक्षेप	95

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में, 2008-09 से 2010-11 के दौरान, जहां भी इस प्रतिवेदन में उल्लिखित है, 2011-12 की अवधि के अद्यतनीकरण के लिए आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों के महत्वपूर्ण कार्य-कलापों के कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्रादिक मदों (जी.एस. एवं सी.) तथा सामान्य भंडार के उत्पादन में आयुध फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता (ओ.एफ.बी.) एवं आयुध उपस्कर समूह मुख्यालय कानपुर (ओ.ई.एफ.एच.क्यू) के नियंत्रण के अंतर्गत आयुध उपस्कर समूह (ओ.ई.एफ.जी.) की पाँच (फैक्ट्रियाँ) संलग्न हैं। इन मदों की मुख्य प्राप्तकर्ता (लगभग 77 प्रतिशत) थल सेना है।

ओ.ई.एफ.जी. में संसाधनों के अल्प उपयोग, उत्पादन के कार्य-निष्पादन में कमी, भंडार एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति में दोष, अदक्ष उत्पादन नियोजन आदि के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था। 1999-2004 की अवधि के लिए इन फैक्ट्रियों का कार्य-निष्पादन, फरवरी-जून 2004 के दौरान पुनरीक्षित किया गया इसके परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2005 के प्रतिवेदन संख्या 06 के पैरा 8.2 में समाविष्ट किया गया है। उत्पादन योजना, क्षमता का उपयोग, थल सेना (उत्पादनों के मुख्य प्राप्तकर्ता) को सही समय पर विशिष्ट गुण्वत्ता के जी.एस. एवं सी. उत्पादन को निर्गमित करने तथा उत्पादन आदि के क्षेत्र को केन्द्र-बिन्दु बनाकर जनवरी-जुलाई 2011 के दौरान हमारे द्वारा नये सिरे से ओ.ई.एफ.जी. का कार्य-निष्पादन पुनरीक्षित किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए, जहां भी इस प्रतिवेदन में उल्लिखित है, अप्रैल 2013 के बाद में डाटा संग्रहित किया गया था।

वर्ष 2008-12 के दौरान इन फैक्ट्रियों की कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा, योजना से लेकर उसे कार्यान्वित करने तक की प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।

मूल निष्कर्ष

1. वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के निर्धारण में दोष/त्रुटि

लक्ष्य की वैभिन्यता एवं फैक्ट्रियों की क्षमता, वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के निर्धारण में विलंब तथा फैक्ट्रियों द्वारा एक पक्षीय स्तर पर लक्ष्य को न्यून करना जैसी कमियों के साथ विद्यमान थी जिसके परिणामस्वरूप सेना को मदों की आपूर्ति में चूक हुई।

(अध्याय -III)

2. अधिप्राप्ति मानकों का उल्लंघन

ओ.एफ.बी का सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक (एम एम पी एम) के पैराग्राफ 3.1.1, 3.7.7, 4.6.1 तथा अनुलग्नक- 47 में अधिप्राप्ति मानकों, प्रक्रिया आदि का वर्णन है। हमने देखा की 2008-11 के दौरान एम एम पी एम में विद्यमान इन प्रावधानों का उल्लंघन कर भंडार की अधिप्राप्ति के कारण ₹165.54 करोड़ की कीमत के भंडार का अतिप्रावधान हुआ। इसी प्रकार निर्धारित प्रावधान के विरूद्ध खुली निविदा जाँच (ओ.टी.ई.) के द्वारा निर्धारित एम एम पी एम में 20 प्रतिशत खरीद के प्रति, चार फैक्ट्रियों ने इनका उल्लंघन करते हुए ओ.टी.ई. के द्वारा केवल चार से दस प्रतिशत खरीद की। ओ.टी.ई. के स्थान पर सीमित निविदा जाँच (एल.टी.ई.) पर निर्भरता के कारण, 40 आपूर्ति आदेशों के माध्यम से 14 मदों की अधिप्राप्ति में ₹12.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पाया गया। इसके अतिरिक्त, ओ.एफ.बी. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए (अप्रैल 2007) ओ.एफ.बी. द्वारा निर्धारित अंतिम खरीद दर से आठ प्रतिशत अधिक दर की औचित्यपूर्ण सीमा का उल्लंधन करते हुए भी ₹94.33 करोड़ मूल्य के 107 आपूर्ति आदेश ओ.ई.एफ.जी. द्वारा प्रस्तुत किए गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि, फैक्ट्रियों द्वारा आदेशों को प्रस्तुत करने के पहले मूल्य की उपयुक्तता सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

जुलाई 2007 के ओ.एफ.बी के निर्देश के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के गठजोड़ को समाप्त करने में विफलता के कारण विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 102 आदेशों के द्वारा ₹33.91 करोड़ मूल्य के भंडार की अधिप्राप्ति एक समान दरों पर की गई।

एम.एम पी. एम. में दिये गये विशिष्ट समय-सीमा की तुलना में पांच फैक्ट्रियों द्वारा 2008-12 में दिए गये 11689 आदेशों में से, ₹430.63 करोड़ के 4117 आदेशों के प्रस्तुतीकरण में भारी विलंब (1441 दिनों तक) हुआ।

(अध्याय -IV)

3. मदों के उत्पादन तथा सेना को निर्गम में चूक

208 में से 116 मामलों में जी.एस. एवं सी. मदों के उत्पादन एवं सेना को निर्गम में, कमी की प्रतिशतता 21 से 100 प्रतिशत के मध्य रही। 2008-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष में विश्लेषित 52 मदों में से, 34 से 41 मदों के संबंध में, कमी का मूल्य ₹1147.13 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष में अवधि उपरांत उत्पादित व निर्गमित मदों का मूल्य ₹493.08 करोड़ रहा। कार्य को वाहय स्रोतों से कराने के बावजूद, जी.एस. एवं

सी. मदों के निर्गम, में स्थानिक चूक तथा कई मामलों में लक्ष्य के एक पक्षीय न्यूनीकरण से, सेना को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। ओई.ई.एफ.जी., अर्ध सैनिक बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल रहा, क्योंकि 2008-12 के दौरान जी.एस. एवं सी. मदों की उनकी आवश्यकता (₹1068.36 करोड़) का केवल 2.62 प्रतिशत से कम भाग ही पूरा कर सका।

(अध्याय -V)

4. संसाधनों का अल्प उपयोग

2008-12 में उपलब्ध मानक श्रम घंटो का पूर्ण उपयोग न होने पर भी, फैक्ट्री प्रबंधन ने औद्योगिक कर्मचारियों को ₹48.68 करोड़ समयोपरि भुगतान की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, 2011-12 में उजरती कार्य लाभ के रूप में, फैक्ट्रियों ने आई ई को ₹10.91 करोड़ की अतिरिक्त अदायगी की। मशीनों के एकल शिफ्ट उपयोग के कारण, क्षमता का अल्प उपयोग हुआ जो की 45 से 69 प्रतिशत के मध्य था।

(अध्याय -VI)

5. निम्न स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादों का आश्वासन

स्थापित मदों के संबंध में भी गुणवत्ता आश्वासन स्तर पर फैक्ट्रियों द्वारा अकुशल उत्पादन तथा अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण 'सुधार हेतु वापसी' (आर.एफ.आर.) के बढ़ोतरी का कारण बना। 2008-12 के दौरान 31 मदों के संबंध में, 266 में से 72 मामलों में, यह देखा गया कि आर.एफ.आर. की उच्च दर 20 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक थी। 2009-11 के दौरान दो फैक्ट्रियों में, ₹ 11.66 करोड़ के पांच मदों की अंतिम रूप से अस्वीकृति हुई। नियमित उपभोक्ता परिवादों के अतिरिक्त, हमने प्रयोक्ता के स्तर पर ₹ 10.42 करोड़ के अस्वीकृति के पाँच मामलों को पाया, जबकि वे सभी गुणवत्ता आश्वासन एजेन्सियों द्वारा निरीक्षण में स्वीकृत कर दी गई थी।

(अध्याय -VII)

6. मांगकर्ताओं को उत्पाद को जारी करने में आवर्ती हानि

मांगकर्ताओं को मदों के निर्गमन में 2008-12 के दौरान, ओ.एफ.बी. के अनुपयुक्त मूल्य निर्धारण प्रणाली और फैक्ट्रियों द्वारा अप्रभावी लागत नियंत्रण के कारण, चार फैक्ट्रियों में आवर्ती हानियाँ हुई। 2008-12 के दौरान, ओ.ई.एफ.जी. को, ₹226.09 करोड़ की शुद्ध हानि का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, अन्य फैक्ट्री की तुलना में, एक फैक्ट्री में, सामान्य मदों की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण, 16 मामलों में ₹105.47 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। ओ.ई.एफ.जी. का प्रति वर्ष केवल छः प्रतिशत का

उत्पादन अंश था, जबकि 2008-12 के दौरान आयुध फैक्ट्री संगठन का प्रत्यक्ष श्रम लागत, 16 से 18 प्रतिशत तक था।

अपने अतिशय मूल्य के कारण, ओ.ई.एफ.जी. अपने उत्पादनों के लिए संभाव्य विपणन क्षेत्र स्थापित नहीं कर पा रहा था।

(अध्याय -VIII)

7. अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

ओ.ई.एफ. एच. क्यू द्वारा फैक्ट्रियों में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के साथ-साथ अप्रभावी अनुश्रवण एवं दिशानिर्देश के कारण, समाप्त/अनुपस्थित अधिपत्र के श्रम प्रभारों को दर्ज करने में अनियमितता, अस्वीकृतियों/ रद्दी से व्युत्पन्न हानियों का अविनमियतीकरण एवं बिना सामग्री/ अधिक सामग्री के आहरण से निर्माण हुआ। ओ ई एफ जी के कार्यों पर उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा किया गया अनुश्रवण भी अपर्याप्त था।

(अध्याय -IX)

संस्तुतियाँ

- ***मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि, सेना और ओ.एफ.बी. निकटवर्ती समन्वय के साथ, ओ.ई.एफ.जी. की क्षमता और सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित करें। ओ.एफ.बी. को लक्ष्य निर्धारण बैठक के पूर्व ही, सेना के प्रत्येक मद के लिए अपनी उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए।***

- ***फैक्ट्रियों को अधिप्राप्ति के लिए, आवश्यक समय देने के लिए मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, सेना तथा ओ.एफ.बी. लक्ष्य निर्धारण बैठक का आयोजन सही समय पर करें ।***

- ***ओ.एफ.बी. को सुनिश्चित करना चाहिए, कि फैक्ट्रियाँ अधिक अधिप्राप्ति से बचने के लिए विश्वसनीय एवं विशुद्ध प्रावधान हेतु, भंडार की शुद्ध आवश्यकता के आकलन में, निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।***

- ***ई-अधिप्राप्ति प्रणाली को सभी फैक्ट्रियों में दक्षता से लागू करना चाहिए तथा सभी फैक्ट्रियों को सामंजस्यपूर्ण डॉटाबेस अनुरक्षित करना चाहिए।***

- *ओ एफ बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गठजोड़ीकरण से बचने के लिए जुलाई **2007** के ओ एफ बी के दिशानिर्देशों का अधिप्राप्ति एजेन्सियों को कड़े रूप से पालन करना चाहिये।*

- *यथार्थपरक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओ.ई.एफ.जी., विवेक पूर्ण उत्पादन और अधिप्राप्ति योजना को व्यवस्थापित करें।*

- *यह सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति विकसित किया जाना चाहिए कि, आयुध फैक्ट्रियों के लेखे में, क्रेडिट के साथ-साथ थल सेना के लेखे से डेविट तभी हो, जब परेषिती थल सेना द्वारा, उनके डिपो द्वारा भंडार स्वीकृत एवं परीक्षित हो जाय जिससे अवधि उपरांत निर्गमन का दोषपूर्ण लेखाकंन समाप्त हो सके।*

- *दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए, एक तकनीक को निर्मित कर और कार्यों के वाह्यस्त्रोतीकरण को कम करने के लिए समर्पित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर ओ.एफ.बी. को वाहय स्त्रोतो से कार्य की नीति को व्यवस्थित करना चाहिए।*

- *ओ.एफ.बी. को ओ. ई. एफ एच. क्यू में एक डाटाबेस तैयार करना चाहिये जो कार्यों के वाह्यस्त्रोतीकरण के लिए उचित तथा नवीनतम दरों के साथ हो और जिसे सभी फैक्ट्रियों द्वारा उपभोग किया जा सके।*

- *ओ.एफ.बी. को सुनिश्चित करना चाहिए कि, फैक्ट्रियाँ अपने उत्पादन क्रिया-कलापों का दक्षतापूर्ण नियोजन करे, कार्यभार आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी श्रमशक्ति को सही दिशा में विवेकपूर्ण तरीके से तैनात करें तथा कार्य के लिए समयोपरि भुगतान पर निर्भरता के पूर्व उपलब्ध एस.एम.एच. का पूर्ण रूप से उपयोग करें।*

- *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये की ओ.एफ.बी. निश्चित किये गये आउटपुट एस एम एच के ऊपर अतिरिक्त **25** प्रतिशत छोड़कर उजरती कार्य लाभ का भुगतान करने के लिये सही प्रणाली का पालन करे।*

- *क्षमता उपयोग तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ओ.एफ.बी. को फैक्ट्रियों में युगल शिफ्ट कार्य को कार्यरूप में लाने का प्रयास करना चाहिए।*

- *उचित पहचान के बाद सभी अधिक/अप्रचलित/अनुपयोगी/रद्दी को निस्तारित करने के लिए ओ.एफ.बी. को विभिन्न फैक्ट्रियों में सामग्री भंडारण की सामयिक पुनरीक्षा की प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।*

- *ओ.एफ.बी. को इस बात को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्रियाँ इनपुट सामग्रियों के निरीक्षण के लिए निर्धारित मानको को कर्मठता से परिपालित करें।*

- *ओ.एफ.बी. को फैक्ट्रियों के स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी द्वारा आवश्यक शत-प्रतिशत पूर्व-निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

- *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उत्पादनों पर कड़े रूप से मूल्य नियंत्रण को लागू करने के लिए विश्वसनीय मूल्य-डाटा जारी करना चाहिये।*

- *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि ओ.एफ.बी. तथा फैक्ट्रियाँ, सभी संबंधित क्रिया-कलापों के लेखांकन और अभिलेखीकरण तथा मुख्य रूप से नियोजन एवं उत्पादन जैसे क्षेत्रों में, अपने आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत करे।*

- *ओ.ई.एफ.जी. द्वारा एक विस्तृत एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए जिससे बिना सामग्री अथवा अधिक सामग्री के आहरण से निर्माण तथा श्रम प्रभारों को दर्ज करने में होने वाली अनियमितताओं से बचा जा सके।*

अध्याय I: भूमिका

1.1 आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियाँ

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) कोलकाता, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के अधीन, रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, जिसका प्रधान, चेयरमैन, ओ.एफ.बी. महा निदेशक आयुध फैक्टियाँ (डी.जी.ओ.एफ.) होता है। पाँच प्रचालन आधारित समूहों में वर्गीकृत आयुध फैक्ट्रियों की कुल संख्या 39 है, जिसमें से आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह (ओ.ई.एफ.जी.), सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु[1] सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादि (जी.एस.एण्ड सी.) के उत्पादन में संलग्न है। पाँच फैक्ट्रियाँ जैसे आयुध उपस्कर फैक्ट्री कानपुर (ओ.ई.एफ.सी.), आयुध पैराशूट फैक्ट्री कानपुर (ओ.पी.एफ.), आयुध वस्त्र फैक्ट्री शाहजहाँपुर (ओ.सी.एफ.एस.), आयुध वस्त्र फैक्ट्री अवाडी (ओ.सी.एफ.ए.) एवं आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर (ओ.ई.एफ.एच) को मिलाकर इस समूह का गठन हुआ है। ये फैक्ट्रियाँ, अर्द्ध सैनिक बलों, अन्य सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी माँग-कर्ताओं तथा सह-फैक्ट्रियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है।

वर्ष 2008-12 के दौरान सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादिक मदों का निर्गम प्रतिशत, थल सेना के लिए 77.36 प्रतिशत, वायु-सेना के लिए 13.85 प्रतिशत एवं नौ-सेना के लिए 1.71 प्रतिशत था। अर्द्ध सैनिक बलों के लिए निर्गम की मात्रा लगभग नगण्य 0.97 प्रतिशत थी, जबकि शेष निर्गम अन्य संस्थानों को किया गया।

1.2 संगठनात्मक संरचना

ओ.ई.एफ.जी. का प्रधान, अपर डी.जी.ओ.एफ. कानपुर है, जो कि ओ.एफ.बी. के अधीन कार्य करता है। एम.ओ.डी. एवं सेंवाओं के साथ नियमित वार्ता एवं समन्वय के अतिरिक्त, ओ.एफ.बी. एवं ओ.ई.एफ. मुख्यालय, ओ.ई.एफ.जी.के नीति निर्माण, उत्पादन, नियोजन, पर्यवेक्षण एवं कार्य कलापों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

फैक्ट्रियों के प्रधान वरिष्ठ महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (जी.एम.) होतें हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों के रोजमर्रा के कार्यो में, अपर महाप्रबंधक /संयुक्त महाप्रबंधक से सहयोग प्राप्त होता है ।

[1] थल-सेना, नौ सेना एवं वायु-सेना

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डी.जी.क्यू.ए.), जो कि ओ.एफ.बी. से स्वतंत्र संस्था है, वह सेवाओं के लिए निर्गमित होने वाले उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तरदायी है। डी.जी.क्यू.ए. अपने कर्तव्यों का निर्वहन, सी.क्यू.ए. कानपुर में अवस्थित दो गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालयों, जिसमें से एक वस्त्रादिक (टी.एंड सी.) से एवं दूसरा सामान्य भण्डारों (जी.एस.) से संबंधित होते हैं। सम्बन्धित गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालयों (सी.क्यू.ए.) के अधीन, प्रत्येक फैक्ट्री में वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन संस्थापनाएं (एस.क्यू.ए.ई.) तैनात है।

महानिदेशक, रक्षा लेखा, नई दिल्ली के अधीन, प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकाता (पी.सी.ए (एफ)) लागत लेखांकन, वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं वित्तीय परामर्श कार्य, प्रत्येक फैक्ट्रियों में संलग्न लेखा कार्यालयों के माध्यम से करते हैं।

1.3 उत्पाद प्रोफाइल एवं उत्पादन लागत

2008-12 की अवधि का, फैक्ट्री-वार उत्पाद प्रोफाइल, उत्पादन लागत, निर्गम मूल्य एवं लाभ/हानि का विवरण तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1: मुख्य उत्पाद, उत्पाद लागत एवं निर्गम मूल्य

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री (स्थापना वर्ष)	मुख्य उत्पाद	वर्ष	उत्पादन लागत	निर्गम मूल्य	लाभ (+)/ हानि(-)[2]
ओ.ई.एफ.सी. (1862) **कानपुर**	टेंट, बूट, मच्छरदानी, शयन बैग/किट, दस्ताने चिहाकंन फीते (ट्रेसिंग टेप) जलरोधी आच्छादन (वाटर प्रूफ कवर) चटाइयां, स्पेस आयल व वर्निंग हीटर, ग्राउन्ड शीट आदि	2008-09	265.70	264.71	2.17
		2009-10	256.34	228.92	(-)26.43
		2010-11	318.40	290.56	(-)26.00
		2011-12	288.00	243.19	(-)42.84
		योग	**1128.44**	**1027.38**	**(-)93.10**
ओ.सी.एफ.एस. (1914) **शाहजहांपुर**	शर्ट, ट्राउजर,जर्सी, कोट, सूट, कम्बल, टोपी ओवर आल, मोजे, मर्दाना पारका आदि	2008-09	156.64	143.03	(-)13.90
		2009-10	142.47	94.94	(-)46.93
		2010-11	237.32	199.41	(-)37.67
		2011-12	297.06	261.80	(-)22.22
		योग	**833.49**	**699.18**	**(-)120.72**
ओ.सी.एफ.ए. (1961) **अवडि**	ट्राउजर, जैकेट, शर्ट, पैराशूट, शर्टस, ओवरआल, कोट, टोपी आदि	2008-09	103.93	88.26	(-)14.21
		2009-10	115.18	107.26	(-)7.76
		2010-11	127.69	122.45	(-)5.15
		2011-12	165.07	157.27	(-)7.89
		योग	**511.87**	**475.24**	**(-)35.01**

[2] आयुध फैक्ट्रियों द्वारा संगणित लाभ/ हानि

फैक्ट्री (स्थापना वर्ष)	मुख्य उत्पाद	वर्ष	उत्पादन लागत	निर्गम मूल्य	लाभ (+)/ हानि(-)[2]
ओ.पी.एफ. (1941) कानपुर	पैराशूट, (आपूर्ति ड्राप/ब्रेक) शर्ट, ट्राउजर, मोजे, कोट, टेंट, पान्चो ग्लेशियर, पी.टी.ए. (एम) एन.बी.सी., सूट आदि ।	2008-09	99.90	101.08	1.16
		2009-10	115.84	118.54	2.76
		2010-11	118.29	114.24	(-)4.09
		2011-12	151.51	138.59	(-)13.11
		योग	**485.54**	**472.45**	**(-)13.28**
ओ.ई.एफ.एच (1985) हजरतपुर	ट्राउजर, जैकेट, बर्फीले जैकेट, टेंट, कोट, मच्छरदानी, बैग, किट, पैराशूट, मल्टीपल, इलेमेन्ट नेट असेम्बली (एम.ई.एन.ए.) आदि ।	2008-09	33.38	36.82	3.16
		2009-10	39.16	45.00	5.84
		2010-11	53.38	66.04	12.97
		2011-12	59.53	73.86	14.05
		योग	**185.45**	**221.72**	**36.02**
		महा योग	**3144.79**	**2895.97**	**(-)226.09**

(स्रोतः ओ.एफ.बी. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं ओ.एफ. संगठन के वार्षिक लेखे)

आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह को, वर्ष 2008-12 के दौरान ₹ 226.09 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से करनी पड़ी जिसे आगे के अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

1.4 बजट अनुमान एवं वास्तविक आय/व्यय

आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह का, वर्ष 2008-09 से 2011-12 का अनुमानित एवं वास्तविक व्यय तथा आय का विवरण तालिका-2 में प्रदर्शित है।

तालिका-2: ओ.ई.एफ.जी. का प्राक्कलित बजट एवं वास्तविक व्यय/आय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			आय			शुद्ध बजटीय समर्थन (वास्तविक) (₹)
	बजट प्राक्कलन (₹)	वास्तविक (₹)	भिन्नता (प्रतिशत)	बजट प्राक्कलन (₹)	वास्तविक (₹)	भिन्नता (प्रतिशत)	
1	2	3	*4*	5	6	*7*	8(3-6)
2008-09	498.15	670.54	*34.61*	466.86	648.38	*38.88*	22.16
2009-10	822.77	742.87	*-9.71*	716.61	604.23	*-15.68*	138.64
2010-11	816.29	832.53	*1.99*	777.57	809.53	*4.11*	23.00
2011-12	957.34	1016.73	*6.20*	812.80	887.90	*9.24*	128.83
योग	**3094.55**	**3262.67**		**2773.84**	**2950.04**		**312.63**

(स्रोतः ओ.एफ.बी. द्वारा प्रस्तुत बजट उपयोग का विवरण)

जैसा कि विदित है कि, व्यय, आय से अधिक हुआ तथा ओ.ई.एफ.जी. को भरपाई करने के लिए भारत की समेकित निधि की सहायता प्रति वर्ष लेनी पड़ी, जिसका 2008-12 तक कुल योग ₹312.63 करोड़ है।

[2] आयुध फैक्ट्रियों द्वारा संगणित लाभ/ हानि

अध्याय II: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 हमने यह लेखापरीक्षा क्यों किया?

'सेना में सामान्य भंडारों एवं वस्त्रादिक मदों की आपूर्ति प्रबंधन' के निष्पादन की पुनरीक्षा पूर्व में की गई थी, जिसके अन्तर्गत (2008 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. पी.ए. 4) आयुध फैक्ट्रियों के बजाय, व्यापारिक संगठनों को आपूर्ति आदेश देना, आयुध फैक्ट्रियों के सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादिक मदों (जी एस एण्ड सी) से प्रयोक्ताओं की असंतुष्टि, प्रयोक्ताओं की माँग की प्रतिपूर्ति न कर पाना, आपूर्ति व्यवस्था की कमियां आदि मुद्दे विशिष्ट रूप से सामने लाए गए थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[3] में अकुशल/उत्पादन नियोजन, भण्डार एवं मशीनों की खरीद में अनेक त्रुटियों, उत्पादकता में ह्रास तथा स्रोतो के अल्प उपयोग का भी उल्लेख किया गया है। 1999 से 2004 की अवधि के लिएं ओ.ई.एफ.जी. का कार्य-निष्पादन, फरवरी-जून 2004 के दौरान हमारे द्वारा पुनरीक्षित किया गया था एवं उसके परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2005 के प्रतिवेदन संख्या 6 के पैरा 8.2 में समाविष्ट किए गए थे। मंत्रालय/ओ.एफ.बी. द्वारा उपर्युक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का विवरण **अनुलग्नक-I** में अभिलिखित है। इसके बावजूद भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा।

हमने यह पाया कि 2008-12 के दौरान ओ.ई.एफ.जी. सेवाओं के जी.एस. एवं सी. मदों की कुल आवश्यकता के मात्र 56 प्रतिभाग भाग की पूर्ति कर पाया।

इन फैक्ट्रियों के निष्पादन की पुनरीक्षा, नए सिरे से, उत्पादन नियोजन, क्षमता का उपयोग, उत्पादन एवं सही उत्पादों का सही समय पर सेना को (उत्पादों का मुख्य प्राप्तकर्ता) निर्गम आदि पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई।

2.2 लेखापरीक्षा की परिधि एवं प्रतिदर्श

जनवरी से जुलाई 2011 के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में, ओ.ई.एफ.जी. के वर्ष 2008-09 से 2010-11, तक के निष्पादन का समावेश था। तत्पश्चात, (अप्रैल 2013) 2011-12 की अवधि के लिए इस प्रतिवेदन में कहीं भी अद्यतन किया गया।

[3] 2005 की प्रतिवेदन संख्या 6 का पैरा 8.2, 2007 की पी.ए. प्रतिवेदन संख्या 19 एवं 2008 का पी.ए. प्रतिवेदन संख्या 4

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष ओ.ई.एफ.जी., ओ.ई.एफ. मुख्यालय, केन्द्रीय आयुध डिपो (सी.ओ.डी.) कानपुर, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा एवं वस्त्रादि) कानपुर एवं महानिदेशक आयुध सेवाएं (डी.जी.ओ.एस.) नई दिल्ली के अभिलेखों की प्रतिदर्श जाँच के पश्चात प्राप्त किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा,में परीक्षण के लिए चयनित संख्या एवं प्रतिदर्श का विवरण तालिका-3 में अभिलिखित है।

तालिका-3: संख्या एवं प्रतिदर्श का विवरण

निर्गम		संख्या	नमूना	अभ्युक्तियाँ
नियोजन (उत्पादकता लक्ष्य का निर्धारण)	2008-09	81 मदें	56 मदें	प्रधान मदों (सेना) की ज्ञात क्षमता के आधार पर सीमित प्रतिदर्श का आकार।
	2009-10	76 मदें		
	2010-11	58 मदें		
	2011-12	61 मदें		
अधिप्राप्ति (पाँच फैक्ट्रियों द्वारा वर्ष 2008 से 2012 के दौरान भण्डार अधिप्राप्ति हेतु आदेशों का प्रस्तुतीकरण)		11689 संख्या	966 संख्या	मौद्रिक मूल्य के आधार पर स्तरित प्रतिदर्श (आदेश, जिनका मूल्य रू. 1 लाख से कम था, को प्रतिदर्श में शामिल नहीं किया गया)
उत्पादन (उत्पादकता एवं निर्गम में कमी)	2008-09	57 मदें	52 मदें	मात्र प्रधान मदें (सेना) चुनी गई। लक्ष्य निर्धारण के आधार पर, प्रतिदर्शों की कुछ मदें वर्ष दर वर्ष बदल गई।
	2009-10	58 मदें	52 मदें	
	2010-11	56 मदें	52 मदें	
	2011-12	61 मदें	52 मदें	
गुणवत्ता सुधार हेतु वापसी (आर.एफ.आर.)	2008-09	91 मदें	34 मदें	ओ.ई.एफ.सी. के संबंध में आर.एफ.आर. आकड़ों की अनुपलब्धता के कारण 2008-09 में संख्या एवं प्रतिदर्श का आकार कम था। 2011-12 के लिए केवल प्रधान मदों पर ही विचार किया गया।
	2009-10	187 मदें	143 मदें	
	2010-11	208 मदें	143 मदें	
	2011-12	77 मदें	60 मदें	

वर्ष 2008-09 के लिए ओ.ई.एफ.सी. के संबंध में मशीन घंटो के उपयोग एवं ' सुधार हेतु वापसी'(आर.एफ.आर.) मदों से संबंधित आकड़ों की अनुपलब्धता स्थिति के कारण कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा में, जैसा की हमारे द्वारा पूछे गये आवश्यक प्रारूप में, बाधा उत्पन्न हुई।

2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मूल लक्ष्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- उत्पादन कार्यक्रम, सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम एवं प्रभावी था;

- फैक्ट्रियों में उत्पादन आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित भण्डारों की अधिप्राप्ति कुशलता एवं मितव्ययता से की गई;
- फैक्ट्रियों ने अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया;
- गुणवत्ता एवं लागत नियंत्रण प्रणाली सक्षम एवं प्रभावी थी;
- उत्पादन लागत की भरपाई हेतु सक्षम मूल्यांकन पद्धति विद्यमान थी; एवं
- आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली प्रभावी थी।

2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्य का मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा मापदण्ड के अधोलिखित मुख्य स्रोत थे:

- रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तक, ओ.एफ.बी. का सामग्री प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक (2005) तथा सामान्य वित्तीय नियमावली (जी एफ आर);
- थलसेना एवं ओ.एफ.बी. के मध्य वार्षिक लक्ष्य निर्धारण बैठक के कार्यवृत्त;
- ओ.एफ.बी. एवं महाप्रबंधकों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी आदेश;
- फैक्ट्रियों के मासिक उत्पादन प्रतिवेदन;
- लागत अनुमान एवं मूल्यांकन सूत्र;
- कच्चे माल के उपयोग के मानक;
- डी.जी.क्यू.ए. द्वारा प्रूफ अस्वीकृति एवं फैक्ट्री में सामान्य अस्वीकृति के मानक;
- वाह्य स्रोतों से कार्य सम्बन्धी नीति;
- समयोपरि कार्य सम्बन्धी नीति/ निर्देश ; तथा
- ओ.एफ.बी. की मासिक बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त।

2.5 लेखापरीक्षा कार्यविधि

अगस्त 2011 में आयोजित, 'प्रारंभ-सम्मेलन' के दौरान लेखापरीक्षा के उद्धेश्यों एवं मापदण्डों के विषय में आयुध निर्माणी बोर्ड से चर्चा की गई। बाद में, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सिफारिशों को आयुध फैक्ट्री बोर्ड और मंत्रालय को अक्टूबर 2011 में प्रतिवेदित किया गया एवं ओ.एफ.बी. के साथ अप्रैल 2012 में आयोजित 'समापन सम्मेलन' में चर्चा की गई थी। ओ.एफ.बी./मंत्रालय द्वारा समापन सम्मेलन में दी गई प्रतिक्रिया तथा उनके द्वारा प्रकट किए गए विचारों पर, प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने

समय संज्ञान में लिया गया। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर मई 2012 के मंत्रालय के उत्तर पर भी विचार किया गया।

2.6 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा के दौरान, ओ.एफ.बी. के चेयरमैन, अपर महा निदेशक, आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह (ओ.ई.एफ.जी), वरिष्ठ महाप्रबन्धकों/महाप्रबन्धकों, तथा फैक्ट्रियों के लेखा अधिकारियों डी.जी.ओ.एस. नई दिल्ली, सी.ओ.डी. कानपुर एवं नियंत्रक गुणवत्ता आश्वासन कानपुर द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान सहयोग प्रदान किया गया।

इस प्रतिवेदन में प्रयुक्त **शब्द संक्षेपों** को इस प्रतिवेदन के *परिशिष्ट-I* के रूप में संलग्न है।

अध्याय III: उत्पादन नियोजन

लेखापरीक्षा उद्देश्य

सेवाओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उत्पादन नियोजन कुशल था अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतः

- *थलसेना द्वारा वार्षिक प्रावधानों की पुनरीक्षा;*
- *लक्ष्य निर्धारण बैठक का कार्यवृत्त; एवं*
- *उत्पादन लक्ष्य एवं फैक्ट्रियों की क्षमता।*

3.1 सामान्य

3.1.1 वार्षिक पुनरीक्षा के लिए स्थाई निर्देशों (एस.डी.पी.आर.) के अनुसार, डी.जी.ओ.एस., शीतकालीन वस्त्रों को छोड़कर, प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को 'उपलब्ध स्टॉक' एवं 'निर्गम के लिए शेष' के संबंध में, केंद्रीय आयुध डिपो से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जी.एस. एवं सी. मदों की भविष्य की आवश्यकता की जानकारी एवं अधिप्राप्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए मदों की केंद्रीय प्रावधान पुनरीक्षा (ए.पी.आर.) करता है। शीतकालीन वस्त्रों के लिए स्टॉक/निर्गमित होने वाले माल की गणना, 1 जुलाई को की जाती है। ए.पी.आर. को हर 30 नवंबर को पूर्ण करना होता है। ए.पी.आर. के आधार पर, निर्धारित मांगों को अपर डी.जी.ओ.एफ. को अग्रेषित करना होता है। उसके पश्चात, लक्ष्य निर्धारण हेतु, आकृति-वार विवरण सहित सभी मदों की सूची तथा प्रस्तावित लक्ष्य को अपर डी.जी.ओ.एफ. को सूचित किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान पारस्परिक सहमति से निश्चित लक्ष्य, सेवाओं को लक्षित समयबद्ध प्रदाय एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्रियों द्वारा, उत्पादन नियोजन एवं अधिप्राप्ति हेतु, आधार प्रदान करता है।

3.1.2 यद्यपि अनुमानित लक्ष्य निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी डी.जी.ओ.एस., फैक्ट्रियों को अग्रिम अधिप्राप्ति के नियोजन की सुविधा देने के लिए, अपर डी.जी.ओ.एस. को अनुमानित लक्ष्य के बारे में सूचित करता है। बाद में, ओ.एफ.बी के निर्देश पर, डी.जी.ओ.एस. ने (फरवरी 2011) वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए, समय पर सामग्री अधिप्राप्ति हेतु 'पंचवर्षीय संभावी अधिप्राप्ति योजना'[4] की शुरूआत की ।

[4] थल सेना, एक बार में ही, पाँच वर्षों के लिए ओ.एफ.बी. को अपने न्यूनतम एवं अनुमानित वार्षिक आवश्यकता को प्रदर्शित करती है।

हमने लक्ष्य निर्धारण बैठक आयोजित करने में विलम्ब, लक्ष्य का फैक्ट्रियों की क्षमता के अनुरूप न होना, अनुमानित एवं अन्तिम लक्ष्य के मध्य भारी अंतर, आदि, प्रणालीगत कमियाँ पायीं, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2 लक्ष्य निर्धारण बैठक के आयोजन में विलम्ब

एक सक्षम एवं प्रभावी उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था स्थापित करने हेतु, लक्ष्य निर्धारण बैठक का आयोजन समय रहते हो जाना चाहिए, जिससे फैक्ट्रियाँ उचित अधिप्राप्ति योजना बना सकें। फिर भी, लक्ष्य निर्धारण बैठक, वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए, फरवरी, मार्च,जुलाई एवं फरवरी में आयोजित की गई। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में डी.जी.ओ.एस. द्वारा अपर महानिदेशक आयुध फैक्ट्रियां को अधिप्राप्ति योजना हेतु अनुमानित लक्ष्य दिया जाता है। हमने यह देखा कि अनुमानित लक्ष्य एवं वास्तविक लक्ष्यों में (-)100 प्रतिशत से (+) 1067 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई 2012) मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 2012-13 के लिए लक्ष्य निर्धारण बैठक, पूर्व समय अर्थात जनवरी 2012 में की गई, और आगे कहा कि 'संभावी अधिप्राप्ति योजना' की शुरूआत ओ.ई.एफ.जी. के लिए फरवरी 2011 में की गई, किन्तु वास्तविक लक्ष्यों तथा संभावी अधिप्राप्ति योजना में दिखाए गए आकड़ों में काफी भिन्नता थी।

उत्तर से स्पष्ट होता है कि निश्चित लक्ष्यों के आधार पर, फैक्ट्रियों को समय पूर्व अधिप्राप्ति की सुविधा देने हेतु लक्ष्य निर्धारण पद्धति को और उन्नत करने की आवश्यकता थी। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि फरवरी 2011 में संभावी अधिप्राप्ति योजना की शुरूआत के उपरान्त भी, डी.जी.ओ.एस. द्वारा वर्ष 2012-13 तक भी ओ.ई.एफ. मुख्यालय (एच. क्यू) को अनुमानित लक्ष्य प्रेषित करने का अभ्यास जारी रखा गया।

3.3 लक्ष्यों का निर्माण क्षमता के अनुरूप न होना

यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण के पूर्व डी.जी.ओ.एस. द्वारा ओ.ई.एफ.जी. से, विभिन्न मदों के लिए फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता का सुनिश्चय करवाना चाहिए। ओ.एफ.बी. के सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक,2005 (एम एम पी एम), के पैराग्राफ 3.7.3 के अंतर्गत आवश्यक ओ.ई.एफ एच.क्यू को उत्पादन कार्यक्रम सेवाओं की मांगों, फैक्ट्रियों में उपलब्ध क्षमता तथा उत्पादन से संबंधित बाधाओं के संदर्भ में प्रतिपादित किए जाने की आवश्यकता है।

हमने यह पाया कि किन्तु फैक्ट्रियों द्वारा विभिन्न मदों की उत्पादन क्षमता के बारे में डी जी ओ एस को सूचित करने की कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। डी जी ओ एस ने सूचित किया कि (अप्रैल 2011) ओ.ई.एफ एच.क्यू सामान्यतया फैक्ट्री निर्मित मदों की क्षमता के बारे में जानकारी मांगने पर ही बताता है। विभिन्न उत्पादों की क्षमता के बारे में विश्वसनीय एवं नवीनतम जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, वर्ष 2008-12 के दौरान लक्ष्य निर्धारण क्षमता से कम या अधिक हो गया, जैसा की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.3.1 क्षमता से अधिक लक्ष्य

हमारे द्वारा वर्ष 2008-12 तक के लिए 56 मदों को नमूने रूप में लेकर अनुमानित/अंतिम लक्ष्य एवं मदवार क्षमता की नमूना जाँच की गई और यह पाया गया कि 7 से 16 मदों में 5 से 367 प्रतिशत तक, क्षमता से अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया, जैसा कि तालिका-4 में प्रदर्शित है।

तालिका-4: क्षमता से अधिक लक्ष्य निर्धारण

वर्ष	क्षमता से अधिक लक्ष्य (प्रतिशत)	
	मदों की संख्या	प्रतिशत की सीमाएं
2008-09	10	25 to 300
2009-10	9	13 to 250
2010-11	7	25 to 160
2011-12	16	5 to 367

हमने यह पाया कि क्षमता से अधिक लक्ष्य निर्धारण के उपर्युक्त 42 दृष्टान्तों में से फैक्ट्रियाँ 35 दृष्टान्तों में (26 मदें) लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहीं। सात मदों, (जैकेट एवं ट्राउजर) (युद्ध विभेदक एवं आई.सी.के.), ट्राउजर (पी.डब्ल्यू.पी.सी.ओ.जी.) मोजे (ऊनी हैवी खाकी) एवं टंकी का वस्त्र (6140 ली. बाडी) जो युद्धक योजना पूर्ण पैराशूट (मुख्य) एवं टेंट (2 मी.) के लिए वर्ष दर वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए गए।

3.3.2 क्षमता से कम लक्ष्य निर्धारण

हमने यह पाया कि वर्ष 2008-12 तक 56 दृष्टान्तों में जिसमें 33 मदें समाहित थी (59 प्रतिशत) के सम्बन्ध में उपलब्ध उत्पादन क्षमता से 1 से 50 प्रतिशत तक कम लक्ष्य निर्धारण किए गए जब कि 24 दृष्टान्तों में जिसमें 21 मदें (38 प्रतिशत) समाहित थी, के सम्बन्ध में उपलब्ध उत्पादन क्षमता से 51 से 79 प्रतिशत तक कम लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसा कि नीचे तालिका बद्ध है :

तालिका-5: क्षमता से 80 प्रतिशत कम लक्ष्य निर्धारण

वर्ष	क्षमता के अनुसार लक्ष्य का प्रतिशत मदों की संख्या			
	1 से 20%	21 से 50%	51 से 79%	योग
2008-09	5	17	4	26
2009-10	8	8	6	22
2010-11	2	9	9	20
2011-12	2	5	5	12

क्षमता से कम लक्ष्य निर्धारण एवं उपलब्ध क्षमता के कम उपयोग के बावजूद भी, ओ.एफ.बी. द्वारा डी.जी.ओ.एस. को लक्ष्य निर्धारण बैठक में क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारण हेतु निर्दिष्ट नहीं किया गया।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया (मई 2012) कि उत्पादकर्ता/उजरती कार्य लाभ एवं अनुपस्थिति ही क्षमता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक थे एवं वस्तुतः अनुपस्थिति मानक से अधिक थी। उन्होंने आगे कहा कि निर्माणी प्रबंधन द्वारा क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु अनुपस्थिति नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास किया गया। यह प्रत्युत्तर लेखा परीक्षा के लिए विशिष्ट नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा क्षमता से कम या अधिक लक्ष्य निर्धारण की त्रुटि विश्लेषित नहीं की जा सकी।

3.4 लक्ष्य की एकपक्षीय कटौती

हमने यह पाया कि ओ.ई.एफ. एच.क्यू (मुख्यालय) ने डी.जी.ओ.एस.की सहमति के बिना ही वर्ष के मध्य, लक्ष्य में एकतरफा कटौती कर दी, इसका कारण या तो क्षमता से अधिक लक्ष्य की स्वीकार्यता थी अथवा 21 मदों (2008-09), 19 मदों (2009-10), 3 मदों (2010-11) एवं 5 मदों (2011-12) के प्रकरण में इनपुट सामग्री का विलम्बित अवस्थापन एवं उत्पादन में कमी थी। वर्ष 2008-09 में 08 मदों एवं 2009-10 में 1 मद के लिए लक्ष्य घटाकर शून्य कर दिया गया। लक्ष्य की इस एकपक्षीय कटौती का प्रकरण ओ.एफ.बी. की बैठक में नहीं रखा गया।

3.5 लक्ष्य निर्धारण की अन्य मुख्य बाधाएं

अन्तिम लक्ष्य निर्धारण बैठक का विश्लेषण करने पर अनेक बाधाओं की जानकारी हुई, जैसे-सेना की औपचारिक मांग (आदेश) की कमी जिसमें पारस्परिक सहमति से लक्ष्य की कुछ मदें शामिल हों, आकृति के अनुसार बूट एवं वस्त्रादिक मदों के विवरण की

अनुपलब्धता, तथा सी.क्यू.ए. (टी एण्ड सी) एवं सी.क्यू.ए. (जी.एस) से पुनरीक्षित माँगों की विलम्बित प्राप्ति आदि। अन्ततः इन्हीं कारकों से इनपुट सामग्री की अधिप्राप्ति एवं अन्तिम उत्पादों के निर्माण में विलम्ब हुआ।

3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लक्ष्य निर्धारण क्रियाविधि पद्धतीय त्रुटियों से युक्त पाई गई जैसा डी.जी.ओ.एस. से सुनिश्चित आवश्यकताओं के सम्प्रेषण में असाधारण विलम्ब, डी.जी.ओ.एस. एवं ओ.ई.एफ. मुख्यालय के बीच तालमेल का अभाव फैक्ट्रियों की मदवार क्षमता के बारे में सूचना के प्रवाह में कमी तथा बिना की विश्वसनीयता के संभावी अधिप्राप्ति योजना, बहुसंख्यक लक्ष्य निर्धारण जैसे अनुमानित एवं अन्तिम लक्ष्य आदि।

संस्तुति 1

त्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि, सेना और ओ.एफ.बी. निकटवर्ती समन्वय के साथ, ओ.ई.एफ.जी. की क्षमता और सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित करें। ओ.एफ.बी. को लक्ष्य निर्धारण बैठक के पूर्व ही, सेना के प्रत्येक मद के लिए अपनी उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए।

संस्तुति 2

फैक्ट्रियों को अधिप्राप्ति के लिए, आवश्यक समय देने के लिए मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, सेना तथा ओ.एफ.बी. लक्ष्य निर्धारण बैठक का आयोजन सही समय पर करें ।

अध्याय IV: भंडार की अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

क्या फैक्ट्रियों ने उत्पादन आवश्यकता के अनुसार दक्षता एवं मितव्ययिता से आवश्यक भंडार की अधिप्राप्त की।

लेखापरीक्षा मानदंड का स्रोत

- *रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तक ;*
- *ओ.एफ.बी. की सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियम पुस्तक (2005); एवं*
- *सामान्य वित्तीय नियमावली।*

4.1 सामान्य

पारस्परिक सहमति से निश्चित उत्पादन लक्ष्य को अंतिम रूप देने के पश्चात, ओ.एफ.बी., प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ के पूर्व, संबंधित फैक्ट्रियों को निर्माण क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु उसे संप्रेषित करता है। उसके पश्चात प्रत्येक फैक्ट्री, लक्ष्य के आधार पर उत्पादन योजना तैयार करती है तथा उस वर्ष के लिए अंतिम उत्पादों के निर्माण हेतु आवश्यक इनपुट सामग्री की अधिप्राप्ति तथा प्रावधान प्रारंभ करती है।

आयुध फैक्ट्रियों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया एवं प्रथाओं की कमियों पर वर्ष 2007 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 में टिप्पणी की गई थी। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (दिसंबर 2008) में कहा कि ओ.एफ.बी. ने भंडार की आवश्यकता को अंतिम रूप देने में व्यवहारिक कठिनाईयों तथा अधिप्राप्ति की कमियों को समाप्त करने के लिए कई सुधारात्मक कार्रवाई की है जैसा कि **अनुलग्नक- I** में दर्शाया गया है।

तथापि, हमने देखा कि सामग्री नियोजन एवं अधिप्राप्ति, भंडार की आवश्यकता के आकलन, निविदा औपचारिकताओं इत्यादि के क्षेत्रों में प्रणालीगत कमियाँ अब भी विद्यमान हैं, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

4.1.1 तालिका 6 में 2008-12 के दौरान फैक्ट्री-वार प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों तथा हमारे द्वारा परीक्षित आदेशों के प्रतिदर्श को दर्शाया गया है।

तालिका-6: प्रस्तुत एवं परीक्षित आदेश

(मूल्य करोड़ ₹ में)

फैक्ट्री	प्रस्तुत आदेश		परीक्षित आदेश	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
ओ.ई.एफ.सी.	3572	591.05	299	255.94
ओ.सी.एफ.एस.	1987	392.67	163	176.54
ओ.पी.एफ.	3073	178.67	280	53.57
ओ.सी.एफ.ए.	1731	207.26	136	120.31
ओ.ई.एफ.एच.	1326	145.61	88	35.44
योग	**11689**	**1515.26**	**966**	**641.80**

** नोटः आदेश जो रू. एक लाख से कम राशि के थे, उन्हें प्रतिदर्श चयनित नहीं किया गया है।*

4.2 भंडार का अधिक प्रावधान

हमने सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक (2005) (एम एम पी एम) के पैराग्राफ 3.1.1 तथा 3.7.7 के अनुसार फैक्ट्रियों को अगले वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा सहित आगामी वर्ष के लिए अंतिम उत्पाद के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के आधार पर इनपुट सामग्रियों के लिए प्रावधान प्रक्रिया प्रारंभ करने की आवश्यकता है। उपलब्ध भंडार, प्राप्य सामग्री तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुये भंडारों की शुद्ध आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए।

हमने 2008-11 से संबंधित प्राक्कलन के संदर्भ के साथ भंडारों के प्रावधानों के 810 मामलों को परीक्षित किया तथा यह पाया कि 679 मामलों में, पाँच फैक्ट्रियों के सामग्री नियंत्रण कार्यालय (एम.सी.ओ.) ने, विद्यमान अधिप्राप्ति मानकों के विरूद्ध एक विशिष्ट वर्ष के लिए भंडार की शुद्ध आवश्यकता का आकलन, विगत वर्ष की आवश्यकता व 'विविध/अतिरिक्त आवश्यकता' के साथ-साथ वर्तमानकालिक वर्ष की मांग के आधार पर किया। इस प्रकार 'विविध/अतिरिक्त आवश्यकता' के योग से आवश्यकता के दोषपूर्ण आकलन को फैक्ट्रियों के लेखा कार्यालयों द्वारा भी पुनरीक्षित एवं स्वीकृत किया गया। निविदा क्रय समिति (टी.पी.सी.) ने भी अपनी अनुशंसाओं को आवश्यकता के दोषपूर्ण आकलन के उचित जाँच एवं सत्यापन के बिना ही अंतिम रूप दे दिया। इसके कारण वर्ष 2008-11 के दौरान ₹165.54 करोड़ के भंडार का अधिक प्रावधान हुआ जैसा कि तालिका-7 में दर्शाया गया है।

तालिका-7: भंडार के अधिक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री का नाम	मामलों की संख्या	अधिक प्रावधान का कारण	अधिक प्रावधान का कुल मूल्य
ओ.पी.एफ.	4	विगत वर्ष की आवश्यकता का समावेश	1.72
	1	आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त अधिप्राप्ति	0.51
ओ.ई.एफ.सी.	13	विगत वर्ष की आवश्यकता का समावेश	75.34
	478	2 प्रतिशत विविध आवश्यकता का समावेश	7.31
ओ.सी.एफ.एस.	40	4/10 प्रतिशत विविध आवश्यकता का समावेश	60.86
	3	विगत वर्ष की आवश्यकता का समावेश	8.10
ओ.सी.एफ.ए.	31	1 प्रतिशत विविध आवश्यकता का समावेश	0.78
	6	विगत वर्ष की आवश्यकता का समावेश	9.57
ओ.ई.एफ.एच.	103	0.75 से 2 प्रतिशत विविध आवश्यकता का यू.ए.आर.[5] के रूप समावेश	1.35
योग	**679**		**165.54**

मंत्रालय की प्रतिक्रिया तथा हमारी टिप्पणी तालिका-8 में दी गई है।

तालिका-8: मंत्रालय की प्रतिक्रिया एवं लेखापरीक्षा की टिप्पणी

मंत्रालय की प्रतिक्रिया	लेखापरीक्षा टिप्पणी
• कारखानों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विविध आवश्यकता का समावेश दीर्घकाल से तथा अनुमान अपरिहार्य अस्वीकृति (यू.ए.आर.) परीक्षण मात्रा इत्यादि के प्रति, प्रथा में था, तथापि इस प्रथा को 2010-11 से बंद कर दिया गया। ***(ओ. ई.एफ.सी. एवं ओ.सी.एफ.एस)***	• विशेष प्रावधान के लिए शुद्ध आवश्यकता की गणना हेतु विविध आवश्यकता का समावेश एम.एम.पी.एम. (2005) के प्रावधानों के विरूद्ध है। आगे, मंत्रालय का यह दावा कि 2010-11 से यह प्रथा बंद हो चुकी है, वास्तव में गलत है, क्योंकि ओ.सी.एफ.एस. एवं ओ.ई.एफ.सी. में,2010-11 के दौरान भी इसी प्रथा का पालन किया गया है। इसके अलावा, सामग्री अनुमान में ही अपरिहार्य अस्वीकृति (यू.ए.आर.) का प्रतिशत समाविष्ट था। अतः ओ.ई.एफ.सी. तथा ओ.सी.एफ.एस द्वारा अपरिहार्य अस्वीकृति (यू.ए.आर.) के लिए पुनः अधिक आवश्यकता का आकलन किए जाने का औचित्य नहीं था।
• विगत वर्ष की आवश्यकता को समाविष्ट किया गया किंतु विभिन्न आपूर्ति आदेशों से प्राप्तियों एवं विगत वर्ष की आवश्यकता के प्रति प्रस्तुत आदेशों के प्रति प्राप्त सामग्रियों को मात्रा से घटा कर वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया गया, अतः कोई अति प्रावधान नहीं हुआ । ***(ओ. ई.एफ.सी.)***	• विशेष प्रावधान के लिये शुद्ध आवश्यकता की गणना हेतु विगत वर्ष की आवश्यकता का समावेश भी एम.एम.पी.एम. (2005) के प्रावधानों के विरूद्ध है।

[5] अपरिहार्य अस्वीकृति

4.3 निविदा खोलने की प्रकिया की अवहेलना

4.3.1 स्थान गत तुलनात्मक विवरण का तैयार न किया जाना

सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियम पुस्तक (एम.एम.पी.एम) का पैराग्राफ 6.14 निर्धारित प्रारूप में प्राप्त निविदा को खोलने के उपरांत प्राप्त उद्धरणों का एक सारांश यथा 'स्थानगत तुलनात्मक विवरण' (एस सी एस) जो कि निविदा खोलने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तैयार करने की आवश्यकता के लिए अनुबद्ध होता है।

हमने पाया कि एम एम पी एम का उल्लंघन करते हुए 2008-11 के दौरान हमारे द्वारा परीक्षित 658 आपूर्ति आदेशों के संबंध में ओ.पी.एफ., ओ.ई.एफ.सी. तथा ओ.सी.एफ.एस. ने एस.सी.एस. तैयार नहीं किया था। इससे निविदाओं के मूल्याकंन एवं आपूर्तिकर्ताओं की छटनी में पारदर्शिता का अभाव प्रदर्शित होता है।

मंत्रालय/ओ.एफ.बी. ने (मई/अप्रैल 2012) में कहा कि ओ.पी.एफ. एवं ओ.सी.एफ.एस. में आन लाइन प्रणाली स्थापित होने के पश्चात एस.सी.एस. तैयार किया गया था किंतु ओ.ई.एफ.सी. में इसे लागू नहीं किया गया जो कि इलेक्ट्रानिक निविदा प्रक्रमण के प्रारंभ के साथ प्रणाली द्वारा स्वयं समाहित कर लिया जाएगा। तथापि उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 2008-11 के दौरान एस.सी.एस. क्यों नहीं तैयार किया गया।

4.3.2 फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पारदर्शिता का अभाव

एम.एम.पी.एम. के पैराग्राफ 6.12 अनुसार विशिष्ट तिथि व समय पर निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म के केवल प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही महाप्रबंधक द्वारा नामित एक क्रय अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी द्वारा निविदा खोली जानी चाहिए। रक्षा अधिप्राप्ति नियमपुस्तक (डी पी एम), 2005 के पैराग्राफ 4.7(एच) तथा सीवीसी के दिशानिर्देश (7 जनवरी 2003) में यह भी वर्णित है कि किसी विशिष्ट निविदा जांच में एक अभिकर्ता दो आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और न ही उनके एवज में उद्धरण प्रस्तुत कर सकता है और अगर इस प्रकार के उद्धरण प्राप्त होते हैं तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिये।

फिर भी, हमने पाया कि ओ.सी.एफ.एस. तथा ओ.ई.एफ.सी. ने फर्मों के नामों का विवरण अनुरक्षित नहीं किया और न ही प्रतिभागी फर्मों से प्रधिकार-पत्र प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त हमने यह पाया कि ओ.ई.एफ.सी. में एक ही व्यक्ति को कई मौकों पर

उसी टी.ई. के प्रति दो या अधिक फर्मों का प्रतिनिधित्व करते पाया गया, जो कि सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों के विरूद्ध है तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तक (डी.पी.एम) में दिया गया है कि किसी निविदा सूचना में एक अभिकर्ता दो आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व या उनकी ओर से उद्धरण प्रस्तुत नहीं कर सकता तथा यदि ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं तो अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने दावा किया कि ओ.सी.एफ.एस. ने फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति का अभिलेख अनुरक्षित किया तथा इलेक्ट्रानिक निविदाकरण के पश्चात इस पक्ष पर ओ.ई.एफ.सी. द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। मंत्रालय ने कहा कि ओ.ई.एफ.सी. प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकता था क्योंकि निविदा को खोलने में किसी व्यक्ति को प्रस्तुति के लिए नियुक्ति करना फर्म का प्राधिकार था। इसका उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा परीक्षित ओ.सी.एफ. एस. के संबंधित रजिस्टर्ड फर्मों की उपस्थिति एवं उनके हस्ताक्षर के विवरण का कोई उल्लेख नहीं था। आगे, एक ही, टी.ई. के प्रति दो या अधिक फर्मों द्वारा एक ही प्रतिनिधि की नियुक्ति की स्वीकार्यता के बारे में मंत्रालय का तर्क, सी.वी.सी. के निर्देश के विरूद्ध है।

4.4 खुली निविदा जाँच के स्थान पर सीमित एवं एकल निविदा जाँच द्वारा अधिप्राप्ति

एम.एम.पी.एम के पैरा 4.6.1 के अनुसार, वार्षिक आदेशित मात्रा के 80 प्रतिशत की अधिप्राप्ती स्थापित स्रोतों से सीमित निविदा जाँच (एल.टी.ई.) के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत भाग स्रोत विकास के लिए खुली निविदा जाँच (ओ.टी.ई.) के माध्यम से की जानी चाहिये।

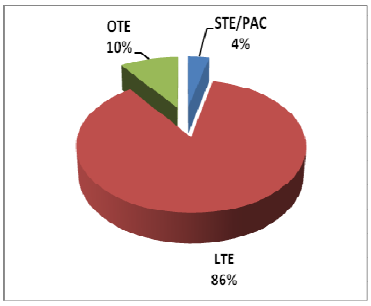

हमने 2008-12 के दौरान पाँच फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत 11689 आपूर्ति आदेशों का परीक्षण किया तथा पाया कि एम एम पी एम के विपरीत मात्र 4 से 10 प्रतिशत आदेश ओ.सी.एफ.एस. के स्थान पर, जिसने 20 प्रतिशत प्राप्त किया था, ओ.टी.ई. के माध्यम से निष्पादित किए गए जबकि 88 से 91 प्रतिशत आदेश एल.टी.ई. के प्रति ओ.पी.एफ.,ओ.ई.एफ.सी. एवं ओ.सी.एफ.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका-9: निविदा जांचों का विवरण

(संख्या में)

फैक्ट्री	आपूर्ति आदेश	अधिप्राप्ति का माध्यम		
		एस.टी.ई./पी.ए.सी.	एल.टी.ई.	ओ.टी.ई.
ओ.पी.एफ	3073	60 *(1.95%)*	2754 *(89.62%)*	259 *(8.43%)*
ओ.ई.एफ.सी.	3572	96 *(2.69%)*	3159 *(88.44%)*	317 *(8.87%)*
ओ.सी.एफ.एस	1987	70 *(3.52%)*	1527 *(76.85%)*	390 *(19.63%)*
ओ.ई.एफ.एच	1326	116 *(8.75%)*	1074 *(81.00%)*	136 *(10.25%)*
ओ.सी.एफ.ए.	1731	82 *(4.74%)*	1582 *(91.39%)*	67 *(3.87%)*
योग	**11689**	**424 *(3.63%)***	**10096 *(86.37%)***	**1169 *(10%)***

फैक्ट्रियों ने एल.टी.ई. के माध्यम से अधिप्राप्ति को प्रमुखता दी इसलिए ओ.टी.ई. की तुलना में 2008-11 के दौरान प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों के एक परीक्षण जांच ने यह दर्शाया कि परीक्षित 40 आपूर्ति आदेशों में समाहित 14 मदों की अधिप्राप्ति के लिए उन्हें ₹12.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। ओ.एफ.बी./मंत्रालय का फैक्ट्री-वार प्रत्युत्तर, तालिका-10 में प्रदर्शित है।

तालिका-10: फैक्ट्री-वार मंत्रालय/ओ.एफ.बी. की प्रतिक्रिया

फैक्ट्री	मंत्रालय/ओ.एफ.बी. की प्रतिक्रिया
ओ.पी.एफ	ओ.टी.ई.के माध्यम से अनजान विक्रेताओं से निविदा जाँच आमंत्रित करके, विशिष्ट सामग्रियों के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता।
ओ.ई.एफ.सी.	कम मूल्य के भंडार के लिए स्रोत विकास हेतु 20 प्रतिशत ओ.टी.ई. जारी नहीं किए गए, क्योंकि ओ.टी.ई. महंगा एवं अधिक समय लेने वाला होता है। 2010 के नयी अधिप्राप्ति नियम पुस्तक के अनुसार आवश्यक मात्रा के 50 प्रतिशत के लिए और स्रोत विकास हेतु ओ.टी.ई. प्रस्तुत किए जा रहें हैं।
ओ.सी.एफ.एस	मुख्य रूप से कम मात्रा एवं मूल्य की अप्रत्यक्ष मदों के लिए एल.टी.ई. जारी किए गए। एल.टी.ई. की तुलना में ओ.टी.ई. में कम दर का प्राप्त होना कोई स्थापित तथ्य नहीं था।
ओ.ई.एफ.एच	' ए' श्रेणी के मदों के लिए 80 प्रतिशत एल.टी.ई तथा 20 प्रतिशत ओ.टी.ई. जारी किए गए।
ओ.सी.एफ.ए.	ओ.एफ.बी. के एम.एम.पी.एम. 2005 के अनुसार दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया।

इसके अतिरिक्त, अगर बाधायें थीं जैसा की ओ.टी.ई. द्वारा निविदाकरण में दर्शाया गया है, तो इसपर ध्यान देना चाहिये था। तथ्य यहि रहता है कि एम.एम.पी.एम. में निर्धारित 80: 20 के अनुपात के विपरीत 88 से 91 प्रतिशत अधिप्राप्ति ओ.पी.एफ.,

ओ.ई.एफ.सी. एवं ओ.सी.एफ.ए. के द्वारा एल.टी.ई. के माध्यम से की गई, जो कि अधिप्राप्ति में लागत के जोखिम प्रभावत्मक एवं पारदर्शिता के अभाव से युक्त था।

4.5 आदेशों के प्रस्तुतीकरण में अधिक विलंब

एम.एम.पी.एम. के अनुलग्नक- 47 अनुसार महाप्रबंधकों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले मामलों में, 'भंडार पालक अनुपलब्धता शीट (एस.एच.आई.एस.) [6] तैयार करने से लेकर चयनित फर्मों को आदेश प्रस्तुत करने तक अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए एल.टी.ई. के मामले में 15 सप्ताह (105 दिन) तथा ओ.टी.ई. के मामले में 19 सप्ताह (133 दिन) की अवधि प्रदान की गई है।

हमने देखा कि 2008-12 के दौरान प्रस्तुत कुल आपूर्ति आदेशों का 35 प्रतिशत, निर्धारित अवधि से एम एम पी एम में अधिक समय बाद प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण तालिका-11 में दिया गया है:-

तालिका-11: आपूर्ति आदेशों के प्रस्तुतीकरण में लगे समय का विवरण

(मूल्य करोड़ ₹)

फैक्ट्री	कुल आपूर्ति आदेश		विलम्ब से प्रस्तुत आदेश		लिया गया समय (दिनों में)
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	
ओ.पी.एफ.	3073	178.67	1107	66.41	134 to 1441
ओ.ई.एफ.सी.	3572	591.05	1230	130.60	134 to 890
ओ.सी.एफ.एस	1987	392.67	761	131.01	135 to 1428
ओ.सी.एफ.ए.	1731	207.26	536	52.32	134 to 1049
ओ.ई.एफ.एच	1326	145.61	483	50.29	134 to 1053
योग	**11689**	**1515.26**	**4117**	**430.63**	

इसके कारण उत्पादन योजना के अनुसार इनपुट सामग्री का स्थापन नहीं हुआ, जो अंततः उत्पादन तथा सेवाओं को उनके निर्गम में कमी/विलंब का कारण बना जैसा कि आगे के अध्याय-V में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने, ओ.ई.एफ.एच. के संबंध में ₹10 लाख से अधिक के मामलों को, ओ.ई.एफ. एच.क्यू (मुख्यालय) के नामित सदस्य / वित्त की स्वीकृति, टी.पी.सी. सदस्यों की अनुपलब्धता, टी.ई.सी. एवं टी.पी.सी. बैठकों का अलग-अलग आयोजन, मूल्य के मोल-भाव अथवा नए विक्रेताओं की क्षमता के सत्यापन को, आदेशों के

[6] एस.एच.आई. एस. में कुल आवश्यकता, उपलब्ध स्टाक एवं देयता, शुद्ध आवश्यकता *आदि* का विवरण दिया होता है।

विलंबित प्रस्तुतीकरण का कारण बताया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया की सभी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए आंतरिक समयावधि को निश्चित किया गया है। अतः उपयुक्त नियोजन तथा विभिन्न स्कंधों के मध्य समन्वय के माध्यम से, इस चूक से बचा जा सकता था।

4.6 पूर्व क्रय दर (एल.पी.आर.) से आठ प्रतिशत अधिक से उच्च दर पर भंडारों की अधिप्राप्ति

मूल्य की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की सलाह (दिसंबर 2006) के अनुसार ओ.एफ.बी. ने सभी महाप्रबन्धकों को मूल्य नियंत्रित रखने के लिए, तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए पूर्व क्रय दर (एल.पी.आर) के आठ प्रतिशत के भीतर रखने का निर्देश दिया (अप्रैल 2007 में) । महाप्रबंधकों को, ऐसे मामले, जहां मूल्य वृद्धि आठ प्रतिशत से अधिक है, के संबंध में बाजार सूचकांक, आधारित धातु मूल्य वृद्धि आदि के संदर्भ में विस्तृत औचित्य सहित मासिक प्रतिवेदन,सदस्य/प्रचालन डिवीजन को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया।

हमने 2008-11 के दौरान प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों को परीक्षित करके यह पाया कि पाँच फैक्ट्रियों द्वारा ₹94.33 करोड़ मूल्य के 107 क्रय आदेश, 21 से 146 प्रतिशत तक, एल.पी.आर. से अधिक दरों पर प्रस्तुत किए गए। यद्यपि, इन मामलों में, प्राधिकृत सीमा से ₹22 करोड़ से अधिक की व्यय वृद्धि संलग्न थी, किसी भी महाप्रबंधक ने अति. डी.जी.ओ.एफ., ओ.ई.एफ. एच.क्यू (मुख्यालय) कानपुर को विस्तृत औचित्य सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। ओ.एफ.बी. ने भी मंत्रालय की सलाह के अनुसार मूल्य उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए एल.पी.आर. के आठ प्रतिशत अधिक दर पर महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तुत आदेशों का सर्वेक्षण नहीं किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख वस्त्रादिक कच्चे मालों के मूल्य सूचकांक 30 से 50 प्रतिशत बढ़ गये थे। अतः इस स्तर पर, इस आठ प्रतिशत मूल्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी तथा मानक सूचकांकों को संलग्न कर उपयुक्त मूल्य परिवर्धन सूत्र को प्रमुखता से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आठ प्रतिशत से अधिक वृद्धि की व्याख्या कर महाप्रबन्धकों द्वारा अति. महाप्रबंधक (ओ.एफ.) को सूचित किया जाना चाहिए था। यदि मंत्रालय आठ प्रतिशत की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव कर रहा था तो उपयुक्त औचित्य सहित उसपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

4.7 गठजोड़ निर्माण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 2007 के प्रतिवेदन संख्या 19 के पैराग्राफ 4.2.2 में गठजोड़ के निर्माण का उल्लेख किया गया है।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 के अपने ए टी एन में यह बताया की जुलाई 2007 से प्रभावी निविदा में गठजोड़ रोधी के धारा के परिचय के बाद गठजोड़ निर्माण के दृष्टांत अतिशीघ्र नीचे गिर गये। इनपुट सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गठजोड़ निर्माण को अनदेखा करने के लिए ओ. एफ़. बी. ने (जुलाई 2007) सभी फ़ैक्ट्रियों के महाप्रबंधकों को निविदा रचनाओं (टी. ई.) में निम्नलिखित शर्तों के समावेशन का निर्देश दियाः

- सभी फ़र्म गठजोड़ करने से बचें क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक अपराध है;
- फैक्ट्रियाँ स्थापित फ़र्मों का नाम, स्वीकृत स्रोतों की सूची से हटाने अथवा उनपर फ़ैक्ट्रियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए स्पर्धा करने पर रोक लगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है;
- स्वीकृत फ़र्मों द्वारा गठजोड़ कर एक समान दरें प्रस्तुत करने की दशा में फैक्ट्रियाँ, शेष फ़र्मों की उपेक्षा करते हुए किसी एक अथवा अधिक फ़र्मों को आदेश प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं। तथापि फर्म का चयन, ओ एफ़ बी के मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) के अनुसार एक विक्रेता वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित फर्मों के पूर्वनियत क्रमीकरण पर आधारित होगा।
  एस ओ पी के अनुसार विक्रेताओं का क्रम, विक्रेताओं को पहले प्रस्तुत आदेशों के प्रति, क्रमशः 60,25,10 एवं 5 के वेटेज घटक सहित गुणवत्ता,प्रदायः मूल्य एवं सेवा मानदंडों पर आधारित होना चाहिए; तथा
- फैक्ट्रियाँ दो या तीन फर्मों को आदेश प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखतीं हैं जहां निविदा की मात्रा रैंक-1 (आर-1), रैंक-2 (आर-2) अथवा आर-1, आर-2 एवं रैंक-3 फर्मों के मध्य क्रमशः 60:40 अथवा 50:30:20 के अनुपात में वितरित की जाएगी।

हमने यह पाया की कोई भी विक्रेता सीमांकन प्रक्रिया नहीं चलाई गई थी। हमने 85 टी. ई.के प्रति फर्मों के उद्धरणों तथा 2008-12 के लिए निविदा क्रय समिति की बैठकों के कार्यवृत की जांच की और पाया कि 33 मामलों में दो या अधिक फर्मों ने एक समान दरें उद्धृत की। जबकि गठजोड़ निर्माण के इस साक्ष्य के बावजूद ओ एफ़ ई जी ने

गठजोड़ वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत नहीं किया जैसा कि ओ एफ़ बी के जुलाई 2007 के निर्देशों के अनुसार आवश्यक था। इसके बजाय उन्होंने एम एम पी एम एवं एस ओ पी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न फर्मों को, आवश्यक विक्रेता रेटिंग किए बिना ही 33 टी. ई. के प्रति ₹33. 91 करोड़ मूल्य के ओ ई एफ जी के 102 आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किए जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

- ओ पी एफ़ ने निविदा मात्रा को बराबर वितरण करके विभिन्न फर्मों, जिन्होंने एक समान दरें उद्धृत की थीं, को 10 टी ई के प्रति ₹6.57 करोड़ मूल्य के 26 आदेश प्रस्तुत किए।
- ओ सी एफ़ ए, ओ सी एफ़ एस एवं ओ ई एफ़ एच में 11 टी ई के प्रति ₹14.03 करोड़ मूल्य के 40 आदेश, एक समान दरें उद्धृत करने वाली फर्मों के मध्य या तो बराबर वितरित कर दिए गए या 60:40 अथवा 50:30:20 के अनुपात में वितरित किए गए।

ओ ई एफ़ सी में 12 टी ई के प्रति ₹13.31 करोड़ मूल्य के 36 आदेश विभिन्न फर्मों को प्रस्तुत किए गए जहां दो या अधिक फर्मों ने एल-1, एल-2 तथा एल-3 दरें उद्धृत की थीं। अतः आदेश, फर्मों के मध्य 50:30:20 अथवा 60:40 के अनुपात में वितरित किए गए।

ओ.एफ.बी. ने कहा कि (अप्रैल 2012) विक्रेता रेटिंग प्रणाली को लागू कर दिया गया था तथा उसका अनुपालन किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2007 में विक्रेता रेटिंग प्रणाली के लागू होने के पश्चात केवल ओ.सी.एफ.ए. ने तीन वर्ष बाद अर्थात जुलाई 2010, से प्रणाली का अनुपालन किया जबकि ओ.ई.एफ.जी. के अंतर्गत अन्य चार फ़ैक्ट्रिओं ने ओ एफ़ बी के जुलाई 2007 के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त गठजोड़ निर्माण से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए मद-बार विक्रेता रेटिंग प्रणाली हेतु ओ.एफ.बी. के दिशानिर्देशों (जुलाई 2007) का अनुपालन करने में अन्य चार फ़ैक्ट्रिओं की विफलता के बारे में, उत्तर में कोई चर्चा नहीं की गई है।

हमारे द्वारा दिखाये गये 102 मामलों में जहां गठजोड़ विद्यमान था, ना ही संबंधित फ़ैक्ट्री ने कोई जांच की और न ही ओ एफ़ बी ने संबंधित फ़ैक्ट्रिओं से कोई स्पष्टीकरण मांगा। परिणामस्वरुप, सर्वोत्तम मितव्ययी एवं स्पर्धात्मक प्रस्तावों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

4.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अधिप्राप्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए ओ.एफ.बी./मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों के जारी होने के बावजूद, भंडार का अति-प्रावधान, भंडार की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता का आभाव, ओ.टी.ई. के स्थान पर एल.टी.ई. के माध्यम से उच्च दर पर अधिप्राप्ति तथा एल.पी.आर. के आठ प्रतिशत से अधिक उच्च दर पर अधिप्राप्ति, आदेशों का विलंबित प्रस्तुतीकरण, विक्रेता वर्गीकरण प्रणाली का अपालन जैसे दोष अब भी विद्यमान थे। पूर्व की लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं मंत्रालय के ए टी एन के बावजूद, ओ.एफ.बी. विक्रेताओं के मध्य निर्मित गठजोड़ को समाप्त करने में विफल रहा।

संस्तुति 3

ओ.एफ.बी. को सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्रियाँ, अधिक अधिप्राप्ति से बचने के लिए विश्वसनीय एवं विशुद्ध प्रावधान हेतु भंडार की शुद्ध आवश्यकता के आकलन में निर्धारित नियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

संस्तुति 4

ई-अधिप्राप्ति प्रणाली को सभी फैक्ट्रियों में दक्षता से लागू करना चाहिए तथा सभी फैक्ट्रियों को सामंजस्यपूर्ण डॉटाबेस अनुरक्षित करना चाहिए।

संस्तुति 5

ओ एफ बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गठजोड़ीकरण से बचने के लिए जुलाई 2007 के ओ एफ बी के दिशानिर्देशों का अधिप्राप्ति एजेन्सियों को कड़े रूप से पालन करना चाहिये।

अध्याय V: उत्पादन कार्य निष्पादन

लेखापरीक्षा उद्देश्य

क्या फैक्ट्रियों द्वारा वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के अनुसार पूर्ण ढ़ंग से मदों का उत्पादन किया और उन्हें माँगकर्ताओं को वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गमित किया।

लेखा परीक्षा मापदण्ड

- *मासिक उत्पादन प्रतिवेदन ; एवं*
- *बाह्य श्रोतीय कार्य नीति ।*

5.1 सामान्य

ओ. ई. एफ. जी. सेना सेवाओं के लिये सामान्य भण्डार एवं वस्त्रादिक (जी एस एण्ड सी) मदों की पूर्ति हेतु उत्तरदायी है। जब फैक्ट्रियाँ उन मदों[7] की आपूर्ति करने में असमर्थ होती हैं जो उनके द्वारा नहीं निर्मित की जाती, तो सेवाओं द्वारा व्यापारिक संस्थानों/आयातों से अधिप्राप्ति की जाती है। वर्ष 2008-12 की अवधि के अन्तर्गत सेवाओं द्वारा ₹2141.28 करोड़ लागत से व्यापारिक संस्थानों/आयातों से मदों की अधिप्राप्ति की गई, जो व्यापार/आयात तथा ओ. ई. एफ. जी. की सेवाओं की कुल अधिप्राप्ति का 44 प्रतिशत भाग था। व्यापारिक संस्थानों/ आयातों से अधिप्राप्ति आयुध उपस्कर निर्माणी समूह (ओ. ई. एफ. जी.) का 2008-12 के दौरान तुलनात्मक विवरण निम्नवत तालिका बद्ध है:

तालिका -12: सेवाओं द्वारा संस्थानों / आयातों से अधिप्राप्ति आयुध उपस्कर निर्माणी समूह अधिप्राप्ति का तुलनात्मक विवरण।

(₹ करोड़ में)

सेवायें	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग	
	व्यापारिक संस्थान	ओ.ई.एफ .जी.	व्यापारिक संस्थान	ओ.ई.एफ.जी.	व्यापारिक संस्थान	ओ.ई.एफ .जी.	व्यापारिक संस्थान	ओ.ई.एफ.जी.	व्यापारिक संस्थान	ओ.ई.एफ.जी.
थल सेना	636.28	453.19	508.75	437.66	427.89	643.81	247.70	705.57	1820.62	2240.23
वायु सेना[8]	60.82	119.94	59.40	92.02	15.88	87.85	56.78	101.24	192.88	401.05
नव सेना	20.67	9.34	19.86	9.20	45.47	10.93	41.78	19.92	127.78	49.39
योग	**717.77**	**582.47**	**588.01**	**538.88**	**489.24**	**742.59**	**346.26**	**826.73**	**2141.28**	**2690.67**

[7] विशिष्ट वस्त्रादिक मदें जैसे शयन बैग, जैकेट डाउन, पतलून डाउन, गोर टेक्स सूट, बाहरी दस्ताने, भीतरी दस्ताने एवं रकसेक 70 ली. आदि।

[8] वायु सेना एवं नौ सेना द्वारा सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादिक की अधिप्राप्ति के वास्तविक आंकड़े वायु-सेना/नौ-सेना के मुख्यालय (एच क्यू) से नहीं प्राप्त किए जा सके। अतः व्यापारिक संस्थानों से वस्त्रादिक की अधिप्राप्ति के आंकड़े रक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों से 2008-11 के लिए प्राप्त किए गए है तथा 2011-12 के आंकड़े रक्षा मंत्रालय (वित्त) के बजट डिविजन से प्राप्त किए गए हैं।

सेवाओं द्वारा व्यापारिक संगठनों /आयातों तथा आयुध फैक्ट्री से ली गई अधिप्राप्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह (ओ ई एफ जी) सेवाओं की आवश्यकताओं का मात्र 56 प्रतिशत[10] भाग की पूर्ति कर सका। यहाँ तक कि आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह (ओ ई एफ जी) सैन्य मदों के सम्बन्ध में चार वर्षों में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा, जिसकी चर्चा आगे के अनुच्छेदों में की गई है।

5.2 लक्ष्य के प्रति उत्पादन / निर्गमन मे गिरावट

ओ.ई.एफ. एच. क्यू. (मुख्यालय) द्वारा प्रतिवेदित मद-वार लक्ष्य, उत्पादन एवं निर्गम 2008-09 से 2011-12 के दौरान 52 मदों के संबंध में निर्गम में कमी तथा कमी का मूल्य **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है। अनुलग्नक वर्ष 2008-12 के दौरान ₹1147.13 करोड़ मूल्य के 34 से 41 मदों का उत्पादन/निर्गम को भी दर्शाता है। 2008-09 में 15 मदों, 2010-11 में छः मदों तथा 2011-12 में पाँच मदों के संबंध में, फैक्ट्रियां भी उत्पादित पूरी मात्रा को, सेना को निर्गमित करने में विफल रहीं। नीचे की तलिका उत्पादन एवं निर्गम की संख्या एवं मूल्य/आयाम को सारांशीकृत करता हैः

तालिका-13: लक्ष्य के प्रति उत्पादन / निर्गमन मे गिरावट

वर्ष	विश्लेषित मदों की संख्या	उन मदों की सं. जिसमें गिरावट हुई	मदों की संख्या			गिरावट का कुल मूल्य (करोड़ ₹)
			गिरावट प्रतिशत का सीमांकन			
			1 से 20	21 से 50	51 से 100	
2008-09	52	34	6	12	16	155.56
2009-10	52	37	4	10	23	447.90
2010-11	52	35	7	12	16	183.42
2011-12	52	41	14	7	20	360.25
					योग	**1147.13**

निर्गमों की अल्पता के कारण थल सेना में गंभीर कमियों की स्थिति उत्पन्न होती है। केंद्रीय आयुध डिपो कानपुर (थलसेना) ने वर्ष 2009-10 के दौरान अनापूर्ति/अल्पआपूर्ति के कारण मार्च 2010 में 13 मदों[11] की गंभीर कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की। ओ.ई.एफ.सी. ने वर्ष 2009-10 के दौरान, 4,87,444 के लक्ष्य के प्रति 32,500 बूट हाई एकिंल डी.वी.एस. ही आपूर्त किए, जैसा कि **अनुलग्नक-II** से स्पष्ट है। इस

[10] गणनाः ओ ई एफ जी से अधिप्राप्ति / व्यापार से अधिप्राप्ति + ओ ई एफ जी = 2690.67 X 100 / 4831.95 = 56 प्रतिशत

[11] मच्छरदानी, शर्ट पी डब्लू पी वी डी डी ओ जी, दरी बूट हाई एंकल डी वी एस, बूट पैराट्रूपर, जर्सी वूलेन वी नेक, कवर वाटरप्रूफ (4 प्रकार के),फ्लाई आउटर 4 एम, इंड कर्टेन, फ्लाई आउटर 2 एम

स्थिति ने, डी.जी.ओ.एस. को दो लाख बूटों की अधिप्राप्ति व्यापारिक संस्थान से करने के लिए ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा । आगे, ए डी जी ओ एस (वस्त्र, आवश्यकता एवं प्रशासन) ने (मई 2012) वर्ष 2011-12 के लिए आपसी सहमति से तय लक्ष्य के बारे में 41 मदों (₹169.98 करोड़) अपर डी.जी.ओ.एफ, ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) से उत्पादन एवं आपूर्ति की गंभीर चूकों के विषय में, सम्पर्क स्थापित किया।

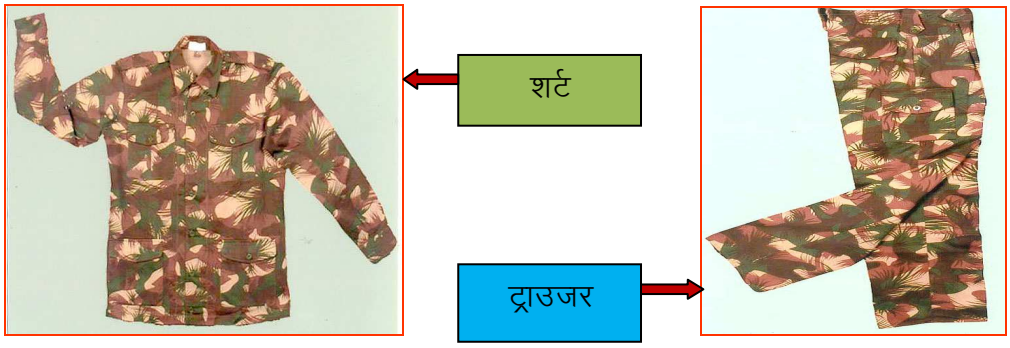

इन चूकों का मुख्य कारण सुनिश्चित लक्ष्य तय करने में विलम्ब, कुछ मिश्रित उत्पादों हेतु क्षमता से अधिक लक्ष्य की स्वीकृति, भण्डारों की अधिप्राप्ति में घटित चूक तथा क्षमता का अल्प उपयोग था।

जैकेट

टेंट

मंत्रालय ने आदेश का विलंबित प्रस्तुतीकरण, कच्चे माल विशेषकर सजावटी मदों की अपर्याप्त आपूर्ति, डी.जी.क्यू.ए. द्वारा अंतिम उत्पाद के परीक्षण एवं स्वीकृति तथा कुछ मदों के लिए क्षमता से अधिक लक्ष्य की स्वीकृति, डी.जी.ओ.एस. और ओ.ई.एफ. एच क्यू द्वारा निश्चित लक्ष्य के विलंबित निर्धारण तथा डी.जी.ओ.एस. द्वारा आकृति-वार वितरण में विलंब को उत्पादकता में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया।

मंत्रालय के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि चूक तथा क्षमता के अल्प उपयोग के कारण सुस्पष्ट थे जिनका उपयुक्त तरीके से निराकरण किया जाना चाहिये था। तथापि, निराकरण के लिए प्रस्तावित उपायों के संबंध में, उत्तर में कोई चर्चा नहीं की गई है।

5.3 अवधि पश्चात उत्पादन/निर्गम

रक्षा लेखा विभाग कार्यालय नियमपुस्तक भाग- VI भाग (डी ए डी ओ एम) के पैराग्राफ 668 एवं 670 के अनुसार उत्पादित मदों के निरीक्षण के उपरांत ही स्वीकार किया जाता है,तत्पश्चात उत्पादित खाता-बही में स्वीकृत मदों को प्रयोग में लाया जाता अहै।पहले तो उनमदों को उत्पादन निर्गम के द्वारा इनडेंटर्स को जारी करते समय ओ एफ बी के फर्म मूल्य सूची के संदर्भ के साथ उनका मूल्य निर्धारण होता है तथा आवश्यकतानुसार संबद्ध सेवाओं के शीर्ष को उसे डेबिट कर दिया जाता है।

वे मदें जो वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक न तो निर्मित हुई है, न ही भौतिक रूप से मांगकर्ताओं को निर्गमित हुई है, कितुं आयुध फैक्ट्रियों की लेखाओं में उन्हें माँगकर्ताओं को निर्गमित प्रदर्शित किया जाता है, को "स्पिल ओवर उत्पादन/ निर्गम" कहा जाता है । इससे फैक्ट्रियों के लेखों में वृद्धित निर्गम एवं फैक्ट्रियों से भण्डरों के बिना भौतिक प्राप्ति के ही सेवाओं से भुगतान की स्थिति उत्पन्न हुई।

महानिदेशक रक्षा लेखा (सी.जी.डी.ए.) नई दिल्ली ने (अक्टूबर 2007) में सभी नियंत्रक वित्त एवं लेखा (फैक्ट्रियों)[12] को सुचित किया कि आयुध फैक्ट्रियों द्वारा सेवाओं से भुगतान प्राप्त करने के लिए, भण्डारों के भौतिक निर्गम के बिना ही अग्रिम वाउचर बनाए जा रहे हैं। सी.जी.डी.ए. ने जोर देते हुए कहा कि इस त्रुटि की वजह से अनेक लेखांकन अनियमितताओं का जन्म हुआ, (लेखाओं में अवास्तविक लाभ का अंकन, उत्पादन लागत तथा चालु कार्य मे भ्रान्ति तथा निर्माण शीर्ष मे दर्ज निर्गम मूल्य तथा वास्तविक व्यय में असमानता आदि) ।

[12] नियंत्रक वित्त एवं लेखा (फैक्ट्रियां), पी सी ए (फैक्ट्रियां), कोलकाता के अधीन, क्षेत्रीय आधार पर, फैक्ट्रियों के समूह के लिए कार्य करता है।

इस अनियमितता को समाप्त करने हेतु, सी.जी.डी.ए. ने अक्टूबर 2007 में सभी नियंत्रकों वित्त एवं लेखा (फैक्ट्रियाँ) को वित्तीय समाधान हेतु प्रेषण विवरणों से रहित अग्रिम निर्गम वाउचर न स्वीकार करने के निर्देश दिए।

किन्तु पाँचों फैक्ट्रियों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा लगातार स्पिल ओवर उत्पादन/ निर्गम जारी रहा, जिससे वर्ष 2008-12 के दौरान कुल ₹493.08 करोड़ का स्पिल ओवर उत्पादन हुआ जो कि सेवाओं को कुल निर्गम का 18 प्रतिशत था, जैसा नीचे वर्णित है:

तालिका -14: स्पिल ओवर निर्गम का फैक्ट्री-वार मूल्य

फैक्ट्री	स्पिल ओवर मदों का मूल्य (₹ करोड़ में)				योग (करोड़ ₹ में)
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
ओ.ई.एफ.सी.	84.81	69.10	58.97	शून्य	212.88
ओ.पी.एफ.	शून्य	28.55	10.54	शून्य	39.09
ओ.सी.एफ.ए.	21.05	20.19	6.34	शून्य	47.58
ओ.सी.एफ.एस.	47.80	28.20	37.43	55.32	168.75
ओ.ई.एफ.एच.	शून्य	14.43	3.84	6.51	24.78
योग	**153.66**	**160.47**	**117.12**	**61.83**	**493.08**
कुल निर्गम का प्रतिशत	***26***	***30***	***16***	***7***	***18***

सचिव रक्षा उत्पादन ने जनवरी 2011 में रक्षा मन्त्री को आश्वस्त किया कि 2010-11 के दौरान कोई स्पिल ओवर उत्पादन नहीं होगा। इस आश्वासन के बावजूद हमारे द्वारा, वर्ष 2010-11 के दौरान ₹117.12 करोड़ एवं 2011-12 के दौरान ₹61.83 करोड़ का स्पिल ओवर उत्पादन पाया गया।

ओ.एफ.बी ने अप्रैल 2012 में तथ्यों को स्वीकार करते हुए, भविष्य में स्पिल ओवर को समाप्त करने का आश्वासन देते हुए स्पष्ट किया कि स्पिल ओवर उत्पादन के लिये अधोलिखित कारक जिम्मेदार थे:

- विलम्बित लक्ष्य निर्धारण तथा सभी मांगकर्ताओं द्वारा माँगों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब;
- मुख्यतः थल सेना से आकृति-वार विवरण प्राप्त होने में विलम्ब; एवं

- अधिप्राप्ति कार्यवाई में विलम्ब एवं परिणामतः कच्चे माल की विलम्बित प्राप्ति/ उपलब्धता ।

तथापि, उपर्युक्त तथ्यों से, भौतिक उत्पादन एवं निर्गम के बिना ही, अग्रिम निर्गमों का लेखांकन न्याय संगत नहीं लगता।

5.4. कार्यों का बाह्यस्त्रोतीकरण

जहाँ अन्तर्वर्ती निर्माण क्षमता पर्याप्त न हो, वहाँ उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु फैक्ट्रियों को व्यापारिक संस्थाओं/बाह्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त है। चेयरमैन ओ.एफ.बी. ने गुणात्मक विकास की जरूरत पर बल देते हुए मई 2008 में सभी फैक्ट्रियों को निर्दिष्ट किया कि ओ.एफ.बी. को प्राप्त उत्पादन के आदेशों के लिए वाह्य स्त्रोतीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

किन्तु हमने पाया कि वर्ष 2008-12 के दौरान, वर्दियों सहित (₹9.63 करोड़) विभिन्न वस्त्रादिक कार्यों में बाह्य स्त्रोतों पर ₹159.93 करोड़ व्यय किए गए। हमने यह भी पाया कि अवास्तविक लक्ष्यों वृद्धित लक्ष्यों के संदर्भ में क्षमता से जुड़ी बाधाओं का तर्क देते हुए, पर्याप्त अन्तर्वर्ती क्षमता के होते हुए भी, गुणवत्ता और सुरक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में दिए बगैर कार्यों के बाह्यस्त्रोतीकरण में अनेक अनियमितताएं एवं त्रुटियाँ बरती गई। यहाँ तक कि बाह्यस्त्रोतीकरण के बावजूद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके, जिसकी चर्चा आगे की गई है।

5.4.1 क्षमता से अधिक लक्ष्य स्वीकारने के कारण बाह्यस्त्रोतीकरण

जैसा की पैराग्राफ 3.3.1 में वर्णित है, ओ.ई.एफ एच क्यू (मुख्यालय) ने 2008-12 के दौरान 7 से 16 मदों के संबंध में उपलब्ध क्षमता से अधिक लक्ष्य को स्वीकार किया। फलस्वरूप ओ.ई.एफ.जी. ने अपर डी.जी.ओ.एफ. एवं चेयरमैन ओ.एफ.बी. की अनुमति से व्यापार सहयोग पर निर्भरता की। 2008-09, 2009-10 एवं 2011-12 में कुछ मदों के वाह्यस्त्रोतीकरण का विवरण तालिका-15 में दिया गया है।

तालिका -15: उच्च उत्पादन लक्ष्य के कारण व्यापार सहयोग

मद	क्षमता (संख्या में)	अंतिम लक्ष्य (संख्या में)	अधिक लक्ष्य की प्रतिशतता	व्यापार सहयोग		निर्गम (संख्या)
				मात्रा (संख्या)	मूल्य (₹ लाख में)	
ओ.पी.एफ. (2009-10)						
टेन्ट 2 एम. का फ्लाई आउटर	4000	15343	284	16678	27.15	5343
कमीज पी.डब्ल्यू.पी.वी. डी.डी. ओ.जी.	100000	200000	100	50000	7.74	80000
पतलून पी.डब्ल्यू. पी.वी. डी.डी. ओ.जी.	150000	200000	33	50000	8.32	100000
ओ.ई.एफ.सी. (2008-09)						
बूट हाई एंकल डी.वी.एस. i) फैब्रिकेशन आपरेशन ii) क्लिकिंग आपरेशन iii) लास्टिंग आपरेशन iv) मोल्डिंग आपरेशन	 500000 225000 420000 600000	500000	 शून्य 122 19 शून्य	 100000 140000 100000 108000	 403.28 12.32 27.00 49.63	400000
ओ.ई.एफ.सी. (2009-10)						
बूट हाई एंकल डी.वी.एस. i) क्लिकिंग आपरेशन ii) मोल्डिंग आपरेशन	 225000 600000	487444	 117 शून्य	 150000 36000	 15.12 16.54	32500
ओ.सी.एफ.ए. (2009-10)						
पतलून पी.डब्ल्यू. पी.वी. डी.डी. ओ.जी.	100000	500000	400	133334	68.00	100000
लाइनर इनर (टी.ई.एफ.एस. 4एम)	शून्य	12000	@	8000	नहीं	6120
समग्र नेवी ब्ल्यू	शून्य	3248	@	3248	नहीं	3248
ओ.ई.एफ.एच*						
सभी मद (2009-10)	13.40 लाख एस.एम.एच	39.91 लाख एस.एम.एच	198	1.63 लाख एस.एम.एच	31.03	14.51 लाख एस.एम.एच
सभी मद (2010-11)	13.75 लाख एस.एम.एच	19.92 लाख एस.एम.एच	45	7.19 लाख एस.एम.एच	142.04	14.29 लाख एस.एम.एच
ओ.सी.एफ.एस. (2011-12)						
वायु रोधी जैकेट	30000	54000	80	9090	5.00	18200
वायु रोधी पतलून	30000	49000	63	50000	14.99	18400
योग					**828.16**	

@ विशिष्ट क्षमता नहीं दिए होने के कारण गणना योग्य नहीं

** मदवार विवरण की अनुपलब्धता के कारण आंकड़े- श्रम घंटों में (एस ए एच)*

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि फैक्ट्रियों द्वारा कतिपय चयनित मदों के लिए व्यापारिक संस्थानों से सहायता,जिसकी लागत राशि ₹8.28 करोड़ है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया तथा उस पर हमारी अभ्युक्ति तालिका-16 में दी गई है ।

तालिका-16: मंत्रालय की प्रतिक्रिया और लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

मंत्रालय की प्रतिक्रिया	लेखा परीक्षा अभ्युक्ति
ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) द्वारा, फैक्ट्री की क्षमता से भी अधिक लक्ष्य की अस्वीकृति की कोई संभावना नहीं थी ।	प्रत्युतर से यह विदित होता है कि ओ.ई.एफ एच क्यू (मुख्यालय) द्वारा फैक्ट्रियों की क्षमता या विधिवत सामयिक मुल्यांकन किया गया और न ही फैक्ट्रियों द्वारा क्षमता से अधिक लक्ष्य आवंटन के मामलों की पैरवी ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्याल्य) से की गई। इस वजह से व्यापारिक संस्थानों से सहायता प्राप्त करने की आवर्ति घटनाएं हुई।
क्षमता संबंधी बाधाओं तथा सस्ती तत्काल आवश्यकता के कारण सस्ती लागतह पर व्यापारिक संस्थानों से सहायता प्राप्त की गई। श्रम आधारित संचालनों में ही व्यापार आधृत सहायता प्राप्त की गई ।	फैक्ट्री लागत की तुलना में कम श्रम लागत के तर्क के आधार पर वाह्यस्रोतीकरण, फैक्ट्री के प्रवीणता पर ही सवाल खड़े करता है।
व्यापारिक संस्थानों से सहायता प्राप्त कर लक्ष्य की पूर्णता कच्चे माल की उपलब्धता, कल पुर्जों और सजावटी मदों की तैयारी पर निर्भर करता है।[13]	व्यापारिक संगठनों से सहायता प्राप्ति के बावजूद भी लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाना, फैक्ट्रियों द्वारा इनपुट सामग्री की व्यवस्था न कर पाने की स्थिति को चिह्नित करता है।

5.4.2 पर्याप्त अर्न्तवर्ती क्षमता के बावजूद बाह्यस्रोतीकरण

हमने यह पाया कि पर्याप्त अर्न्तवर्ती क्षमता के बावजूद भी, दो फैट्रियों ने 2009-12 के दौरान ₹11.05 करोड़ लागत के कार्यों की वाह्यस्रोतीकरण सहायता प्राप्त की। व्यापारिक संस्थानों से सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी ये फैक्ट्रियाँ अधिकांश मामलों में उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में विफल रहीं। मदवार क्षमता, लक्ष्य, व्यापारिक संस्थानों से सहायता, एवं अन्तिम निर्गम का विवरण तालिका-17 में दर्शित है।

तालिका-17: *अर्न्तवर्ती क्षमता की उपलब्धता के बावजूद व्यापार सहयोग*

मद	क्षमता	लक्ष्य	व्यापार सहयोग		निर्गम
			मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)	
ओ.सी.एफ.एस. (2010-11)					
कोट इ.सी.सी.	50000	50000	35000	224.00	25000
केप एफ.एस.	150000	100000	300000	38.40	10000
जर्सी डी.बी.जी./वी. ओ.जी.	260000	245000	21000	17.85	235000
कंबल	400000	350000	80000	493.12	260000
ओ.सी.एफ.एस. (2011-12)					
कोट इ.सी.सी.	80000	80000	59018	309.84	27000
ओ.सी.एफ.ए. (2009-10)					
समग्र हरा खाकी	41425	41425	35000	22.05	41425
योग				**1105.26**	

[13] साज- सज्जा से संबंधित सहायक मदें

मंत्रालय की प्रतिक्रिया और उस पर हमारी अभ्युक्ति तालिका-18 में दर्शायी गई है।

तालिका-18: मंत्रालय की प्रतिक्रिया और उस पर हमारी अभ्युक्ति

मंत्रालय की प्रतिक्रिया	लेखा परीक्षा अभ्युक्ति
बाह्यस्रोतीकरण के आदेश शेष कार्यभार एवं उपलब्ध क्षमता की पुनरीक्षा करने के पश्चात काफी देर से दिए गये थे। कुछ आधारभूत सामग्रियों और सजावटी मदों की कमी के कारण, लक्ष्य के अनुसार, आपूर्ति नहीं की जा सकी।	पर्याप्त अर्न्तवर्ती क्षमता के उपलब्ध रहते हुए भी कार्यों का बाह्यस्रोतीकरण करने के सम्बन्ध में उत्तर, लेखापरीक्षा की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। फैक्ट्रियों द्वारा, कार्यभार के आकलन एवं श्रमशक्ति एवं सामग्री की उपलब्धता की पुनरीक्षा सुचारू रूप से नहीं की गई जिससे समयबद्धता एवं वाह्य स्रोतीकरण की शुद्ध आवश्यकता को सुनिश्चित किया जा सके।

5.4.3 जमानत राशि एवं गुणवत्ता प्रवर्तन के बिना वाह्यस्रोतीकरण

व्यापारिक संस्थानों से सहायता का अनुमोदन देते समय ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) प्रायः निम्नलिखित शर्तों का उपबन्ध करता है:

- अधिप्राप्ति नियम पुस्तक के प्रावधानों एवं अन्य लागू होने वाले नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए;
- एक ही प्रचालन के लिए, व्यापारिक संस्थानों की निर्माण प्रक्रिया की लागत, फैक्ट्री लागत से कम होनी चाहिए;
- कट - संघटकों एवं सजावटी मदों की आपूर्ति फैक्ट्री द्वारा की जानी चाहिये;
- फैक्ट्री द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिये; एवं
- प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक उत्पादन लक्ष्य पूर्ण हो जाना चाहिये।

वस्त्र निमार्ण आदेशों की विस्तृत संवीक्षा से अधोलिखित अनियमितताएं उद्घाटित हुईः

- ओ.एफ.बी की एम.एम.पी.एम. में यह प्रावधान है कि महाप्रबन्धकों को संविदाकारों से, फैक्ट्री स्टॉक से निर्गमित भंडार के लिखित मूल्य में आदेश की समग्र लागत का 10 प्रतिशत भाग जोड़कर जमानत राशि प्राप्त करे । किंतु, ओ.पी.एफ. में, 2009-2010 के दौरान 10 वस्त्र निर्माण आदेशों के संबंध में, टेंट के लिए फ्लाई आउटर, वर्दी आदि के निर्माण के लिए ₹5.98 करोड़ के कर-संधटक संविदाकारों को प्रदान कर दिया गया;

- ओ.सी.एफ.ए. ने वर्ष 2009-10 में पाँच लाख ट्राउजर के उत्पादन लक्ष्य के सन्दर्भ में दिसंबर 2009 के तीन वस्त्र निर्माण संविदाओं में आदेशित 1,33,334 के प्रति, 99,466 ट्राउजर (पी.वी.डी.डी.ओ.जी.) प्राप्त किया। आपूर्त मात्रा में से 27,202 ट्राउजर सी.ओ.डी.कानपुर में दोषयुक्त पाए गए तथा फैक्ट्री को उनके सुधार के लिए एक दल को भेजना पड़ा; एवं
- ओ.पी.एफ., ओ.ई.एफ.एच एवं ओ.ई.एफ.सी के संबंध में विश्लेषित 76 आदेशों में से 61 आदेश (80 प्रतिशत) के संबंध में, व्यापार फर्मों से, मदों की आपूर्ति में विलंब तथा अल्प आपूर्ति की स्थिति प्रकट हुई जिसके कारण अंततः वित्त वर्ष के अंतर्गत उत्पादन लक्ष्य निर्धारण बैठक की शर्त व्यर्थ साबित हुई ।

मंत्रालय/ ओ.एफ.बी. के उत्तर एवं हमारी अभ्युक्तियां तालिका-19 में दर्शायी गई हैः -

तालिका-19: मंत्रालय/ ओ.एफ.बी. का उत्तर एवं लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियां

मंत्रालय /ओ.एफ.बी. का उत्तर	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ
ओ.पी.एफ. द्वारा प्रतिष्ठान से फैब्रीकेशन हेतु निर्गमित की गई सामग्री के बदले प्रतिभूति के रूप क्षतिपूर्ति बान्ड प्राप्त किए थे।	चूँकि क्षतिपूर्त्ति बान्ड, किसी वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा नहीं जारी किया गया था, अतः इसे सरकारी सम्पत्ति हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं माना जा सकता।
विलम्बित शेष आपूर्ति को ओ.ई.एफ. हजरतपुर में अगले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य में लाभकारी ढंग से सदुपयोग कर लिया गया।	ओ.एफ.बी. के उत्तर से यह संकेत मिलता है कि फैक्ट्री, प्रबंधन, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से फैब्रीकेशन आदेश पूर्ण कर पाने में विफल रहा।
ओ.ई.एफ. कानपुर द्वारा व्यापारिक संस्थान को कच्चे माल को विलम्ब से की गई आपूर्त्ति के कारण व्यापारिक संगठन द्वारा फैब्रीकेशन आदेश सम्पादित करने में विलम्ब हुआ।	उत्तर इस बात पर मौन है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान को समयानुसार कच्चा माल जारी करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई।
ओ.सी.एफ. अवाडी द्वारा 1 लाख ट्राउजर पी.वी.डी.डी.ओ.जी. लक्ष्य हासिल कर लिया गया तथा वर्ष 2009-10 में सी.ओ.डी. कानपुर को आपूर्त कर दिया गया।	ओ.सी.एफ.ए. के संबंध में ओ.एफ.बी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 5 लाख ट्राउजरों की आपूर्ति का था। उत्तर में सम्यक निरीक्षण के बगैर दोषयुक्त ट्राउजर सी.ओ.डी. कानपुर को प्रेषित करने का कारण विश्लेषित नहीं किया गया।

5.4.4 अमितव्ययी दर पर दिए गए फैब्रीकेशन आदेश

हमने फैक्ट्रियों द्वारा फैब्रीकेशन कार्य के संपादन की दरों की तुलना की जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि ओ.सी.एफ.ए. द्वारा स्वीकृत दरें, उसी कार्य के लिए अन्य फैक्ट्रियों की

दरों से 234 प्रतिशत तक अधिक थी, जिसके कारण 25 आदेशों के प्रति ₹ 2.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि तालिका-20 में दिखाया गया है:-

तालिका-20: एक ही कार्य के लिए वाह्य स्रोतीकरण दर की अंतर-फैक्ट्री तुलना

मद	ओ.सी.एफ.ए. द्वारा उच्चतर दरों पर वाह्य स्रोतीकरण		वाह्य स्रोतीकरण / फैक्ट्री लागत की निम्नतर दर		अतिरिक्त व्यय (लाख ₹ में)
	आदेश की संख्या एवं दिनांक	मात्रा (दर)	आदेश संख्या एवं दिनांक	दर	
फ्लाई आउटर टी.ई.एफ.एस-4 मी.	4 आदेश दिनांक 19.02.09	1000 (₹1032)	263 दिनांक 19.06.09 (ओ.ई.एफ.सी.)	₹350	6.82
	3 आदेश दिनांक 16.12.10	5000 (₹1032)	506 दिनांक 03.10.10 (ओ.ई.एफ.सी.)	₹408	31.20
ट्राउजर पी.डब्ल्यू. पी.व्ही. डी.डी. ओ.जी.	3 आदेश दिनांक 24.12.09	133334 (₹51)	508 दिनांक 04.01.10 (ओ.पी.एफ.)	₹16.64	45.81
इन्ड पर्दे टी.ई.एफ.एस. 4 एम	4 आदेश दिनांक 20.09.08	8000 (₹927.50)	360 दिनांक 19.08.08 (ओ.ई.एफ.सी.)	₹278	51.96
	2 आदेश दिनांक 03 एवं 13.12.11	10000 (₹721.50)	388 दिनांक 04.09.11 (ओ.पी.एफ.)	₹340	38.15
	1 आदेश दिनांक 05.03.12	7500 (₹610)			20.25
लाईनर ईनर टी.ई.एफ.एस. 4 एम	6 आदेश दिनांक 10.11.09	3000 (₹761)	454 दिनांक 08.09.10 (ओ.ई.एफ.सी.)	₹325	13.08
	2 आदेश दिनांक 30.11.11 एवं 12.12.11	2200 (₹635)	198 दिनांक 11.11.11 (ओ.ई.एफ.एच.)	₹310	7.15
				योग	**214.42**

यद्यपि ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) ने फैक्ट्रियों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फैब्रिकेशन आदेश देने हेतु अनुमति प्रदान कर दी, किन्तु दरों की उपयुक्तता का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण नहीं किया। ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) के पास वाह्यस्रोतीकरण कार्यों हेतु नवीनतम एवं औचित्य पूर्ण दरों का डॉटाबेस उपलब्ध होना चाहिए, जो सभी फैक्ट्रियों द्वारा उपयोग किया जा सके।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ओ.सी.एफ. अवाडी के 'ए-1'श्रेणी शहर में स्थित होने के कारण स्वीकृत दरें उच्च थी। ओ.ई.एफ.सी./ओ.पी.एफ की तुलना में ओ.सी.एफ.ए. में उच्च श्रम लागत को न्याय संगत नहीं माना जा सकता जो कि 79 से 234 प्रतिशत तक था।

5.5 सिविल व्यापार/निर्यात कार्यकलाप

ओ.ई.एफ.जी. ने वर्ष 1986 से, सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करने के पश्चात शेष क्षमता का उपयोग करने के लिए सिविल व्यापार /निर्यात कार्यकलापों का आरंभ किया तथा प्रत्याशित ग्राहक तलाशने हेतु क्षेत्रीय विपणन केन्द्र स्थापित किया। गृह मंत्रालय (एम एच ए) सहित सभी माँगकर्ताओं को किए गये निर्यात का वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान का विवरण तालिका-21 में दर्शाया गया है:-

तालिका-21: सिविल व्यापार का फैक्ट्रीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ओ.ई.एफ.सी.	0.64	12.13	5.72	0.03
ओ.पी.एफ.	0.53	0.78	1.55	0.98
ओ.सी.एफ.एस.	3.75	2.43	2.90	9.03
ओ.ई.एफ.एच	0.67	5.12	0	1.24
योग	**5.59**	**20.46**	**10.17**	**11.28**

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि ओ.ई.एफ.जी. की सिविल व्यापार एवं निर्यात की गतिविधियाँ प्रचुर नहीं थी। सिविल व्यापार एवं निर्यात में ह्रास के कारण कुल निर्गम का मूल्य 2009-10 के ₹20.46 करोड़ से घटकर वर्ष 2010-11 में ₹10.17 करोड़ हो गया। संभाव्य व्यापार विस्तार न कर पाने का एक प्रमुख कारण ओ.ई.एफ.जी. के उत्पाद मदों की काफी उच्च दरें है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल ने हमें जुलाई 2012 में सूचित किया कि ओ.ई.एफ.जी. द्वारा उत्पादित मदों की दरें बाजार की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक थीं। अर्द्ध सैन्य बलों द्वारा वर्ष 2008-12 के दौरान ₹1068.36 करोड़ लागत के सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादिक (जी एस एण्ड सी) की अधिप्राप्ति की, जिसमें से ₹27.95 करोड़ (2.62 प्रतिशत) लागत की मदें ओ.ई.एफ.जी. से प्राप्त की गईं।

5.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओ.ई.एफ.जी. द्वारा सामान्य भण्डारों तथा वस्त्रादिक मदों के निर्गमों में बहुसंख्यक चूकें थीं तथा वाह्यस्रोतीकरण के बावजूद भी, लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका।

संस्तुति 6

यथार्थपरक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओ.ई.एफ.जी., विवेक पूर्ण उत्पादन और अधिप्राप्ति योजना को व्यवस्थापित करें।

संस्तुति 7

यह सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति विकसित किया जाना चाहिए कि, आयुध फैक्ट्रियों के लेखे में, क्रेडिट के साथ-साथ थल सेना के लेखे से डेविट तभी हो, जब परेषिती थल सेना द्वारा, उनके डिपो द्वारा भंडार स्वीकृत एवं परीक्षित हो जाय जिससे अवधि उपरांत निर्गमन का दोषपूर्ण लेखाकंन समाप्त हो सके।

संस्तुति 8

दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए, एक तकनीक को निर्मित कर और कार्यों के वाह्यस्त्रोतीकरण को कम करने के लिए समर्पित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर ओ.एफ.बी. को वाहय स्त्रोतो से कार्य की नीति को व्यवस्थित करना चाहिए।

संस्तुति 9

ओ.एफ.बी. को ओ. ई. एफ. एच. क्यू में एक डाटाबेस तैयार करना चाहिये जो कार्यों के वाह्यस्त्रोतीकरण के लिए उचित तथा नवीनतम दरों के साथ हो और जिसे सभी फैक्ट्रियों द्वारा उपभोग किया जा सके।

अध्याय VI: संसाधनों का उपयोग

लेखापरीक्षा लक्ष्य

अधितकम उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए फैक्ट्रियों ने सामग्री भंडार संसाधनों मशीनरी तथा श्रम शक्ति का कुशलता एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किया है अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा मानदंड के स्त्रोतः-

- *समयोपरि पर कार्य करने के संबंध में नीति/निर्देश;*
- *मशीन उपयोग के लिए मानक एवं नीति; तथा*
- *भंडारण के लिए नियम पुस्तक में उपलब्ध प्रावधान।*

6.1 सामान्य

फैक्ट्रियों में उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति, मशीनरी तथा भंडार का अधितकम उपयोग आवश्यक है, ताकी उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा उत्पादन लागत को कम किया जा सके।

6.2 श्रमशक्ति का उपयोग

आयुध फैक्ट्री में श्रमशक्ति की चार श्रेणियाँ हैं राजपत्रित अधिकारी (जी.ओ.), अराजपत्रित अधिकारी (एन.जी.ओ.), अनौद्योगिक कर्मचारी (एन.आई.ई.) और औद्योगिक कर्मचारी (आई.ई.) । ओ.ई.एफ.जी. में जी.ओ. की संख्या 2008-09 में 220 थी जो 2011-12 में बढ़कर 472 हो गयी। जबकि एन.जी.ओ./एन.आई.ई. की संख्या जो कि 2008-09 में 2416 थी, वह घटकर, 2011-12 में 2052 हो गयी। आई.ई. की संख्या भी 2008-09 में 9667 की तुलना में घटकर 2011-12 में 9388 हो गयी।

6.2.1 आयुध फैक्ट्रियाँ उपलब्ध मानक श्रम घंटों (एस.एम.एच.) के संबंध में उत्पादन क्रिया कलापों में लगे प्रत्यक्ष औधोगिक कर्मचारियों की संख्या के आधार पर श्रमशक्ति क्षमता निर्धारित करती हैं, तथा एस.एम.एच. आउटपुट के संबंध में उत्पादन में उपयोग किए गए कुल श्रम घंटों की मात्रा निश्चित करती है। औद्योगिक कर्मचारियों को समयोपरि आधार पर काम करने की आवश्यकता तब पड़ती है, जब संबंधित उत्पादन लक्ष्य आउटपुट एस.एम.एच. से अधिक हो जाता है।

डी.जी.ओ.एफ प्रक्रिया नियम पुस्तक (पैराग्राफ 4162) के अनुसार, किसी मद का श्रम अनुमान, विश्राम तथा छोटी खराबियों के लिए शुद्ध कार्य अवधि के 12.5 प्रतिशत की अनुमेयता सहित उसके निर्माण में लगने वाले समय की जानकारी देता है। इसके

अतिरिक्त, अनुमान में 25 प्रतिशत भाग का प्रावधान, औद्योगिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में उजरती कार्य लाभ देने के लिए होता है।

हमने श्रमशक्ति के उपयोग में कमियाँ पाई हैं जैसा की परवर्ती पैराग्राफों में देखा जा सकता है।

6.2.2 समयोपरि का अधिक भुगतान

फैक्ट्री प्रबंधन ने आई.ई. को प्रायः नियमित तरीके से समयोपरि के भुगतान की अनुमति दी और वास्तविक आवश्यकता से अधिक समयोपरि भुगतान किया गया जैसा की तालिका-22 में दर्शाया गया।

तालिका-22: परिहार्य समयोपरि भुगतान

वर्ष	उपलब्ध एस.एम. एच. (लाख घंटों में)	उपयोग किये गये एस.एम. एच. (लाख घंटों में)	उपयोग नहीं किये गये उपलब्ध एस.एम. एच. (लाख घंटों में)	कुल उपयोग किये गये एस.एम. एच. समयोपरि सहित (लाख घंटों में)	आवश्यक समयोपरि (लाख घंटों में)	वास्तव में अनुमेय समयोपरि		अधिक समयोपरि	
						घंटे (लाख में)	भुगतान (₹ करोड़ में)	घंटे (लाख में)	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (5-2)	7	8	9 (7-6)	10
ओ.ई.एफ.सी.									
2008-09	64.33	58.99	5.34	70.75	6.42	11.76	6.83	5.34	3.10
2009-10	60.25	52.84	7.41	64.00	3.75	11.16	7.39	7.41	4.91
2010-11	61.82	52.02	9.80	62.92	1.10	10.90	8.21	9.80	7.38
2011-12	58.44	50.68	7.76	61.25	2.81	10.57	11.79	7.76	8.66
ओ.पी.एफ.									
2008-09	23.10	22.97	0.13	28.11	5.01	5.14	3.27	0.13	0.08
2009-10	25.65	24.05	1.60	29.38	3.73	5.33	3.46	1.60	1.04
2010-11	26.24	27.27	-1.03	32.43	6.19	5.16	4.13	Nil	Nil
2011-12	24.88	25.66	-0.78	31.06	6.18	5.40	11.28	Nil	Nil
ओ.सी.एफ.ए.									
2008-09	26.37	23.77	2.60	29.20	2.83	5.43	3.52	2.60	1.68
2009-10	30.40	25.36	5.04	31.05	0.65	5.69	3.95	5.04	3.50
2010-11	31.26	32.10	-0.84	37.44	6.18	5.34	4.59	Nil	Nil
2011-12	26.90	34.96	-8.06	40.66	13.76	5.70	15.04	Nil	Nil
ओ.सी.एफ.एस.									
2008-09	54.04	48.48	5.56	54.16	0.12	5.68	2.11	5.56	2.06
2009-10	53.63	26.32	27.31	33.06	Nil	6.74	2.57	6.74	2.57
2010-11	54.49	44.48	10.01	53.42	Nil	8.94	4.82	8.94	4.82
2011-12	50.43	41.60	8.83	49.04	Nil	7.44	5.38	7.44	5.38
ओ.सी.एफ.ए.									
2008-09	10.24	12.11	-1.87	14.02	3.78	1.91	1.22	Nil	Nil
2009-10	7.79	11.80	-4.01	12.88	5.09	1.08	0.63	Nil	Nil
2010-11	10.81	5.07	5.74	7.1	Nil	2.03	1.39	2.03	1.39
2011-12	10.67	5.56	5.11	7.67	Nil	2.11	2.11	2.11	2.11
कुल						**123.51**	**103.69**	**72.50**	**48.68**

तालिका यह दर्शाता है कि 14 में से 20 मामलों में फैक्ट्रियों ने उपलब्ध एस एम एच का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि समयोपरि का अधिक भुगतान किया गया। ओ ई एफ एच द्वारा एस एम एच के अनुपयोग की समग्र सीमा 53 प्रतिशत तक था। फैक्ट्रियों ने 123. 51 लाख समयोपरि घंटों की अनुमति दी, जिसमें से 72. 50 लाख घंटे (59 प्रतिशत) वास्तविक आवश्यकता से अधिक थी जिसका परिणाम यह हुआ कि 2008-12 के दौरान ₹48. 68 करोड़ का अधिक समयोपरि का भुगतान करना पड़ा, जिसमें से ₹24. 05 करोड़ (49 प्रतिशत) का भुगतान ओ ई एफ सी के द्वारा अकेले किया गया।

मंत्रालय का उत्तर तथा हमारी टिप्पणी तालिका-23 में दर्शायी गयी है।

तालिका-23: मंत्रालय का उत्तर और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
ओ.पी.एफ. में, 2009-10 के प्रतिवेदन में प्रदर्शित इनपुट श्रम घंटों में समयोपरि घंटे शामिल थे तथा आउट पुट एस.एम.एच. में 25 प्रतिशत की श्रांति अनुमेयता (फैटीग एलाउंस) शामिल नहीं थी। अतः 2009-10 में परिहार्य समयोपरि घन्टों की स्थिति प्रकट नहीं हुई। ओ.सी.एफ.एस. ने अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए समयोपरि देने का निर्णय लिया। ओ.ई.एफ.सी. ने समयोपरि आधार पर कार्य पर पर्याप्त नियंत्रण रखा। ओ.सी.एफ.ए. ने आउटपुट एस.एम.एच. से समयोपरि घंटों की प्रतिशतता में कमी का रूझान था।	ओ.पी.एफ. का प्रत्युतर सही नहीं है क्योंकि समयोपरि की गणना करते समय फैटीग एलाउन्स को शामिल नहीं किया गया था। ओ.सी.एफ.एस. एवं ओ.ई.एफ.सी. में समयोपरि के भुगतान के प्रति नियंत्रण के संबंध में मंत्रालय का दावा सही नहीं है, क्योंकि इन फैक्ट्रियों ने 2008-12 के दौरान, वास्तविक कार्यभार एवं उपलब्ध एस.एम.एस. पर ध्यान न देते हुए, नियमित रूप से समयोपरि का भुगतान किया।

6.2.3 आई.ई. को उजरती कार्य लाभ के लिए अतिरिक्त भुगतान

जैसा कि पैराग्राफ 6.2.1 के उल्लेख किया गया है कि श्रम अनुमान में 12.5 प्रतिशत की अनुमेयता को समाहित करते हुए किसी मद के निर्माण हेतु आवश्यक अवधि को दर्शाया जाता है। इसके बावजूद भी जून 2008 तक, फैक्ट्रियों ने श्रम अनुमान में 25 प्रतिशत अतिरिक्त समय आई.ई. के लिए उजरती कार्य (पी डब्लू) लाभ को भी अंतर्निहित प्रोत्साहन के रूप में शामिल किया। इस पर पहले की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा के वर्ष 2008 के प्रतिवेदन संख्या पी.ए. 4 में 'आयुध फैक्ट्री संगठन के रासायनिक फैक्ट्रियों का कार्य निष्पादन' पर टिप्पणी की गई है।

कार्य निष्पादन प्रतिवेदन के कार्यवाही टीपण्णी के परिपेक्ष में सितम्बर 2010 में मंत्रालय ने कहा था कि परीक्षण के विचारों को ध्यान में रखकर यह आश्वस्त किया गया कि चुँकि निरीक्षण पूरे आयुध निर्माणी बोर्ड से संबंधित है, अतः इसका अलग से परीक्षण किया जाना चाहिये।

इस आश्वासन के बावजूद यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये एवं सभी पाँच फैक्ट्रियों ने पी डब्लू मुनाफे के तहत एस एम एच में उल्लेखित उत्पादन का 25 प्रतिशत अधिक भुगतान किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान इस प्रकार के अधिक भुगतान की राशि ₹10. 91 करोड़ है, जो पूर्णतः अनियमित है।

भुगतानों का फैक्ट्रियों के अनुसार विवरण तालिका 24 में दिखाया गया है।

तालिका-24: उजरती कार्य लाभ में आधिक भुगतान

फैक्ट्री	अनुमेय उजरती कार्य लाभ प्रतिशतता[13]	वास्तविक भुगतान (₹ करोड़ में)	उजरती कार्य लाभ प्रतिशतता स्वीकार्य	भुगतान स्वीकार्य (₹ करोड़ में)	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)
ओ.ई.एफ.सी.	52.23	5.94	21.78	2.48	3.46
ओ.पी.एफ.	56.64	3.16	25.31	1.41	1.75
ओ.सी.एफ.एस.	39.36	4.27	11.49	1.25	3.02
ओ.सी. एफ.ए.	58.00	3.65	26.40	1.66	1.99
ओ.ई.एफ.एच.	66.99	1.39	33.59	0.70	0.69
				कुल	**10.91**

तालिका-25 में ओ.एफ.बी. का उत्तर तथा हमारी टिप्पणी दी गई है।

तालिका-25: ओ.एफ.बी. का उत्तर एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

ओ.एफ.बी. का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
अनुमान 25 प्रतिशत अंतनिर्हित प्रोत्साहन के बिना था। उजरती कार्य लाभ का भुगतान करते समय आउटपुट एस.एम.एच.का गुणन 1.25 कारकों से हुआ। अतः औद्योगिक कर्मचारियों को वही भुगतान मिला जो उन्हें पहले मिलता था और कहीं भी अतिरिक्त अदायगी नहीं हुई।	लेखा परीक्षा विवाद की स्वीकृति तथा ओ एफ बी के विषय के जाँच की आश्वासन के बावजूद मंत्रालय ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 25 प्रतिशत आउटपुट एस एम एच के लिये उजरती कार्य लाभ को अनियमित भुगतान जारी रखा गया।

[13] उजरती कार्यलाभ प्रतिशतता ={(1.25 x आउटपुट एस.एम.एच./इनपुट एस.एम.एच.)-1}x100
यह सूत्र जुलाई 2008 से प्रभावी हुआ । जुलाई 2008 के पहले लागू किए गये सूत्र के अनुसार लाभ का प्रतिशत ={(आउटपुट एस.एम.एच./ इनपुट एस.एम.एच.)-1}x100 जहां एस.एम.एच में 25 प्रतिशत का अंतर्निहित प्रोत्साहन शामिल था।

6.3 मशीनरी का अल्प उपयोग

6.3.1 मशीन घंटों के समय का समग्र अल्प उपयोग

मार्च 2008 में, ओ.एफ.बी. ने यह निर्णय लिया कि क्षमता उपयोग की गणना के लिए, उत्पादन कारखाने में एक संयंत्र की सामान्य क्षमता प्रत्येक महीने में 25 दिन युगल शिफ्ट (प्रत्येक शिफ्ट में आठ घंटे) में काम करने के आधार पर संगणित किया जाना था। इसके अनुसार मशीन की खराबी, औजार व्यवस्थापन अवधि, अनुपस्थिति आदि के लिए 20 प्रतिशत[14] घटाने के बाद प्रत्येक वर्ष मशीन घंटे 3840 निकलते हैं। अतः एक फैक्ट्री में कुल मशीन घंटे की वार्षिक उपलब्धता संयंत्र और मशीनरी की औसत संख्या जो कि उत्पादन अनुभाग में उपलब्ध कार्यकारी घंटों में 3840 द्वारा गुणित होती है, के आधार पर आकलित की जाती है। 2008-12 के दौरान उपलब्ध मशीन घंटों के उपयोग की प्रतिशतता निम्नवत थी :

तालिका-26: मशीन घंटों का उपयोग

फैक्ट्री का नाम	मशीन-घंटों के उपयोगिता का प्रतिशत			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ओ.ई.एफ.सी.	*	36.78	47.49	39.55
ओ.पी.एफ.	52.27	46.66	52.21	54.56
ओ.सी.एफ.एस.	51.45	31.12	55.39	84.28
ओ.सी.एफ.ए.	54.60	58.13	76.42	60.48
ओ.ई.एफ.एच.	75.55	57.28	68.65	67.49

**** हमारे द्वारा पूछे गये आंकड़े आवश्यक रूप में उपलब्ध नहीं थे।***

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2011-12 में ओ.सी.एफ.एस. के अलावा किसी भी फैक्ट्री ने 2008-12 के दौरान उपलब्ध मशीन घंटों के 80 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया। उपलब्ध मशीन घंटों के अल्प-उपयोग का प्रतिशत, ओ.ई.एफ.सी. (53 से 63), ओ.पी.एफ. (45 से 53) और ओ.सी.एफ.एस. में (16 से 69) काफी अधिक था। आगे ओ.सी.एफ.ए. और ओ.ई.एफ.एच. द्वारा प्रतिवेदित मशीन घंटों का उपयोग (55 से 76 प्रतिशत) और ओ. सी.एफ.एस. 2011-12 के लिए प्रतिवेदित 84 प्रतिशत, के आंकड़े स्पष्टतः अधिक दिखाए गए थे क्योंकि उन फैक्ट्रियों में एकल शिफ्ट के आधार पर कार्य किए जाने पर उपलब्ध मशीन क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया गया, जिसकी गणना युगल शिफ्ट के आधार पर की जाती है। हमारे द्वारा विश्लेषण के अनुसार एकल शिफ्ट के आधार पर मशीनों का कार्य,

[14] उपर्युक्त किसी नई मशीन के अधिप्राप्ति के पहले मूल्य लाभ का निर्धारण करने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया।

इनपुट सामग्रियों की विलंबित अधिप्राप्ति और उसके साथ-साथ कार्यों के व्यापार पर निर्भरता के कारण मशीन-घटों का अल्प उपयोग हुआ।

एकल शिफ्ट के आधार पर काम करने को उचित सिद्ध कर, मंत्रालय ने कहा कि दो शिफ्ट में काम करने पर अतिरिक्त श्रमशक्ति का इस्तेमाल करना होगा। आगे कहा गया कि ओ.सी.एफ.ए. और ओ.ई.एफ.एच. द्वारा प्रतिवेदित 50 प्रतिशत मशीन घंटों का उपयोग सही था, क्योंकि फैक्टियों ने समयोपरि आधार पर कार्य किया।

मंत्रालय का तर्क निम्नलिखित तथ्यों के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकताः

- ओ.एफ.बी. के मार्च 2008 के निर्देशों के अनुसार, कितने युगल शिफ्ट के आधार पर हमने युगल शिफ्ट आधार पर मशीन-घंटों की उपलब्धता की गणना की। मशीन-घंटों के सतत् अल्प उपयोग के बावजूद, ओ.ई.एफ. एच.क्यू. ने ऐसी प्रभावी योजना नहीं बनाई कि उपलब्ध श्रमशक्ति के साथ मशीनों का उपयोग युगल शिफ्ट के आधार पर किया जाये। ओ.एफ.बी. ने भी विभिन्न फैक्ट्रियों में मशीन घंटों के अल्प उपयोग का अनुश्रवण नहीं किया। अधिप्राप्ति योजना को व्यवस्थित करने के साथ-साथ उपलब्ध अंतर्वर्ती क्षमता की उपलब्धता के बावजूद फैक्ट्रियों को कार्यों को वितरित करने के लिए निर्देश न देने पर जो कार्यवाही की गई, उसपर प्राप्त उत्तर में कोई चर्चा नहीं थी।
- ओ.एफ.बी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार 54 घंटों तक (ओ.टी. को शामिल करके) काम करने के आधार पर अर्थात प्रतिदिन नौ घंटे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 56 प्रतिशत[15] तक अधिकतम मशीन धंटों का उपयोग संगणित किया जाता है। अतः ओ.सी.एफ.ए. और ओ.ई.एफ.एच के संबंध में 76 प्रतिशत तक मशीन उपयोग का दावा मान्य नहीं है।

समापन सम्मेलन में, सदस्य (ओ.ई.एफ.जी.और वित्त) ने उत्पादकता को बेहतर करने का आश्वासन दिया की इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

6.3.2 महत्वपूर्ण अल्पउपयोग के विशिष्ट मामले

हमने ओ.पी.एफ. तथा ओ.सी.एफ.एस. में 91 कीमती मशीनों के महत्वपूर्ण अल्प/अनुपयोग को देखा जिसका उल्लेख संक्षित रूप से नीचे किया गया हैः

[15] 16 घंटों के कार्य के युगल शिफ्ट के प्रति,9 घंटे मशीन कार्य हेतु उपयोग की अधिकतम प्रतिशतता =9/16x100=56.25 प्रतिशत

- अप्रैल 2001 में मिले आदेश के आधार पर, ओ.पी.एफ. ने ₹4.88 करोड़ मूल्य के 40 मोजे बुनाई मशीनों का क्रय किया। मशीनों की क्षमता, युगल शिफ्ट के आधार पर, 10 लाख भारी ऊनी खाकी मोजे तथा 4 लाख जैतूनी हरे मोजों के प्रतिवर्ष निर्माण की थी। ओ.पी.एफ. ने मार्च 2003 में ₹28.16 लाख प्रतिवर्ष की लागत पर फर्म के साथ एक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) की। इसके बाद, ए.एम.सी. को दिसम्बर 2011 तक बढ़ाया गया था और पिछले सात वर्षों के दौरान फर्म को ₹1.97 करोड़ अदा किए गये। जबकि कम कार्यभार होने के कारण 2008-11 के दौरान, मशीनों का 62 से 77 प्रतिशत तक अल्प उपयोग किया गया। फैक्ट्री प्रबंधन ने इन मशीनों के अधिकतम उपयोग के लिए कोई प्रभावी योजना नहीं बनायी।

- इसी प्रकार, ओ.सी.एफ.एस. में, 2008-11 के दौरान, प्रतिवर्ष 12.90 लाख की क्षमता वाली ₹6.10 करोड़ कीमत की, 50 मोजे बुनाई मशीनों का उपयोग 29 से 63 प्रतिशत तक नीचे आया। ओ.सी.एफ.एस. पिछले पांच वर्षों में, इन मशीनों के ए.एम.सी. पर खर्च करता रहा जिसका कुल योग ₹2.07 करोड़ था।

- ओ.पी.एफ. ने, मेसर्स आई.आई.जी.एम. प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली पर फरवरी 2009 में ₹2.26 करोड़ की कीमत के एक सेट कम्प्यूटर सहाय्यित अभिकल्प/निर्माण (सी.ए.डी./सी.ए.एम) प्रणाली का आदेश प्रस्तुत किया। फैक्ट्री में यह प्रणाली अगस्त 2009 में प्राप्त होने के बाद भी, ओ.पी.एफ. में प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए छः महीने का समय लगा। जहां की श्रम तथा सामग्री की ओर ₹45 से ₹50 लाख तक की वार्षिक लाभ का ध्यान रखना था, वहीं इस प्रणाली की शुरूआत करके केवल ₹6 लाख ही बचा पाया। इसके अतिरिक्त सामग्री का निर्धारण 31 मार्च 2012 तक संशोधित नहीं किया गया गया था। विभंगी रजिस्टर भी इसी ओर इंगित करता है कि अप्रैल 2012 तक मार्च 2013 के बीच इस प्रणाली के कारण बहुत बार छोटी-मोटी खराबियाँ हुईं। अतः इस प्रणाली का अभी तक भी पूरी तरह से कार्यान्वित होना बाकी था।

मंत्रालय/ओ.एफ.बी. का उत्तर और लेखापरीक्षा टिप्पणी तालिका-27 में दिखाई गई है।

तालिका-27: मंत्रालय /ओ.एफ.बी. का उत्तर और लेखापरीक्षा टिप्पणी

मंत्रालय /ओ.एफ.बी. का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
ओ.पी.एफ. की 40 मशीनें उत्पादन और आकार के अनुसार विशिष्ट थी तथा पूरे वर्ष इनका समान रूप से उपयोग नहीं किया गया था। इसी कारण से उपयोग का औसत प्रतिशत कम हो गया था। ओ.सी.एफ.एस. मे मांगकर्ता द्वारा दिए गए लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता था।	इस तथ्य के बावजूद, कि मशीनें उत्पाद/ आकार के लिए विशिष्ट थी तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग होनी थी, ओ.सी.एफ.एस. एवं ओ.पी.एफ. में मशीनों के भारी अल्प-उपयोग पर उत्तर में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया। फैक्ट्रियों द्वारा अधिकतम उपयोग के लिए मशीनों के कार्यभार को मूल्यांकित करने में, किए गए प्रयत्नों का उल्लेख, उत्तर में नहीं किया गया।

6.4 सामग्री नियंत्रण

भंडारण तथा सामग्री पारागमन लागत को कम करने के लिए, सामग्री आवश्कताओं, तय लक्ष्यों, वास्तविक तथा लक्षित सामग्री की स्थिति का प्रतिवेदन, सामग्री-चलन का अनुश्रवण कर चिन्हित करने के लिए किसी भी संगठन में दक्ष सामग्री प्रबंधन की आवश्यकता है। ओ.ई.एफ.जी. में सामग्री में विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) समाहित होता है जिसमें मुख्य रूप से कार्यकारी स्टॉक (सक्रिय, अचल और कम उपयोग होने वाले भंडार) अनुरक्षण भंडार, अधिक/रद्दी/अनुपयोगी/अप्रचलित भंडार शामिल हैं। फैक्ट्रियों में एच.आई.एच. सामग्री का स्तर, उत्पादकता की निरंतरता को बनाए रखने वाले मदों की विशिष्टता, अधिप्राप्ति में लगने वाला समय, स्रोतों की उपलब्धता और फैक्ट्रियों में भंडारण स्थल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ओ.एफ.बी. के एम.एम.पी.एम. के पैरा 3.4 के अनुसार ओ.ई.एफ.जी. के संबंध में एस.आई.एच. सामग्री को अधिकतम स्तर तीन महीने अर्थात 90 दिनों तक भंडारित कर सकते हैं। लेखा की संवीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि, ओ.ई.एफ.जी.का सामग्री भंडारण, 2008-12 के दौरान, प्रत्येक वर्ष 90 दिनों के प्राधिकृत भंडारण सीमा से अधिक हुआ, जैसा कि तालिका-28 में दर्शाया गया है।

तालिका- 28: अंतिम स्टॉक का विश्लेषण

क्रम संख्या	विवरण	(₹ करोड़ में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यकारी स्टाक	मूल्य			
क	सक्रिय	65	70	82	107
ख	कम निर्गमित होने वाले	8	10	12	9
ग	अनुपयोगी	4	4	5	4
	कुल कार्यकारी स्टाक	77	84	99	120
2.	अप्रचलित एवं रद्दी	1	0	1	0
3.	अधिक भंडार/छीजन	0	1	0	1
4.	अनुरक्षण भंडार	5	5	3	3
	कुल	**83**	**90**	**103**	**124**
5.	*वर्ष के अंतर्गत उपभोग किये गये भंडार (प्रत्येक दिन की औसत खपत)*	310 *(0.849)*	289 *(0.792)*	341 *(0.934)*	406 *(1.112)*
6.	दिनों के संदर्भ में खपत का औसत भंडारण	98 दिन	114 दिन	110 दिन	112 दिन
7.	कुल कार्यकारी स्टाक से कम निर्गमित होने वाले तथा अनुपयोगी भंडारणों का प्रतिशत	16	17	17	11

[स्रोतः पी.सी.ए. (फैक्ट्रियां) द्वारा तैयार किया गया वार्षिक लेखा की पुनरीक्षा और ओ.एफ. संगठन का वार्षिक भंडार लेखा]

तालिका से स्पष्ट है कि एस.आई.एच. का औसत भंडारण 98 से 114 दिनों की खपत के बराबर था, जिसके कारण सार्वजनिक धन का अनावश्यक जमाव हुआ। आगे कार्यकारी स्टॉक के 11 से 17 प्रतिशत के आयाम में, कम निर्गमित होने वाले/अनुपयोगी भंडारों का एकत्रीकरण हुआ, जिससे विशेषकर 2008-11 के दौरान शीघ्र निस्तारण हेतु ऐसे भंडारों को चिन्हित करने में फैक्ट्रियों के प्रयत्न का अभाव परिलक्षित होता है। तालिका-29 में सामग्री के भंडारण की तुलना को फैक्ट्री के अनुसार दर्शाया गया है।

तालिका-29: अतिरिक्त सामग्री भंडारण का फैक्ट्रीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंतिम स्टाक	वर्ष के अंतर्गत उपभोग किए गए भंडार	प्रत्येक दिन की औसत खपत	खपत के दिनों के संदर्भ में भंडारण (दिनों)	अतिरिक्त भंडारण (दिनों)	अतिरिक्त भंडारण का मूल्य
ओ.ई.एफ.सी.						
2008-09	33.76	149.45	0.409	83	शून्य	शून्य
2009-10	31.59	137.02	0.375	84	शून्य	शून्य
2010-11	40.21	151.34	0.415	97	7	2.90
2011-12	47.02	130.61	0.358	131	41	14.72
ओ.पी.एफ.						
2008-09	14.05	46.02	0.126	112	22	2.76
2009-10	10.97	51.28	0.140	78	शून्य	शून्य
2010-11	12.51	39.13	0.107	117	27	2.89
2011-12	18.81	59.47	0.163	115	25	4.09
ओ.सी.एफ.एस.						
2008-09	24.01	60.47	0.166	145	55	9.11
2009-10	28.02	48.75	0.134	209	119	15.95
2010-11	36.94	86.24	0.236	157	67	15.76
2011-12	38.77	126.23	0.346	112	22	7.62
ओ.सी.एफ.ए.						
2008-09	5.94	38.43	0.105	57	शून्य	शून्य
2009-10	8.66	33.92	0.093	93	3	0.28
2010-11	6.43	35.16	0.096	67	शून्य	शून्य
2011-12	8.66	57.70	0.158	55	शून्य	शून्य
ओ.ई.एफ.एच.						
2008-09	5.77	15.24	0.042	137	47	1.98
2009-10	10.96	17.92	0.049	224	134	6.56
2010-11	7.40	28.66	0.079	94	4	0.31
2011-12	11.45	31.98	0.088	130	40	3.52

20 में से 14 मामलों में सामग्री भंडारण में, 90 दिनों की प्राधिकृत सीमा का अतिक्रमण हुआ। ओ.सी.एफ.एस. में, 2008-12 के दौरान, अतिरिक्त भंडारण ही 22 और 119 दिनों के मध्य था, जबकि वही, ओ.ई.एफ.एच. में 2008-09, 2009-10 और 2011-12 में क्रमशः 47,134 और 40 दिनों का था। ओ.ई.एफ.सी. में 2011-12 में अतिरिक्त भंडारण 41 दिनों का था।

ओ.एफ.बी. ने अप्रैल 2012 में कहा कि, ओ.सी.एफ.एस. का औसत स्टॉक भंडारण, 2008-09 और 2010-11 के वर्षों के लिए, निर्धारित सीमा से कम था। जबकि ऊपर दिए गए तथ्य, ओ.एफ.बी. के तर्कों का समर्थन नहीं करते। ओ.पी.एफ. (2008-09 और 2010-11) तथा ओ.ई.एफ.एच. (2008-09 और 2009-10) में, अतिरिक्त स्टॉक भंडारण एवं स्टॉक स्तर को कम करने के लिए जो कार्रवाई हुई, उसकी चर्चा उत्तर में नहीं की गई है।

6.5 लेखा परीक्षा निष्कर्ष

उत्पादन योजना में प्रणालीगत कमियों, प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों की तैनाती कार्यभार के अनुरूप नहीं होने और एकल शिफ्ट के आधार पर मशीनों के कार्य से नियमित रूप से समयोपरि का भुगतान करने के साथ-साथ सभी फैक्ट्रियों में मशीनी-घंटों का भारी अल्प उपयोग हुआ। ओ.सी.एफ.एस., ओ.ई.एफ.एच. और ओ.पी.एफ. में, मुख्य रूप से, अतिरिक्त सामग्री भंडारण के कारण उत्पादन में कमी और अति प्रावधान निम्न स्तरीय सामग्री प्रबंधन की ओर इंगित करता है।

संस्तुति 10

ओ.एफ.बी. को सुनिश्चित करना चाहिए कि, फैक्ट्रियाँ अपने उत्पादन क्रिया-कलापों का दक्षतापूर्ण नियोजन करे, कार्यभार आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी श्रमशक्ति को सही दिशा में विवेकपूर्ण तरीके से तैनात करें तथा कार्य के लिए समयोपरि भुगतान पर निर्भरता के पूर्व उपलब्ध एस.एम.एच. का पूर्ण रूप से उपयोग करें।

संस्तुति 11

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये की ओ.एफ.बी. निश्चित किये गये आउटपुट एस एम एच के ऊपर अतिरिक्त 25 प्रतिशत छोड़कर उजरती कार्य लाभ का भुगतान करने के लिये सही प्रणाली का पालन करे।

संस्तुति 12

क्षमता उपयोग तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ओ.एफ.बी. को फैक्ट्रियों में युगल शिफ्ट कार्य को कार्यरूप में लाने का प्रयास करना चाहिए।

संस्तुति 13

उचित पहचान के बाद सभी अधिक/अप्रचलित/अनुपयोगी/रद्दी को निस्तारित करने के लिए ओ.एफ.बी. को विभिन्न फैक्ट्रियों में सामग्री भंडारण की सामयिक पुनरीक्षा की प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

अध्याय VII: गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

क्या इनपुट सामग्री तथा तैयार उत्पादों के लिए पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी तथा आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादों का प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध नियंत्रण व्यवस्था कुशल एवं प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

- *इनपुट सामग्री के परीक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया; एवं*
- *फैक्ट्री स्तर पर अस्वीकृति एवं गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं द्वारा प्रूफ अस्वीकृति के मानक।*

7.1 सामान्य

सेवाओं को अंतिम उत्पाद के निर्गम के पूर्व, आयुध फैक्ट्रियाँ बहुस्तरीय जाँच, गुणवत्ता नियंत्रण तथा गुणवत्ता आश्वासन की पद्धति का अनुपालन करती हैं। इनपुट सामग्री एवं निर्माण प्रक्रिया में संयोजनों/संघटकों की स्तरीय/अंतर-स्तरीय जाँच का उत्तरदायित्व फैक्ट्री के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग के पास होता है। सेवाओं को अंतिम उत्पादों के निर्गम के पूर्व उनके गुणवत्ता आश्वासन का उत्तरदायित्व डी.जी.क्यू.ए. संगठन के पास है। अतः ओ.ई.एफ.जी. तथा डी.जी.क्यू.ए. संयुक्त एवं गंभीर रूप से सेवाओं को अच्छी गुणवत्ता की मदों के निर्गमन के लिए उत्तरदायी है गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन से संबंधित कार्य-कलापों का प्रवाह चार्ट **अनुलग्नक-III** दिया गया है।

हमने विभिन्न स्तरों पर अपर्याप्त निरीक्षण, आवर्ती अस्वीकृति एवं उपभोक्ताओं से प्रायः प्राप्त होने वाले परिवादों को पाया जिसके बारे में आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

7.2 व्यापार से अधिप्राप्त इनपुट सामग्री की अपर्याप्त जाँच

ओ.एफ.बी. का मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का पैराग्राफ 1.4 यह दर्शाता है कि फैक्ट्री में प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर सभी सामग्रियों की जाँच की जानी चाहिए। तथापि ओ.ई.एफ.जी. के अंतर्गत प्रत्येक फैक्ट्रियों ने पैराशूट तथा यूनीफार्म के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री हेतु जाँच के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि 10 से 15 दिन का विविधता पूर्ण मानक निश्चित किया। अपवाद के रूप में, ओ.सी.एफ.ए. ने 18 से 26 दिनों की न्यूनतम अवधि का मानक निश्चित किया। एस.ओ.पी. के पैराग्राफ 2.1 तथा 2.5 गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, प्रतिदर्श योजना एवं मानकों के अनुसार, प्रतिदर्शों को प्राप्त कर, संबंधित उत्पाद विशिष्टता तथा अभिकल्प के संदर्भ में इनपुट

सामग्री का दृश्य एवं विमीय जाँच करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वयं के/एन.ए.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को प्रेषित करता है। जाँच अधिकारी को आवश्यकता पर सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं की अंतिम स्वीकृति के पूर्व संबंधित उत्पादन अनुभाग से स्वीकार्यता के बारे में टिप्पणी प्राप्त करना आवश्यक होता है।

हमने देखा कि फैक्ट्रियों ने जाँच के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि के मानक का अनुपालन नहीं किया एवं इनपुट सामग्री की जाँच में कम समय लिया तथा प्रतिवर्ष विशेषकर 31 मार्च को विभिन्न वस्त्र एवं विविध मदों को उनकी प्राप्ति की तारीख को ही स्वीकृत किया जैसा कि तालिका-30 में दर्शाया गया है:

तालिका-30: अपर्याप्त जाँच के मामले

फैक्ट्री	प्राप्ति की तारीख को ही जाँच		आवश्यक न्यूनतम अवधि से कम समय में जाँच			अभ्युक्ति
	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रू. में)	लिया गया समय	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रू. में)	
ओ.ई.एफ.सी.	49	767.63	1-5 दिन	40	433.78	लघु प्रतिदर्श पर नमूना जाँच
ओ.पी.एफ.	14	57.32	1-5 दिन	150	224.57	- तदैव-
ओ.सी.एफ.एस	2	1.06	1-6 दिन	19	63.87	- तदैव-
ओ.सी.एफ.ए.	11	109.01	1-17 दिन	2170	137.09	3787 अभिलेखों के प्रतिदर्श से निष्काशित आकड़े
ओ.ई.एफ.एच.	22	98.03	1-5 दिन	731	609.56	लघु प्रतिदर्श पर नमूना जाँच

अतः आवश्यक न्यूनतम अवधि की तुलना में कम समय में इनपुट सामग्री की जाँच तथा प्राप्ति की तारीख को ही उनकी जाँच दोषमुक्त व अपर्याप्त एवं इनपुट सामग्री की गुणवत्ता से समझौते के जोखिम युक्त है।

मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण/गुणवत्ता जाँच के लिए पर्याप्त समय देने की प्रक्रिया के अनुसार सामग्री को स्वीकृत किया गया तथा गुणवत्ता से समझौता नहीं किया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यक न्यूनतम अवधि (10 से 15 दिन) के प्रति जाँच के लिए लिया गया समय कम था,(एक से छः दिन) स्पष्ट रूप से इनपुट सामग्री की गुणवत्ता तथा जाँच की पर्याप्तता पर संदेह उत्पन्न करता है जैसा की पैराग्राफ 7.2.1 की और 7.3 में वर्णित है।

7.2.1 वास्तविक प्राप्ति के समक्ष इनपुट सामग्री का निरीक्षण

हमने ऐसे विशिष्ट मामलों को पाया जहाँ आपूर्तिकर्ताओं के चालान की तारीख व प्राप्ति जाँच एवं स्वीकृति की तारीख (मुख्य रूप से 31 मार्च 2010 एवं 2011) एक ही थी, जैसा कि फैक्ट्रियों द्वारा दर्शाया गया है। चूंकि फर्में मुंबई, भीलवाड़ा, फगवाड़ा, फरीदाबाद इत्यादि में अवस्थित थी जो, कि इन फैक्ट्रियों से काफी दूर थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि इन मामलों में जाँच के साथ समझौता किया गया।

दो मामलों में, भंडारों की वास्तविक प्राप्ति के पूर्व ही फैक्ट्रियों ने एक ही तारीख (31 मार्च) को भंडार को प्राप्त किया, उनकी जाँच की तथा उसे ग्रहीत किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- जनवरी 2009 के एक आदेश के प्रति, मेसर्स एस.एस. इन्टरप्राइजेज कानपुर ने ओ.पी.एफ. कानपुर को 76,400 मीटर 25 एम.एम.पालिस्टर टेप की (चालान संख्या 01 दिनांक 08 अप्रैल 2009) आपूर्ति की। तथापि, फैक्ट्री ने 31 मार्च 2009 को ही भंडार को प्राप्त किया, जाँच की तथा उसे ग्रहीत किया; एवं
- मेसर्स सुनील इंडस्ट्रीज मुंबई ने ओ.ई.एफ. हजरतपुर को 27,828.60 मीटर गबरडीन कपड़े का प्रेषण किया (चालान संख्या 883 दिनांक 31 मार्च 2011), तथापि फैक्ट्री ने 30 मार्च 2011 को ही प्रेषण को प्राप्त किया, जाँच की तथा भंडार को ग्रहीत किया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि फैक्ट्रियों ने केवल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए प्राप्ति तथा सामग्री की जाँच के बिना ही अग्रिम प्राप्ति वाउचर तैयार किया।

मंत्रालय ने 31 मार्च अर्थात प्राप्ति की तारीख को कुछ प्राप्ति वाउचरों के उपक्रम को वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रतिबद्धता की आवश्यकता के आधारों पर औचित्यपूर्ण ठहराया। मंत्रालय द्वारा दी गई सफाई दर्शाई गयी अत्यावश्यकता लोक निधि से रूपये का भुगतान तथा व्यय से संबंधित साधारण सिद्धान्तों के विरूद्ध जाती है। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस प्रकार की अनियमितताओं को प्रश्रय नहीं दिया जाये।

7.3 दोषपूर्ण सामग्री की स्वीकार्यता

एस.ओ.पी. का पैराग्राफ 12.1 विशिष्ट अथवा अभिकल्प से विचलित सामग्री की स्वीकार्यता की अनुमति प्रदान करता है, जो किसी क्रय आदेश अवधि एक निश्चित

मात्रा को पूर्ण करने के लिए उसके प्रयोग के लिए सीमित होता है। सूक्ष्य विचलन के साथ सामग्री की स्वीकार्यता तभी अनुमेय है जब यह कार्य, व्यवहार्यता, टिकाऊपन, अंतर-परिवर्तनीय अथवा सुरक्षा को प्रभावित न करे।

एस.डी. पैराशूट

ब्रेक पैराशूट

हमने पाया कि फैक्ट्रियों के क्यू.सी. अनुभाग द्वारा विशिष्टि से विचलन वाली सामग्री को नियमित रूप से स्वीकार किया गया जिसके कारण निर्माण प्रक्रिया में कई दोष सामने आए तथा अंतिम उत्पादों के कार्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद गुणवत्ता आश्वासन स्थापना की जाँच में अस्वीकृत हो गए तथा दोषयुक्त इनपुट सामग्री के कारण सुधार हेतु वापस किए गए। तालिका-31 में कुछ मामले उदाहरण के रूप में दिए गए है:-

तालिका-31: दोषमुक्त सामग्री की स्वीकार्यता

फैक्ट्री	मद आपूर्तिकर्ता आदेश की तारीख	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
ओ.सी.एफ ए., ओ.ई.एफ.एच.	पैराशूट के लिए वस्त्र मेसर्स महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड मई 2010	डी.जी.क्यू.ए. संगठन की गुणवत्ता परामर्शी टिप्पणी के विरूद्ध (नवंबर 2009), फैक्ट्रियों ने (₹ 2.78 करोड़ लागत) बुनाई संबंधी दोषों वाले वस्त्र को स्वीकृत किया तथा उसे पैराशूट के निर्माण में प्रयुक्त किया	गुणवत्ता से समझौता किए बिना आपूर्ति आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार सामग्री को स्वीकृत किया गया	परामर्शी टिप्पणी में वायु की पारगम्यता के विपरीत पैराशूटों के संभावित विफलता की सावधानी के बावजूद पैराशूट के निर्माण में दोषयुक्त वस्त्रों का उपयोग किया गया। कटिंग शाप के लिए 34,000 मी वस्त्र में हुई कमी के बारे में भी शिकायत की। परंतु प्रतिस्थापन नहीं किया गया था। यह इस ओर संकेत करता है कि विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त ना करने पर सामग्रियों का प्रयोग पैराशूट के निर्माण में किया गया था।

फैक्ट्री	मद आपूर्तिकर्ता आदेश की तारीख	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
ओ.सी.एफ.एस.	कोट इ.सी.सी. तथा कैप ग्लेशियर के लिए वस्त्र मेसर्स राडो इंडस्ट्रीज लिमिटेड अक्टूबर 2010	बेस के कोर्स एंड वेल्स एंड मास/ एल्यूमिनाइज्ड फैब्रिक के निर्धारित मानदंडो से विचलन के बावजूद, मद (₹37.05 लाख मूल्य के) स्वीकृत किए गए। भंडारों की कमी की शिकायत भी कटिंग शाप ने की थी जो यह इंगित करता है कि सामग्री विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया।	एल्युमिनियम आवरण एवं प्रस्फुटन शक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मात्रा से अधिक फैक्ट्री ने भंडार को स्वीकार किया।	सामग्रियों की स्वीकृति विशिष्ट लक्ष्यों से बार-बार विचलित होने के बावजूद तथा दुकानों में उनका निर्गमन इस ओर संकेत करता है कि इनपुट सामग्रियों पर गुणवत्ता नियंत्रण की कमी थी।
ओ.सी.एफ.एस	कोट ई.सी.सी. के लिए वस्त्र मेसर्स शुभ स्वासन (आई) प्रा.लि. अक्टूबर 2010	यद्यपि भंडार (₹ 3.28 करोड़ लागत) प्रयोगशाला परीक्षण में सूत/से.मी. एवं द्रव्यमान/वर्ग.मी. जैसे मानदंडों में निर्धारित मान को प्राप्त नहीं कर सका फिर भी दोषों सहित उसे स्वीकृत किया गया।	दोषों से अंतिम उत्पादों की व्यवहार्यता एवं टिकाउपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।	दोषयुक्त सामग्री की स्वीकृति एवं उपयोग, एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) शाहजहाँपुर के विशिष्ठ अनुदेशों के विरूद्ध है।
ओ.ई.एफ.एच.	पालिस्टर वस्त्र एवं विघटनकारी सूत में. नाहर इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड अक्टूबर 2009	4 के स्थान पर 3/4 मूल्य सहित रबिंग ब्राउन एवं ब्लैक से रंग की गहराई में दोष होने पर भी भंडार (₹3.35 करोड़ की लागत) स्वीकृत किया गया।	इनपुट सामग्री की जाँच के लिए सूक्ष्म दोष वाली सामग्री की स्वीकृति एस.ओ.पी. के अनुसार थी तथा विचलन, मानकों के अनुरूप था।	उत्तर में सूक्ष्म विचलन सहित दोष युक्त वस्त्र सूत की नियमित स्वीकृति के कारण अंततः रंग के हल्का होने, रंगों में विषमता तथा यूनीफार्म के स्वरूप आदि तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

7.4 गुणवत्ता आश्वासन में मदों की आवर्ती विफलता

वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस.क्यू.ए.ई.) द्वारा प्रूफ जाँच के पश्चात फैक्ट्रियों के गुणवत्ता नियंत्रक अनुभाग द्वारा एक स्वीकृत होने के पश्चात स्थापित मदों को सुधार के लिए वापस किए जाने की आशा नहीं की जाती, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण में शत-प्रतिशत जाँच एवं सभी अनुपयुक्त मदों की अस्वीकृति समाहित होती है।

तथापि, जब भी गुणवत्ता आश्वासन में अंतिम स्वीकृति हेतु उत्पाद को प्रस्तुत किया जाता है, एस.क्यू.ए.ई. के प्रतिनिधि, अंतिम स्वीकृति हेतु विफल रहने वाले उत्पादों को वापस कर सकते हैं। ऐसे उत्पादों को सुधार हेतु वापस (आर.एफ.आर.) के रूप में

वर्गीकृत किया जाता है तथा फैक्ट्री द्वारा नये सिरे से सुधार के पश्चात पुनः नये सिरे से जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

तालिका-32 में आर.एफ.आर. मदों के बड़े दृष्टातों के बारे में दिया गया है। 2008-09 में उत्पादित 91 मदों में से 34 मदों, 2009-10 और 2010-2011 में उत्पादित 208 एवं 187 मदों में से 143 मदों तथा 2011-12 में उत्पादित 77 मदों में से 60 मदों के आर.एफ.आर. का फैक्ट्री-वार रूझान, विश्लेषित किया गया।

तालिका-32: आर.एफ.आर. का फैक्ट्री-वार विवरण

फैक्ट्री	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	मदों की संख्या	आर.एफ.आर. प्रतिशतता की रेंज	मदों की संख्या	आर.एफ.आर. प्रतिशतता की रेंज	मदों की संख्या	आर.एफ.आर. प्रतिशतता की रेंज	मदों की संख्या	आर.एफ.आर. प्रतिशतता की रेंज
ओ.पी.एफ	3	6.85 – 8.87	7	7.60 – 12.28	7	8.05 – 12.99	10	7.33 – 14.79
ओ.सी.एफ.एस	15	21.41 – 66.39	12	21.53 – 55.87	12	15.23 – 73.21	16	10.93 – 48.87
ओ.सी.एफ.ए.	5	5.44 – 42.90	5	6.54 – 32.80	2	20.57 – 34.18	10	19 – 54.66
ओ.ई.एफ.एच.	3	3.49 – 10.04	4	3.12 – 100	3	8.89 – 33.97	6	9.52 – 50.06
ओ.ई.एफ.सी.	**	**	103	5.66 – 22.02	29	6.52 – 42.59	14	6.91–27.80

***** हमारे द्वारा पूछे गये आंकड़े आवश्यक प्रारूप में उपलब्ध नहीं थे।***

हमने पाया कि –

- ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) के अपर महानिदेशक ने (मार्च 2008), लाइन निरीक्षकों द्वारा निष्पादित लापरवाही पूर्ण अनुचित कार्यों एवं अप्रभावी पूर्व निरीक्षण के कारण विभिन्न वस्त्रों कें उच्च आर.एफ.आर. प्रतिशतता के बारे में ओ.सी.एफ.एस. के वरिष्ठ महाप्रबंधक (जी.एम.) को अवगत कराया। उन्होंने वरिष्ठ महाप्रबंधक को, आर.एफ.आर. प्रतिशतता को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व-निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अनुदेश दिया। तथापि आर.एफ.आर. में कोई प्रगति नहीं देखी गई। फरवरी 2012 में पुनः एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) ने ओ.सी.एफ.एस. के महाप्रबंधक तैयार उत्पादों के अप्रभावी/अनुचित पूर्व निरीक्षण एवं नियुक्त स्टॉफ द्वारा उत्पादों के गुणवत्ता स्तर की कामचलाऊ स्वीकृति को उद्धृत करते हुए, आर.एफ.आर. की अधिकता के दृष्टांतों के बारे में सूचित किया।
- 2008-12 के दौरान 31 मदों के संबंध में 266 मामलों में से 72 मामलों में, आर.एफ.आर. की महत्वपूर्ण मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत तक पाई गई।

यह, फैक्ट्री स्तर पर उचित गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति के अभाव तथा फैक्ट्रियों में विशिष्ट गुणवत्ता के मदों के निर्माण में उनकी अकुशलता की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

इन कमियों के कारण, फैक्ट्रियों में पुनः सुधार तथा उसके पश्चात गुणवत्ता आश्वासन एजेन्सियों द्वारा पुनः प्रूफ परीक्षण के कारण, इन मदों के उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। साथ ही फैक्ट्रियों से मांगकर्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ओ.एफ.बी. ने (अप्रैल 2012) कहा किः

- निकासी एस.क्यू.ए.ई. (जी एस) द्वारा प्रदर्शित आर.एफ.आर. का कारण प्रमुख रूप से व्यक्ति परक आधार पर था तथा किसी वस्तुपरक मूल्यांकन मानदंड के आभाव में फैक्ट्री द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती;
- वस्त्रादिक मदों के थोक उत्पादन में घटित होने वाले दोष, व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति के/सुधार योग्य थे तथा इसकी बहुत कम प्रतिशत मात्रा सुधार योग्य नहीं थे जिसके लिए यू.ए.आर. प्रतिशतता का प्रावधान होता है; तथा
- भंडार (आर.एफ.आर. के रूप में तैयार उत्पाद) का सुधार/मरम्मत कार्य पुनः प्रक्रमण द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किया गया।

स्थापित उत्पादों/न्यून तकनीकी के संबंध में आर.एफ.आर. मामलों की आवृत्ति, फैक्ट्रियों में उचित गुणवत्ता नियंत्रण के आभाव को दर्शाता है, जिसके कारण अंततः परेषिति को उत्पादों के प्रदाय में चूक हुई। सी.क्यू.ए. (टी.एवं सी.) कानपुर ने भी जुलाई 2012 में स्वीकार किया कि आयुध फैक्ट्रियों द्वारा यथार्थ-परक गुणवत्ता जाँच नहीं किए जाने के कारण आर.एफ.आर. की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे, यह दावा कि दोषों के निवारण हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया, सही नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष सामग्री तथा प्रत्यक्ष श्रम लागत के अंतर्गत फैक्ट्रियों के लेखा में उत्तरदायी है। बल्कि ये सभी उपरिव्यय के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज थे।

समापन बैठक में सदस्यों ने (ओ.ई.एफ.जी. एवं वित्त) भी आर.एफ.आर. मामलों के लिए श्रम घंटों एवं श्रम लागत को दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

7.5 गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण के दौरान अंतिम अस्वीकृति

फैक्ट्रियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण जाँच में स्वीकृत तैयार उत्पादों को, सेवाओं को निर्गमित करने के पूर्व, एस.क्यू.ए.ई. द्वारा पुनः गुणवत्ता आश्वासन जाँच हेतु भेजा जाता है। गुणवत्ता आश्वासन स्तर पर, जो मद मरम्मत योग्य नहीं होते हैं, उन्हें अंतिम रूप से अस्वीकृत घोषित किया जाता है। चूंकि फैक्ट्री के गुणवत्ता नियंत्रण में 100 प्रतिशत जाँच की जाती है, अतः गुणवत्ता आश्वासन स्तर पर कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए। तथापि हमने अंतिम अस्वीकृति के कुछ मामलों को देखा, जिनपर आगे चर्चा की गई है।

7.5.1 ओ.ई.एफ.सी. में अंतिम अस्वीकृति

ओ.ई.एफ.सी. ने व्यापार माध्यमों के क्रय किए गए रबर यौगिक से बूट हाई एंकल डी.वी.एस. हेतु सोल का निर्माण किया। रबर मदों की जाँच का उत्तरदायित्व फैक्ट्री का है। एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) कानपुर जो कि अंतिम स्वीकृति के लिए प्राधिकारी है, ने सोल में पॉलिमर तत्व की न्यून प्रतिशतता एवं उसके कम सख्त होने के कारण, 2009-10 के दौरान ₹10.17 करोड़ मूल्य के 53,190 जोड़े, बूट हाई एंकल अस्वीकृत कर दिये। ओ.ई.एफ.सी., 2009-10 के दौरान थल सेना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

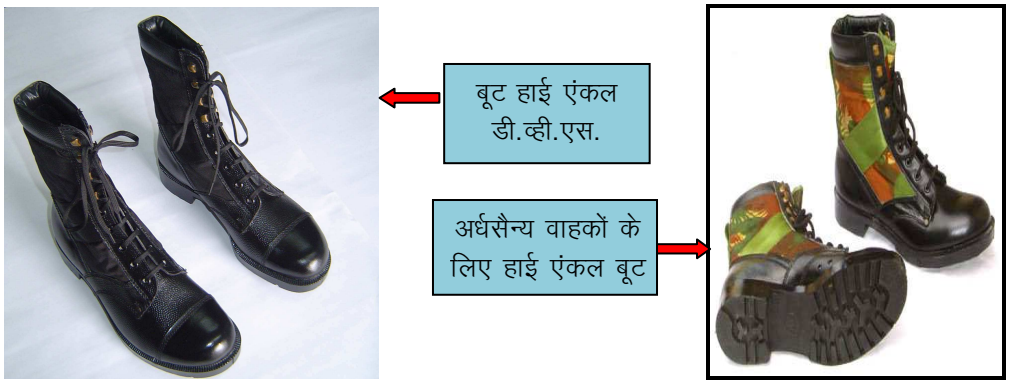

एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) कानपुर द्वारा बूटों की अस्वीकृति के बावजूद, उन्हें केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को ₹8.66 करोड़[16] के कुल मूल्य पर निर्गमित किया गया। चूँकि, बूट, थल सेना तथा एम.एच.ए. के लिए एक सामान्य मद है, इसलिए उसे डी.जी.क्यू.ए. की जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सी.आर.पी.एफ. को अस्वीकृत बूटों का निर्गम अनियमित है।

बूटों की प्राप्ति के पश्चात, सी.आर.पी.एफ. की फील्ड यूनिटों ने अधिक भार, चमड़े व सोल की कठोरता, निम्नस्तरीय पेस्टिंक/सिलाई, थोड़ी दूरी तक चलने पर सोल का गर्म हो जाना इत्यादि जैसी कई प्रकार की कमियों के बारे में, महानिदेशक, सी.आर.पी.एफ. को शिकायत की। तदनुसार महानिदेशक ने (जुलाई 2010) ओ.ई.एफ.सी. से दोषमुक्त बूटों को बदलने के लिए अनुरोध किया। तथापि, अभी तक (जुलाई 2012) इस प्रकार के प्रतिस्थापना की कार्रवाई नहीं की गई।

[16] एम.एच.ए. को निर्गम के लिए ओ.एफ.बी. द्वारा एक बूट के लिए ₹1628 निश्चित है।

7.5.2 ओ.सी.एफ.एस में अंतिम अस्वीकृति

हमने पाया कि 2004-05 से 2008-09 के दौरान अधिक भार/कम भार के कारण ₹2.35 करोड़ मूल्य के 40,000 कबंल अस्वीकृत हुए। ये कंबल अभी भी फैक्ट्री में निस्तारण हेतु पड़े हुए हैं। फिर भी, फैक्ट्री ने निर्माण प्रक्रिया तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हमने यह भी पाया कि निम्नस्तरीय कार्य कुशलता एंव पूर्णता, रंग की भिन्नता, अशुद्ध विमा, ढीली बुनावट, भार में भिन्नता तथा क्षतिग्रस्त तन्तुओं आदि के कारण, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) शाहजहाँपुर ने गुणवत्ता आश्वासन जाँच में ₹1.49 करोड़ मूल्य की अन्य चार मदों (मच्छरदानी, कंबल, जर्सी, तथा ट्राउजर) को अस्वीकृत किया।

जून 2011 में फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा कि वस्त्रादिक मदों के थोक उत्पादन में आने वाले अधिकांश दोषों का निवारण किया जा सकता था, तथा इसकी केवल थोड़ी प्रतिशतता ही सुधार योग्य नहीं थी जिसके लिए अंतिम उत्पाद के अनुमान में अपरिहार्य अस्वीकृति (यू.ए.आर.) का प्रावधान किया गया था।

तथ्यात्मक रूप से उत्तर सही नहीं हैं, क्योंकि (i) अनुमान में दी गई यू.ए.आर. की प्रतिशतता उत्पादन स्तर तक ही प्रयोज्य है जिसका गुणवत्ता आश्वासन स्तर पर अंतिम उत्पाद की अंतिम अस्वीकृति से कोई संबंध नहीं है; एवं (ii) अंतिम उत्पादों की अंतिम अस्वीकृति, दोषों के सुधार योग्य न होने के कारण हुई।

7.6 परेषिती के स्तर पर अस्वीकृतियाँ

यदि फैक्ट्रियों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा डी.जी.क्यू.ए. की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली कुशल एवं प्रभावी है तो गुणवत्ता आश्वासन जाँच में एक बार स्वीकृत होने के पश्चात मदों की परेषिती स्तर पर कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए।

हमने प्रयोक्ता के स्तर पर अंतिम उत्पादों की अस्वीकृति के दृष्टांत देखे। ₹10.42 करोड़ की लागत के मदों की परेषिती के स्तर पर अस्वीकृति के कुछ महत्वपूर्ण मामले **अनुलग्नक- IV** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता आश्वासन जाँच के दौरान दोषों की पहचान न होने के कारण, मार्च 2007 तक थल सेना द्वारा ओ.पी.एफ., ओ.सी.एफ.एस. एवं ओ.ई.एफ.एच से प्राप्त 1.70 लाख कोट आई.सी.के., (₹22.48 करोड़ की लागत के) जुलाई 2012 तक अस्वीकृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिसका विवरण भी **अनुलग्नक- IV** में दिया गया है।

7.7 उपभोक्ता के परिवाद

हमने पाया कि मांगकर्ताओं को आपूर्ति मदों की निम्न गुणवत्ता एवं विभिन्न दोषों के कारण, फैक्ट्रियों ने मांगकर्ताओं से कई शिकायतें प्राप्त की। यहाँ तक कि एक ही मद की एक ही कारण से बार-बार अस्वीकृति हुई तथा फैक्ट्रियाँ नियमित प्रथा के रूप में दोषपूर्ण मदों की वापसी करती रहीं। फैक्ट्रियों के क्यू.सी. अनुभाग द्वारा अप्रभावी गुणवत्ता आश्वासन एवं सी.क्यू.ए. (टी एण्ड सी.) द्वारा अस्वीकार्य घोषित होने के बावजूद सी.ओ.डी. कानपुर द्वारा फील्ड यूनिटों को दोषपूर्ण मदों के प्रेषण के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, जैसा कि पूर्व के पैराग्राफ 7.4 से 7.6 में चर्चा की गई है। फैक्ट्रियों ने दोषपूर्ण मदों की वापसी में हुई, हानि के विनियमितीकरण का भी प्रयास नहीं किया। फैक्ट्री-वार परिवादों[17] का विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

हमने आगे देखा कि ओ.ई.एफ.सी. ने एक बार वायु-सेना को, बैग यूनिवर्सल के पूर्व में अस्वीकृति लॉट को नये निर्गम के रूप में पुनः निर्गमित (अक्टूबर 2009) कर दिया। यहाँ तक कि सचिव (रक्षा उत्पादन) ने वायु-सेना के लिए दोषयुक्त बैग किट यूनीवर्सल की विलंबित वापसी तथा निम्न कोटि की गुणवत्ता को गम्भीरता से लिया तथा अपनी अप्रसन्नता (जून 2010) व्यक्त की। यह स्थिति उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए गुणवत्ता जागरूकता को मजबूत करने की आवश्यकता की ओर इंगित करती है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया तथा हमारी अभ्युक्ति तालिका-33 में दी गई है:

तालिका-33: मंत्रालय की प्रतिक्रिया एवं लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति

मंत्रालय की प्रतिक्रिया	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ
ओ.ई.एफ.सी.: अस्वीकृत भंडार या तो सुधार दिए गए या फिर, श्रम एवं सामग्री पर कोई अतिरिक्त व्यय किए बिना, नए भंडार प्रेषित कर वापसी कर लिए गए।	फैक्ट्रियों के साथ-साथ एस क्यू ए ई में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की उपलब्धता के बावजूद लगभग सभी अतिरिक्त व्यय वाले मामलों में
ओ.सी.एफ.एस : फैक्ट्री द्वारा केवल नीले कंबल ही वापसी किए गए। अन्य मदों की वापसी नहीं की गई जो सी.क्यू.ए. (टी एण्ड सी) कानपुर के समापन रिपोर्ट में स्वीकार्य दिखाए गए।	

[17] प्रमुख शिकायतों वाली मदें जिनकी मात्रा उपभोक्ता परिवाद रजिस्टर में उल्लेख की गई थी, उनका मूल्य ₹ 5.95 करोड़ था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया	लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ
ओ.सी.एफ.ए.: क्षतिग्रस्त भंडार की वापसी की लागत परिवाहकों से वसूल की गई। जैकेट एवं पतलून के लिए सी.ओ.डी. कानपुर/थलसेना की यूनिटों द्वारा विसंगति रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया गया। सी.ओ.डी. कानपुर एवं ओ.डी. शकूरबस्ती के मध्य परिवहन के दौरान कमी दृष्टिगत हुई। निस्तारण के लिए मामले को ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) के साथ उठाया है	अस्वीकृत मदों की वापसी, जिसके कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आई, उसके बारे में मंत्रालय के उत्तर में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं है।
ओ.ई.एफ.एच: विफलता उत्पादन प्रक्रिया का एक अंग था। उपभोक्ताओं के परिवाद या तो निस्तारित कर दिए गऐ या अभिकल्प पुनरीक्षाधीन था।	

7.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओ.ई.एफ.जी. द्वारा अप्रभावी गुणवत्ता जाँच के कारण, निम्नकोटि की सामग्री की स्वीकृति, आर. एफ. आर. मामलों की अधिक मात्रा तथा गुणवत्ता आश्वासन स्तर पर तैयार उत्पादों की अंतिम अस्वीकृति की स्थिति सामने आई। परेषिती के स्तर पर अस्वीकृति तथा प्रयोक्ता के स्तर पर व्याप्त उपभोक्ताओं की शिकायतों से, फैक्ट्रियों द्वारा उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के निर्माण में विफलता तथा आश्वासन स्तर पर गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने में डी.जी.क्यू.ए. के अधीन गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों की विफलता दृष्टिगत होती है। सैन्य बलों की सुविधा तथा प्रयोक्ता की संतुष्टि, सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में इन कमियों का उच्चतम स्तर पर प्रभावी ढ़ंग से निस्तारण नहीं हुआ।

संस्तुति 14

ओ.एफ.बी. को इस बात को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्रियाँ इनपुट सामग्रियों के निरीक्षण के लिए निर्धारित मानको को कर्मठता से परिपालित करें।

संस्तुति 15

ओ.एफ.बी. को फैक्ट्रियों के स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी द्वारा आवश्यक शत-प्रतिशत पूर्व-निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय VIII: उत्पाद मूल्यांकन एवं लागत नियंत्रण

लेखापरीक्षा उद्देश्य

दक्षतापूर्ण मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से सेवाओं को मदों के निर्गम में क्या विभिन्न मदों के उत्पादन लागत की वसूली की गई है ।

लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत

- *मूल्यांकन नीति एवं प्रणाली;*
- *ओ.एफ.बी. द्वारा निर्धारित उपरिव्ययों हेतु लक्ष्य; एवं*
- *लागत अनुमान एवं वास्तविक उत्पादन लागत ।*

8.1 सामान्य

ओ.एफ.बी. की मूल्यांकन नीति का उद्देश्य सेवाओं को निर्गमित किए जाने वाली मदों के सम्पूर्ण लागत की वसूली करना है। विगत तीन वर्षों की वास्तविक लागतों एवं सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय लागत की वर्तमान प्रकृति के आधार पर वर्ष के प्रारम्भ में कीमतों को अनुमानित किया जाता है। फैक्ट्रियों से प्राप्त निर्देशों का विश्लेषण करने के पश्चात, ओ.एफ.बी. द्वारा प्रायः प्रत्येक मदों की कीमतें समय रहते वर्ष के आरंभ के पूर्व तय कर दी जाती है। कुछ मामलों में, फैक्ट्रियों द्वारा दुबारा दिए गए निवेश के आधार पर कुछ मदों की कीमतें वर्ष के मध्य में परिशोधित कर दी जाती है। मंत्रालय द्वारा ओ.एफ.बी. को समग्रता के आधार पर वार्षिक कीमतों में आठ प्रतिशित वृद्धि की अनुमति इस न्यूनतम सीमा के अन्दर रहने की सलाह के साथ दी जाती है।

हमने यह पाया कि इस एकरूप सूत्र का अनुपालन करने के स्थान पर, ओ.एफ.बी. ने विभिन्न मानकों एवं अपनाई गई तदर्थ दृष्टिकोण का आश्रय लेकर विभिन्न उत्पादों का निर्गम मूल्य अधोलिखित रूप से निर्धारित कियाः

- फैक्ट्री के अनुमानित श्रम लागत पर एक पूर्व निर्धारित उपरिव्यय प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए ओ.एफ.बी. के अनुमानित लागत की गणना पर आधारित है;
- विभिन्न श्रम दर एवं उपरिव्यय प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री के अनुमानित लागत के साथ-साथ ओ.एफ.बी. का औसत;
- 2008-09 में ओ.ई.एफ.सी. के संबंध में तथा 2010-11 में ओ.ई.एफ.एच. के संबध में, वर्ष के अंतिम दिनों में प्राप्त फैक्ट्री के प्रस्तावित/अनुमानित लागत के समकक्ष है;

- विगत वर्ष की निर्गम मूल्य के साथ, आठ से 15 प्रतिशत को जोड़ने के पश्चात् तय किया गया; एवं
- विगत वर्ष के उसी स्तर पर, क्योंकि यह पहले से ही विगत वर्ष में वास्तविक लागत से 20 प्रतिशत से अधिक था।

इस प्रकार सूत्र तथा वर्तमान मूल्य नीति को असंसक्ति ने निर्गम कीमत निर्धारण के किसी उचित मापदण्ड की अनुपस्थिति में ओ.एफ.बी. द्वारा गलत कीमतें निर्धारित की गई। इसके साथ-साथ लागत नियंत्रण में फैक्ट्रियों की विफलता थी, जिसके कारण सभी चार वर्षों में, ओ.ई.एफ.जी. में आवर्ति हानियाँ हुई एवं कुछ मदों के लिए दरें भी बाजार मूल्य की तुलना में बहुत अधिक थी, जिसपर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई।

8.1.1 फैक्ट्रियों द्वारा की गई भारी हानि

ओ.ई.एफ.जी. को 2008-12 के दौरान सभी माँगकर्ताओं को निर्गमित मदों के लिए ₹226.09 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। लाभ/हानि का फैक्ट्री वार विवरण तालिका-34 में दिया गया है।

तालिका-34: फैक्ट्री वार लाभ(+) /हानी(-)

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
ओ.इ.एफ.सी.	2.17	(-) 26.43	(-) 26.00	(-)42.84	(-) 93.10
ओ.पी.एफ.	1.16	2.76	(-) 4.09	(-)13.11	(-) 13.28
ओ.सी.एफ.एस.	(-) 13.90	(-) 46.93	(-) 37.67	(-)22.22	(-) 120.72
ओ.सी.एफ.ए.	(-) 14.21	(-) 7.76	(-) 5.15	(-)7.89	(-) 35.01
ओ.ई.एफ.एच.	3.16	5.84	12.97	14.05	36.02
योग	**(-) 21.62**	**(-) 72.52**	**(-) 59.94**	**(-)72.01**	**(-) 226.09**

तालिका इस बात को इंगित करता है कि केवल ओ.ई.एफ.एच को सभी चार वर्षों में लाभ हुआ,जबकि सभी चार वर्षों में ओ.सी.एफ.एस. तथा ओ.सी.एफ.ए. को हानि का सामना करना पड़ा । ओ.पी.एफ. तथा ओ.ई.एफ.सी. को क्रमशः दो एवं तीन वर्षों में, हानि उठानी पड़ी । इस क्षमता से न्यून कार्य निष्पादन के निरंतर हानि के बावजूद भी, ओ.एफ.बी. ने कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।

हमारे द्वारा 2008-12 तीन वर्षों का 65 मदों का, ओ.एफ.बी. द्वारा तय की गई कीमतों का, फैक्ट्रियों की अनुमानित लागतों एवं उत्पादित लागतों के सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया **(अनुलग्नक-VI)** और यह पाया गया कि 121 में से 97 दृष्टांतों में निर्गम लागतें ओ.ई.एफ.सी, ओ.पी.एफ., ओ.सी.एफ.एस. एवं ओ.सी.एफ.ए. में 10 प्रतिशत से अधिक

तथा 53 प्रतिशत से तक कम हो गई। जबकि 102 मदों के सन्दर्भ में वास्तविक उत्पादन लागतें इसी प्रतिशत में निर्गम कीमतों से अधिक हो गई।

उत्पादन लागतों एवं निर्गम कीमतों में गैर-अनुपातिक संबंध में अत्यधिक भिन्नता होने के बावजूद भी ओ.एफ.बी. ने वर्ष दर वर्ष होने वाली आवर्ती हानियों का कारण विश्लेषण करने के लिए न तो कोई प्रभावशाली प्रणाली संस्थापित की और न ही अपनी बैठकों में उत्पाद को लाभप्रद बनाने के लिए सुधरात्मक उपायों हेतु निश्चित अंतराल पर विचार किया।

भिन्नता को सिद्ध करते हुए ओ.एफ.बी. ने (अप्रैल 2012) स्पष्ट किया कि कीमतें वास्तविक उत्पादन लागतों के 18 माह पूर्व ही तय कर दी गई थीं। अतः भिन्नता अत्यल्प थी और मूल्य के निर्धारण के बाद, कार्यभार/उत्पाद प्रकार में बदलाव, लागत घटाने की दिशा में फैक्ट्रियों द्वारा किए गए प्रयास तथा मूल्यांकन के समय अपेक्षित दरों से बाजार दरों में उतार-चढ़ाव के कारण अधिक्य/कमी आवश्यक हो गई।

उत्तर में इस बात पर चर्चा नहीं की गई थी कि 10 से 53 प्रतिशत तक की प्रतिकूल भिन्नता क्यों आई । मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण से उत्पादन लागत की वसूली एवं प्रभावी लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक लागत तथा निर्गम मूल्य की आवधिक पुनरीक्षा में ओ.एफ.बी. विफलता के बारे में भी उत्तर में कोई चर्चा नहीं की गई है।

8.1.2 बाजार दरों की तुलना में ओ.ई.एफ.जी. *की मदों का अत्याधिक/अतिशय*

हमने यह पाया कि 2009-10 के दौरान ओ.सी.एफ.एस. की नौ मदों की वास्तविक लागत अनुमानित लागत से 6 से 41 प्रतिशत अधिक थी। ट्राउजर पी.डब्ल्यू. पी.सी. खाकी एवं बनियान ऊनीं एफ.एस. की कीमत ओ.सी.एफ.ए. एवं ओ.सी.एफ.एस. में जहाँ क्रमशः (2008-09 में) लागत ₹772 एवं (2010-11 में) ₹632 थी वहीं सी.ओ.डी. कानपुर में मदें क्रमशः ₹195 एवं ₹122 की दर से 2009-10 में अधिप्राप्त की, जिससे यह प्रकट होता है कि दो ओ.ई.एफ.जी. की मदों की दरें बाजार दरों से 396 और 518 प्रतिशत अधिक थी। पुनश्च जैसा कि पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक ने यह पाया कि ओ.ई.एफ.जी. उत्पादित मदों की दरें बाजार दरों से 300 प्रतिशत तक अधिक थी। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि लागत नियंत्रण के आभाव के कारण उत्पाद अलाभकारी एवं गैर-प्रतिस्पर्धात्मक थे।

8.2 उत्पादन लागत में उच्च उपरिव्यय एवं श्रम प्रभार

8.2.1 उपरिव्यय प्रभार

उत्पादन लागत के अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम तथा उपरिव्यय निहित होते हैं। आयुध फैक्ट्रियों में उपरिव्ययों के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष श्रम लागत, अप्रत्यक्ष भण्डार पर्यवेक्षण, विधुत, परिवहन एवं अवमूल्यन आदि का समावेश होता है।

ओ.एफ.बी. ने (मई 2006 में) प्रत्यक्ष श्रम प्रभारों के रूप में वर्ष 2006-07 के लिए ओ.ई.एफ.सी, ओ.पी.एफ., ओ.सी.एफ.एस., ओ.सी.एफ.ए. एवं ओ.ई.एफ.एच. के लिए क्रमशः 120, 164,115,175 एवं 175 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया। ओ.एफ.बी ने आगे के वर्षों के लिए कोई भी इस तरह का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, जिसका कोई कारण भी नहीं बताया गया। यहाँ तक कि वर्ष 2008-09 में उपरिव्ययों का प्रत्यक्ष श्रम प्रभारों के सन्दर्भ में वास्तविक प्रतिशत ओ.ई.एफ.सी, ओ.पी.एफ. ओ.सी.एफ.एस. एवं ओ.सी.एफ.ए. में क्रमश 154, 196 ,158 एवं 178 था जो कि वर्ष 2006-07 के लक्ष्य से अधिक था, जबकि ओ.ई.एफ.एच. का प्रतिशत 150 था जो 175 के लक्ष्य से कम था। वर्ष 2009-10 में ओ.ई.एफ.सी. को छोड़कर सभी फैक्ट्रियों की स्थिति में सुधार हुआ जहां उपरिव्यय का प्रतिशत 164 के लक्ष्य से ज्यादा ही था। वर्ष 2010-11 में उपरिव्यय का प्रतिशत सभी फैक्ट्रियों में निर्धारित लक्ष्य से कम था। जबकि 2011-12 में ओ.ई.एफ.सी एवं ओ.सी.एफ.एस में उपरिव्यय का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

पुनश्च ओ.ई.एफ.जी. में उत्पादन लागत पर उपरिव्यय का प्रतिशत 34 से 33 था जो सभी आयुध फैक्ट्रियों के 31 से 26 प्रतिशत की अपेक्षा उच्चतर था जैसा तालिका-35 में वर्णित है।

तालिका-35: उत्पादन लागत पर उपरिव्यय का प्रतिशत

वर्ष	ओ.ई.एफ .सी.	ओ.पी. एफ.	ओ.सी.एफ .एस	ओ.सी.एफ .ए	ओ.ई.एफ .एच	ओ.ई. ग्रुप	आयुध फैक्ट्री समूह
2008-09	26	37	40	41	37	34	30
2009-10	30	34	38	39	33	34	31
2010-11	28	39	33	39	32	33	27
2011-12	30	35	35	34	32	33	26

वर्ष 2008-12 के दौरान ओ.सी.एफ.ए. का उपरिव्यय सभी पाँच फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा था जो कि 34 से 41 प्रतिशत के मध्य था। 2008-09 में ओ.सी.एफ.ए. में उपरिव्यय के अधिक होने (41 प्रतिशत) का मुख्य कारण प्रत्यक्ष श्रम की तुलना में अधिक अप्रत्यक्ष श्रम (90 प्रतिशत) एवं पर्यवेक्षण प्रभार (72 प्रतिशत) था।

ओ.एफ.बी. ने अप्रैल 2012 में स्पष्ट किया कि गहन श्रम इकाईयाँ होने के कारण ओ.ई.एफ.जी. में उपरिव्यय अधिक था तथा श्रम लागत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ गई। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ओ.सी.एफ.ए. द्वारा अपेक्षाकृत निम्न प्रौधोगिक के एवं व्यवस्थित कार्य सम्पादन में भी, इतने उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी ।

8.2.2 श्रम प्रभार

ओ.ई.एफ.जी. के साथ -साथ आयुध फैक्ट्री संगठन का समग्र रूप से उत्पादन एवं श्रम लागत का विवरण तालिका-36 में दर्शायी गई है ।

तालिका-36: श्रम लागत एवं उत्पादन लागत विवरण

(रू. करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन लागत (सी.ओ.पी.)		ओ.ई. एफ. समूह के अंश की प्रतिशतता	श्रम लागत		ओ.ई. एफ. जी. के अंश की प्रतिशतता	उत्पादन लागत पर श्रम का प्रतिशत	
	ओ.एफ. संगठन	ओ.ई. एफ. जी. ग्रुप		ओ.एफ. संगठन	ओ.ई. एफ. जी.		ओ.एफ संगठन	ओ.ई. एफ. जी.
2008-09	10610.40	659.55	***6***	768.10	136.35	***18***	***7***	***21***
2009-10	11817.89	669.00	***6***	1102.19	173.48	***16***	***9***	***26***
2010-11	14012.12	855.08	***6***	1318.41	237.25	***18***	***9***	***28***
2011-12	15933.44	961.17	***6***	1490.10	260.52	***17***	***9***	***27***

तालिका विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ओ.ई.एफ.जी (समूह) की फैक्ट्रियों में सबसे छोटा समूह होने के कारण का उत्पादन लागत का भाग प्रति वर्ष मात्र छः प्रतिशत है। इसके विरूद्ध, 2008-09 से 2011-12 तक आयुध फैक्ट्रियों में इस समूह का प्रत्यक्ष श्रम लागत 16 से 18 प्रतिशत थी। आगे, जहाँ सभी आयुध फैक्ट्रियों में 2008-09 से 2011-12 के दौरान उत्पादन लागत से श्रम लागत की प्रतिशतता सात से नौ प्रतिशत थी वही ओ.ई.एफ.जी (समूह) में 2008-12 के दौरान सी.एन.सी.[18] मशीन द्वारा आधुनिकीकरण के बावजूद भी 21 से 28 प्रतिशत थी।

8.3 सर्वनिष्ठ मदों की उत्पादन लागत में व्यापक भिन्नता

हमारे द्वारा दो फैक्ट्रियों में निर्मित होने वाली सर्वनिष्ठ मदों उत्पादन लागत की तुलना की गई और यह पाया गया कि सामग्री, श्रम, एवं उपरिव्यय सहित इकाई लागतों में व्यापक भिन्नता थी, जैसा कि तालिका-37 में इंगित है।

[18] सामग्री एवं श्रम लागत के ह्रास के बचत को प्राप्त करने के लिए कम्प्युटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रित मशीनों के अधिष्ठापन को अनुमानित किया गया है।

तालिका-37: सर्वनिष्ठ मदों के उत्पादन लागत में भिन्नता

मद	फैक्ट्री	सामग्री लागत (₹)	भिन्नता की प्रतिशतता	श्रम लागत (₹)	भिन्नता की प्रतिशतता	उपरिव्यय लागत (₹)	भिन्नता की प्रतिशतता
2008-09							
पैराशूट एस.डी. 8.5 एम	ओ.ई.एफ.एच.	2690.13	3	1442.26	16	2163.39	37
	ओ.सी.एफ.ए.	2783.82		1678.27		2953.76	
टेन्ट-4 एम	ओ.सी.एफ.सी.	18935.88	1	1758.97	131	2708.81	194
	ओ.पी.एफ.	19172.16		4064.92		7967.24	
2009-10							
टेन्ट 2 एम	ओ.ई.एफ.सी.	18495.70	4	2628.10	104	4237.16	17
	ओ.पी.एफ.	19225.52		5373.35		4940.79	
टेन्ट 4 एम	ओ.ई.एफ.एच	409.16	5581	5121.55	29	589.19	998
	ओ.सी.एफ.सी.	23242.63		3970.46		6471.86	
पैराशूट एस.डी. 8.5 एम	ओ.सी.एफ.ए.	2392.74	113	2508.00	66	2897.74	154
	ओ.ई.एफ.एच.	5100.11		4156.81		7351.33	
ट्राउजर कम्बेट	ओ.ई.एफ.एच.	221.42	52	351.54	52	318.84	93
	ओ.सी.एफ.ए.	336.00		533.50		616.20	
युद्धक जैकेट	ओ.ई.एफ.एच.	158.41	81	291.38	48	228.12	119
	ओ.सी.एफ.ए.	286.51		432.05		499.02	
2010-11							
टेन्ट 4 एम	ओ.ई.एफ.सी.	26152.40	51	5284.62	1509	6771.95	1121
	ओ.ई.एफ.एच.	39477.46		328.54		554.85	
ट्राउजर पी.व्ही. डी.डी. ओ.जी.	ओ.ई.एफ.एच.	195.72	19	55.31	456	93.47	269
	ओ.सी.एफ.एस.	164.65		307.80		344.69	
ट्राउजर कम्बेट	ओ.सी.एफ.ए.	324.70	34	522.02	22	580.80	26
	ओ.ई.एफ.एच.	433.99		428.95		729.21	
पैराशूट एस.डी. 8.5 एम	ओ.ई.एफ.एच.	3227.27	6	1591.75	41	2703.86	10
	ओ.सी.एफ.ए.	3412.21		2241.91		2970.68	
टेन्ट 4 एम का फ्लाई आउटर	ओ.सी.एफ.ए.	6207.38	13	90.35	3039	159.84	2174
	ओ.सी.एफ.सी.	5513.25		2836.21		3634.45	
2011-12							
जैकेट कंबैट	ओ.ई.एफ.एच.	47.63	824	238.15	101	414.12	20
	ओ.सी.एफ.ए.	440.02		479.79		498.98	
टेन्ट 4 एम का फ्लाई आउटर	ओ.ई.एफ.सी	7019.90	7	3011.47	2490	3880.60	1797
	ओ.ई.एफ.एच.	7489.24		116.29		204.58	
मच्छरदानी	ओ.सी.एफ.एस्टा.	162.66	97	163.80	516	238.29	716
	ओ.ई.एफ.सी.	321.13		26.61		29.22	
बैग किट यूनिवर्सल	ओ.ई.एफ.एच.	236.01	169	10.40	2145	17.68	1670
	ओ.ई.एफ.सी.	635.97		233.49		312.93	

स्रोतः आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियाँ का वार्षिक लेखा

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वनिष्ठ मदों की श्रम एवं उपरिव्यय लागत में क्रमशः 3039 एवं 2174 प्रतिशत तक की अस्वाभाविक भिन्नता थी। इसी प्रकार 16 मामलों में से 11 में, सामग्री लागत में 13 से 5581 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनश्च, यहाँ तक कि एक ही फैक्ट्री ओ ई एफ एच (आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर), में, टेंट 04 एम की सामग्री लागत वर्ष 2009-10 के ₹409 के मुकाबले वर्ष 2010-11 में असाधारण रूप से बढ़कर ₹39477 हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन/ ओ ई एफ एच क्यू (आयुध उपस्कर फैक्ट्री मुख्यालय) इस व्यापक भिन्नता का कारण विश्लेषित नहीं कर सका।

ओ ई एफ एच (आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर) में सामग्री लागत की वृहत, भिन्नता (9552 प्रतिशत[19]) पर उठाई गई आपत्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ओ ई एफ एच (आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर) के लेखा कार्यालय ने कहा (जुलाई-2012) कि निर्माणी प्रबन्धन द्वारा अग्रेषित अभिलेखों के आधार पर सामग्री मूल्य दर्ज किया गया। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि, फैक्ट्री प्रबन्धन ने भविष्य में इन अनियमितताओं से बचने हेतु आश्वस्त किया। उत्तर से स्वयं सिद्ध है कि, लेखा कार्यालय सामग्री की लागत दर्ज करने के पूर्व सत्यापन नहीं करता था ।

एक फैक्ट्री की उच्चतर लागत की दूसरी फैक्ट्री की लागत से तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि 16 दृष्टातों में ₹105.47 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा। **(अनुलग्नक -VII)**

मंत्रालय के उत्तर पर हमारी अभ्युक्तियाँ तालिका-38 में अभिलिखित हैं।

तालिका-38: मंत्रालय का उत्तर एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
ओ.ई.एफ.सी.: लेखापरीक्षा द्वारा प्रदत्त आँकड़े असत्य प्रतीत होते हैं। उपरिव्यय एवं श्रम लागत एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में भिन्न होती है।	हमारे द्वारा लागतों के आँकड़े आयुध फैक्ट्री संगठन के वार्षिक लेखों से ग्रहण किए गए हैं। इसके बावजूद संख्याओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगने पर मंत्रालय द्वारा कोई शुद्ध आँकड़ा नहीं उपलब्ध कराया गया।
ओ.ई.एफ.एच.: वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखे तैयार करते समय लेखा कार्यालय द्वारा श्रम तथा लागत संबंधी अन्तरण वाउचरों को ध्यान में नहीं रखा गया। जिससे उस वर्ष, वायु सेना की मदों की लागत में व्यापक भिन्नता उत्पन्न हुई। शेष मदों में भिन्नता, संकलन एवं लिंकिंग की त्रुटियों के कारण हुई ।	उत्तर से स्वतः फैक्टी प्रबंधन एवं फैक्ट्रियों के लेखा कार्यालय के मध्य लिंकिंग त्रुटियों के परिशोधन तथा बिना उचित समाधान के विभिन्न घटकों के लेखांकन में कमियों का पता चलता है । विश्वसनीय लागत आकड़ों पर आधारित लेखाओं के संकलन हेतु की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में, कोई चर्चा नहीं की गई ।

[19] 2009-10 में टेंट 4एम का सामग्री मूल्य = ₹409
2010-11 में टेंट 4एम का सामग्री मूल्य = ₹39477
वृद्धि = ₹39068
प्रतिशत में वृद्धि = ₹39068 x 100/409 = 9552

मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
ओ.सी.एफ.ए.: सामान्यतः श्रम एवं उपरिव्यय लागत में भिन्नता का कारण मकान भाड़ा एवं परिवहन भत्ता है क्योंकि आयुध वस्त्र फैक्ट्री आवडी (ओ.सी.एफ.ए) ए-1 शहर के अन्तर्गत स्थित है। आयुध वस्त्र फैक्ट्री हजरतपुर (ओ.ई.एफ.एच) के जैकेट एवं ट्राउजर की सामग्री लागत आयुध वस्त्र फैक्ट्री आवडी से कम नहीं हो सकती क्योंकि ओ.सी.एफ.ए. मूल सामग्री के लिए नोडल फैक्ट्री है। इसके समाधान की आवश्यकता है। फ्लाई आउटर 4 एम की श्रम एवं उपरिव्यय लागत इसलिए कम है, क्योंकि अधिक कार्यभार होने के कारण फैक्ट्री ने इसका वाह्यस्रोतीकरण किया।	किसी फैक्ट्री में व्यापार से सहयोग अथवा उच्चतर मकान भाड़ा/ परिवहन भत्ते की वजह से, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की श्रम एवं उपरिव्यय लागत की 3039 एवं 2174 प्रतिशत तक की भिन्नता को, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। उत्तर से इतनी वृहत भिन्नता का कारण तथा इसके लिए की गई सुधारात्मक कार्यवाही का संकेत नहीं प्राप्त होता है।
ओ.सी.एफ.एस.: आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर (ओ.ई.एफ.एच.) की तुलना में ट्राउजर की लागत अपेक्षा कृत इसलिए अधिक थी, क्योंकि शायद ये मदें ओ.ई.एफ.एच द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निर्मित कराई गई थीं।	

8.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखा अधिकारी द्वारा बिना सठीक रूप से जांच किए केवल फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अग्रेषित दस्तावेजों के आधार पर व्यय को दर्ज करने वाले प्रणाली के कारण अविश्वसनीय मूल्य डाटा तथा व्यय का अनियमित लेखाकरण हुआ। वर्ष 2008-12 के दौरान जैसा की तालिका- 34 में दिया गया है, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली के साथ अप्रभावी लागत नियंत्रण की वजह से प्रतिवर्ष माँगकर्ताओं को उत्पादों के निर्गम में कुल ₹226.09 करोड़ की आवर्ती हानि हुई। इस स्थिति से, दो फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित सर्वनिष्ठ मदों की सामग्री एवं श्रम लागत में असमान्य भिन्नता आ गई, परिणाम स्वरूप, 16 मामलों में ₹105.47 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

संस्तुति 16

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उत्पादनों पर कड़े रूप से मूल्य नियंत्रण को लागू करने के लिए विश्वसनीय मूल्य-डाटा जारी करना चाहिये।

अध्याय IX: आन्तरिक नियन्त्रण

लेखा परीक्षा उद्देश्य

क्या वर्तमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

लेखा परीक्षा मानदण्ड के स्रोत

- *ओ.एफ.बी. की बैठकों के कार्यवृत्त; एवं*
- *प्रबन्धन सूचना प्रणाली।*

9.1 सामान्य

सख्त आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति की मौजूदगी और अनुपालन से कार्य संचालन एवं वित्तीय मामलों में अनियमितता व त्रुटियों का जोखिम कम होता है तथा यह लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग एवं फैक्ट्री के संचालन में समग्र दक्षता से संबंधित मामलों में आश्वासन प्रदान करता है। ओ.ई.एफ.जी. में वर्तमान नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलू निम्नवत हैं।

- फैक्ट्रियों के महाप्रबन्धकों, ओ.ई.एफ. एच क्यू(मुख्यालय) एवं ओ.एफ.बी. द्वारा कार्य-कलापों का अनुश्रवण एवं पुनरीक्षा;
- प्रबन्धन सूचना पद्धति ;
- आन्तरिक लेखा परीक्षा; एवं
- सतर्कता

अध्याय III से VIII में दर्शाये गए कमजोरियों के अतिरिक्त ओ.ई.एफ.जी. में अन्य पर्याप्त नियंत्रण खामियां अधोलिखित हैं।

9.2 विनिर्माण सम्बन्धी नियंत्रण विफलता

डी ए डी ओएम के पैराग्राफ 601 को आयुध फैक्ट्रियां मानक अनुमान तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसमें निर्माण प्रक्रिया में अपरिहार्य अस्वीकृति की अनुमेयता सहित, किसी मद की निश्चित मात्रा के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा तथा श्रम-घंटों का विवरण दिया होता है। डी ए डी ओएम के पैराग्राफ 621 के अनुमान के अनुसार और आदेशित मात्रा के लिए, महा प्रबन्धकों को मदों के निर्माण के लिए सम्बन्धित उत्पादन कारखाना को "निर्माण एवं सामग्री अधिपत्र" जारी करने की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर श्रम और सामग्री आहरित की जाती है। इस अधिपत्र को छः महीने की अवधि के भीतर कार्यान्वित एवं समाप्त होने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त डी ए डी ओएम का पैराग्राफ 57 मानक अनुमानों के साथ अधिपत्र

किसी भी विशेष कार्य अथवा बैच में, श्रम एवं सामग्री के उपयोग पर नियंत्रण के लिए प्रमुख माध्यम का कार्य करता है।

हमने ओ.ई.एफ.जी में इन नियंत्रणों की विफलता देखी परिणामतः श्रम एवं सामग्री दर्ज करने में अनियमितता, निरस्तीकरण छिपाना, एवं हानियों का अविनियमितीकरण आदि अनियमितताएं हुईं। इन कमियों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अग्रिम पैरा-ग्राफों में चर्चा की गई है।

9.2.1 श्रम प्रभारों को अनियमित रूप से दर्ज करना

हमने पाया कि 2008-09, 2009-10, एवं 2011-12 के दौरान ओ.सी.एफ.एस, ओ.सी.एफ.ए तथा ओ.ई. एफ.एच और 2008-09 एवं 2009-10 में ओ.ई. एफ.सी तथा ओ.पी.एफ में,अधिपत्र के समाप्त हो जाने के बाद भी श्रम एवं समानुपातिक उपरिव्यय की प्रविष्टि अनियमित रूप से की जाती रही, जिसका सारांश तालिका-39 में दर्शाया गया है।

तालिका-39: श्रम एवं उपरिव्यय की अतिरिक्त प्रविष्टि

फैक्ट्री	समाप्त अधिपत्रों की संख्या	अधिपत्रों की समाप्ति के बाद व्ययों की प्रविष्टि (₹ करोड़ में)		
		श्रम	श्रम के समानुपातिक उपरिव्यय	योग
ओ.ई. एफ.सी	375	4.11	6.37	10.48
ओ.सी.एफ.एस	664	2.94	4.25	7.19
ओ.सी.एफ.ए	139	7.10 (उपरिव्यय सहित)	ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं	7.10
ओ.पी.एफ	47	0.48	0.73	1.21
ओ.ई. एफ.एच	21	0.36	0.61	0.97
योग	**1246**			**26.95**

6 समाप्त अधिपत्रों में कुल ₹26.95 करोड़ की अतिरिक्त श्रम एवं उपरिव्ययों की प्रविष्टि की गई, जिससे आन्तरिक नियन्त्रण तकनीक की विफलता एवं कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा अधिपत्रों की समाप्ति के बाद भी, मात्रा से अधिक सामग्री की प्रविष्टि की अनुमति दी तथा इस प्रणाली अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी अधिकारीगण इस त्रुटी को पहचानने में विफल रहे। ओ.पी.एफ. के लेखा कार्यालय (ए.ओ.) ने (जनवरी 2011) इस अनियमितता को चिन्हित करते हुए महाप्रबंधक से इन मामलों का परीक्षण तथा इस प्रकार के अनियमित अभ्यास का कारण बताने का निवेदन किया। किन्तु महाप्रबन्धक ने न तो इसका परीक्षण किया न ही इस अनियमित अभ्यास को बन्द करने के लिए की गई किसी सुधारात्मक कार्यवाही का अभिलेख रखा।

श्रम एवं उपरिव्यय प्रभारों को न्यायोचित्य स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने कहा कि नियोजन, उत्पादन एवं नियंत्रण (पी. पी. सी.) प्रणाली यह अनुमति नहीं देती कि अधिकृत मात्रा से अधिक श्रम/फैक्ट्री में उपरिव्यय की जाए तथा अतः समाप्ति के बाद पर दुबारा प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी गई। यह अभिमत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिपत्रों की समाप्ति के बाद की गई अनियमित प्रविष्टि के समर्थन में, लेखा परीक्षा के साक्ष्यों से मंत्रालय का अभिमत अप्रमाणिक हो जाता है।

लेखा कार्यालय के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ओ.सी.एफ.एस. ने 599 अवास्तविक निर्माण अधिपत्रों के प्रति उजरती कामगारों को 14.70 लाख एस. एम. एच. के लिए ₹17.45 करोड़ का भुगतान किया (मई-सितंबर 2010)। ओ.सी.एफ.एस के लेखा कार्यालय द्वारा बार-बार यह बिन्दु उठाने पर भी फैक्ट्री प्रबन्धन द्वारा इस गलती को ठीक करने की न तो सुधारात्मक और न ही उजरती कामगारों (पी डब्लू) को दिए गए अधिक भुगतान को वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई की गई।

उजरती कामगारों को किए गए भुगतान को न्यायोचित सिद्ध करते हुए मंत्रालय ने कहा कि यदा-कदा वर्तमान माह का उजरती कार्य (पी डब्लू) भुगतान, पुराने अधिपत्रों के अतिरिक्त, महीने के प्रारम्भ में शुरू किए गए अधिपत्रों में प्रतिबिम्बित हो जाता है।

उत्तर मंत्रालय की गंभीरता को प्रतिबिम्बित नहीं करता क्योंकि ओ.सी.एफ.एस. के लेखा कार्यालय द्वारा बार - बार यह बिन्दु उठाने पर भी अवास्तविक अधिपत्रों के प्रति उजरती कार्य (पी डब्लू) मजदूरी का भुगतान जारी रखा गया। एक गम्भीर मामला होने के कारण यह आवश्यक है कि ओ.एफ.बी. /फैक्ट्रियों द्वारा इस का गहन परीक्षण/अन्वेषण किया जाए जिससे लगातार जारी रहने वाली अनियमितता का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

9.2.2 अधिक अथवा बिना सामग्री आहरण के निर्माण

फैक्ट्री मानक अनुमान के अनुसार सामग्री आहरित कर किसी मद का निर्माण करती है, जिसमें अपरिहार्य अस्वीकृति (यू ए आर) की अनुमेयता सहित मद की निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा दी गई होती है। अभिलेखों की एक नमूना जाँच के दौरान कतिपय मदों में अधिक और कुछ में, बगैर सामग्री आहरण के ही मदों के निर्माण के उदाहरण सामने आए। ऐसे कुछ मामलों के विवरण पर निम्नवत चर्चा की गई है।

- ओ.ई.एफ.सी. में ₹4.60 करोड़ मूल्य की तीन मदों (दो प्रकार के वस्त्र एवं एल्यूमिनियम मिश्रित ट्यूब) में टेंट 4 एम. बनाने के लिए, अधिपत्र में अधिकृत मात्रा से अधिक आहरण किया गया, जब कि इसे अधिपत्रों (संख्या में 29) में प्रदर्शित नहीं किया गया।

- ओ.सी.एफ.एस. ने चार निर्माण अधिपत्रों के द्वारा निर्मित होने वाली 21,621 कमीजों (पीवी डीडी ओजी) और 1000 कोटों (ईसीसी) का निर्माण, कतिपय निवेश्य सामग्री का आहरण किए बगैर ही कर दिया और मार्च 2011 में थल सेना को जारी भी कर दिया जो कि प्रयोगात्मक रूप से असम्भव है।

- ओ.सी.एफ.एस. ने 12 अधिपत्रों के प्रति अप्रैल, नवम्बर 2011 और मार्च 2012 में, सामग्री आहरण के बगैर ही 4883 बैरक कम्बलों (प्राकृतिक धूसर) का निर्माण कर दिया एवं मार्च 2012 में थल सेना को निर्गमित भी कर दिया।

मंत्रालय/ओ.एफ.बी. का उत्तर तथा हमारी अभ्युक्ति तालिका-40 में दी गई है।

तालिका-40: मंत्रालय/ओ.एफ.बी. का उत्तर तथा लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

मंत्रालय/ओ.एफ.बी. का उत्तर	लेखा परीक्षा अभ्युक्ति
ओ.ई.एफ.सी. में अधिक आहरित सामग्री, टेंटों के कम मात्रा के अधिपत्रों में, अन्तरण वाउचरों के द्वारा अन्तरित कर दी गई थी।	अधिपत्रों के बन्द होने के पूर्व अथवा पश्चात् तैयार किए गए वाउचरों का कोई भी विवरण लेखा परीक्षा को नहीं उपलब्ध कराया गया। अपितु अन्तरण वाउचर क्रमिक समायोजन हेतु प्रयुक्त हुए। अतः सामग्री नियंत्रण की कमी से उत्पन्न सामग्री के अधिक आहरण को किसी भी तरह न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता।
ओ.सी.एफ.एस. में कमीज पीडब्लू पीवी डीडी ओजी सम्बन्धी 3 अधिपत्र वर्ष 2011-12 के अपूर्ण अधिपत्रों में प्रदर्शित हो गए थे। अन्य अधिपत्रों के प्रति उपलब्ध निर्मित घटकों को अनुभागीय डी-नोट से आहरित किया गया था और उल्लिखित अधिपत्रों में उनका प्रयोग कर लिया गया था। कोट ईसीसी सम्बन्धी अधिपत्र निर्गम वाउचरों के मूल्यांकन/ एवं प्रेषण संचालन कार्य 2011-12 हेतु अभी भी शेष हैं।	उत्तर स्वतः सूचित करता है कि लक्षित वर्ष 2010-11 में वास्तव में सभी मदें निर्मित ही नहीं की गईं। किन्तु उन्हें उत्पादन लागत एवं निर्गम मूल्य में वृद्धि हेतु (सामग्री आहरण के बिना ही) विनिर्मित एवं निर्गमित प्रदर्शित कर दिया गया।

9.2.3 हानियों का अविनियमितीकरण

दो फैक्ट्रियों में हमारे सामने ऐसे भी दृष्टांत उपस्थित हुए जिनमें अस्वीकृति के कारण हानि, रद्दियों का अनुश्रवण न होना, जैसी स्थितियों का अभिलेखीकरण तक नहीं हुआ,

जिससे निर्माणी प्रबंधन एवं लेखा कार्यालय का अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्पष्ट प्रतीत होता है ऐसे कुछ प्रकरणों की आगे चर्चा की जा रही हैः

- आयुध पैराशूट फैक्ट्री (ओ.पी.एफ.) में भारी ऊनी खाकी पुरूषों के लिए मोजों के अनुमान में अपरिहार्य अस्वीकृति (यू.ए.आर.) का कोई प्रावधान नहीं पाया गया। वर्ष 2008-11 के दौरान हमारे परीक्षण ने यह दर्शाया कि ₹23.36 लाख की लागत के 8,500 कि.ग्रा. अप्रयोज्य ऊनी मोजों को उत्पादन कार्यशाला द्वारा निस्तारण हेतु वापस कर यदि ऊन को निर्माण प्रक्रिया में अप्रयोज्य घोषित न कर दिया गया होता तो एक मोजे के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.1729 कि.ग्रा. की औसत आवश्यकता के आधार पर, ₹56.54 लाख लागत के 49,161 मोजे तैयार किए जा सकते थे।

- अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2010 के दौरान, आयुध पैराशूट फैक्ट्री (ओ.पी.एफ.) द्वारा जारी प्रतिवेदन के पास 2538.38 कि.ग्रा. लागत के अनुसार जारी स्वीकृत की मात्रा के प्रति 9000 कि.ग्रा. सूत का रद्दी पड़ा हुआ था। अतः ₹21 लाख मूल्य का 6461.62 कि.ग्रा. सूत प्रधिकृत सीमा से अधिक रद्दी घोषित हुआ। अधिक रद्दीकरण की कारणों को ज्ञात करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

- ओ.सी.एफ.एस. 450 बुनावटी (+ 50/-25) सूत का व्यापार से अधिप्राप्त कर कबंल का निर्माण करती है। 2006-07 के दौरान सूत (₹4.79 करोड़ लागत के) की अधिक खपत के मामले सामने आए। वर्ष 2007 मे की गई एक तथ्यान्वेषण जाँच (एफ.एफ.आई.) में पाया गया कि त्रुटिपूर्ण सामग्री अनुमान तथा अधिक वजनी कंबलों के निर्माण की वजह से 5.81 लाख कि.ग्रा. सूत कम हो गया। तथ्यान्वेषण जाँच दल के वर्ष 2007 में 425$\pm$ 25 की गणना में सूत अधिप्राप्ति की सिफारिश के बावजूद भी, फैक्ट्री ने (10 प्रतिशत) अधिक सूत का प्रावधान किया। बाद में 2009-11 के दौरान सूत के अधिक प्रावधान के कारण ₹11.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने कहा कि ओ सी एफ एस में आंतरिक नियंत्रण में कोई विफलता नहीं हुई तथा कंबल के मामले में प्राधिकृत मात्रा से अधिक कोई भी सामग्री आहरित नहीं की गई। उन्होंने आगे बताया कि 2.62 लाख कि ग्रा सूत की कमी के नियमितीकरण हेतु हानि विवरण पर लेखा कार्यालय की सहमति प्रतीक्षित थी। तथापि, मंत्रालय ने एफ एफ आई तथा फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा आकलित वास्तविक हानि में भिन्नता का कारण स्पष्ट नहीं किया।

9.3 उच्चतम स्तर के प्रबन्धन एवं मंत्रालय द्वारा अनुश्रवण

ओ.एफ.बी के कार्यक्रम को संचालित करने के नियम यह दर्शाते हैं कि बोर्ड चौदह दिनों में एक बार बैठक करें परंतु सभापति को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि जब भी आवश्यक हो वे बैठक बुला सकते है। फैक्ट्रियों का प्रभावी एवं सक्षम संचालन आयुध निर्माणी बोर्ड के दक्ष अनुश्रवण पर निर्भर करता है। सभी फैक्ट्रियों के विभिन्न कार्यकलापों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह में एक बार ओ.एफ.बी की बैठक आयोजित की गई। जैसा की इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह (ओ ई एफ जी) विद्यमान कमियों, जैसे, अयथोचित लक्ष्य निर्धारण, सामग्री का प्रावधान करते समय आवश्यकताओं का दोषपूर्ण मूल्यांकन, नैराश्यपूर्ण उत्पादन, निष्पादन क्षमता अल्प उपयोग, अनौचित्य बाह्य स्रोतीकरण, विश्वसनीय गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक की कमी, प्रभावी मूल्याकंन की कमी, और लागत नियंत्रण के आभाव से ग्रस्त थी। परिणाम स्वरूप निर्गमों में बृहत हानियाँ हुई। इस स्थिति से थल सेना डिपूओं में सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादिक (जी एस एण्ड सी) की आपूर्ति व्यवस्था दुष्प्रभावित हुई। हमने देखा कि इन विद्यमान कमियों के बावजूद, 2008-12 के दौरान आयोजित 49 बैठकों में, एक को छोड़ ओ एफ बी द्वारा किसी में भी इन कमियों पर विचार नहीं किया गया तथा इन फैक्ट्रियों के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं सुझाए गए, जिससे गुणात्मकता एवं मात्रात्मकता से सेना को जी.एस. एवं सी. मदों की समयवद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा फैक्ट्रियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाया जा सके। अतः उच्च स्तरीय प्रबंधन पर अनुश्रवण का स्तर अपर्याप्त था।

9.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण की वजह से बन्द/अवास्तविक अधिपत्रों में श्रम प्रभारों की प्रविष्टि, परिसज्जित मदों के उत्पादन के लिए अधिकृत सीमा से अधिक/कम इनपुट सामग्री का आहरण एवं निर्माण प्रक्रिया में अधिक रद्दि की उत्पत्ति, हुई। पुनश्च फैक्ट्रियों के दक्षता पूर्ण संचालन हेतु, लेखांकन, वित्तीय प्रतिवेदन एवं फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन आदि के मूल्य-डाटा के लिए फैक्ट्री प्रबन्धन/आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) में कोई जांच प्रणाली अस्तित्व में नहीं थीं। ओ ई एफ जी में उच्च स्तरीय प्रबंधन के कार्यों पर किया गया अनुश्रवण भी अपर्याप्त था।

संस्तुति 17

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि ओ.एफ.बी. तथा फैक्ट्रियाँ, सभी संबंधित क्रिया-कलापों के लेखांकन और अभिलेखीकरण तथा मुख्य रूप से नियोजन एवं उत्पादन जैसे क्षेत्रों में, अपने आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत करे।

संस्तुति 18

ओ.ई.एफ.जी. द्वारा एक विस्तृत एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए जिससे बिना सामग्रा अथवा अधिक सामग्री के आहरण से निर्माण तथा श्रम प्रभारों को दर्ज करने में होने वाली अनियमितताओं से बचा जा सके।

अध्याय-X: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओ. ई. एफ. जी. की निष्पादन लेखापरीक्षा में, उत्पादन नियोजन, अधिप्राप्ति, सेवाओं को जी.एस. एंड सी. मदों के निर्गम गुणवत्ता नियंत्रण एवं संसाधनों का अल्प उपयोग व निर्गम हानियों आदि की कमियों पर प्रकाश डाला गया है। उत्पादन लक्ष्य के निर्धारण में, लक्ष्य निर्धारण बैठक का विलंबित आयोजन, फैक्ट्रियों से मद-वार क्षमता की विश्वसनीय सूचना के प्रवाह के बारे में ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) एवं डी.जी.ओ.एस. के मध्य समन्वय का आभाव, लक्ष्यों की अस्थिरता तथा फैक्ट्रियों की क्षमता से उनके बेमेल होने जैसी प्रणाली-गत कमियाँ दृष्टिगत हुईं। मौलिक नियोजन की इन कमियों की वजह से कार्य-कलापों की श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

हमने ओ.ई.एफ.जी द्वारा मंत्रालय/ओ एफ बी के अधिप्राप्ति मानकों एवं दिशा निर्देशों की अवज्ञा के मसले पर भी विशेष बल दिया। इस वजह से, भण्डार का अधिक प्रावधान, भण्डार अधिप्राप्ति हेतु खुली निविदा जांचों (ओ टी ई) के बजाय सीमित निविदा प्रणाली (एल टी ई) अपनाने से पारदर्शिता की कमी के साथ पूर्व क्रय दरों (एल पी आर) से आठ प्रतिशत के बजाय अधिक ऊँची दरों पर भण्डार अधिप्राप्ति, आपूर्ति आदेशों के प्रस्तुतीकरण अपसामान्य में चूकें, विक्रेताओं बीच गठजोड़ को समाप्त करने में विफलता आदि खमियाँ पाई गई।

इन फैक्ट्रियों द्वारा,जी.एस. एवं सी. मदों के उत्पादन एवं निर्गम में आवर्ती कमियाँ पाई गई। वाहयस्रोतीकरण के बावजूद भी, सम्पूर्ण लक्ष्य नहीं हासिल किए जा सके। इन फैक्ट्रियों को अभी भी सेवाओं एवं अर्द्ध-सैनिक बलों की सम्पूर्ण समकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उत्पाद निष्पादन को समुन्नत करने की आवश्यकता थी।

फैक्ट्रियों में कार्यभार के अनुरूप, प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों (आई ई) की नियुक्ति में प्रणाली-गत कमियों से, मशीनों से एकल शिफ्ट में कार्य हुआ, नतीजतन नियमित समयोपरि भुगतान होता रहा। साथ ही सभी फैक्ट्रियों में, मशीनों के कार्य घण्टों का भारी अल्प उपयोग हुआ तथा इन फैक्ट्रियों मे अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गुणवत्ता आश्वासन के स्तर पर, काफी मात्रा में सुधार हेतु वापसी (आर एफ आर) एवं तैयार मदों के अन्तिम अस्वीकृति दृष्टिगत हुई। परेषिती के स्तर पर लगातार अस्वीकृति ग्राहकों की शिकायत से, फैक्ट्रियों में गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन की विफलता उजागर होती है। उपभोक्ता की संतुष्टि एवं सुविधा की कमियों के सुधार पर जोर नहीं दिया गया।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) की मौजूदा मूल्यांकन क्रियाविधि और फैक्ट्रियों द्वारा निष्प्रभावी लागत नियंत्रण भी एक गंभीर विषय है, जिससे मांगकर्त्ताओं को निर्गमित उत्पादों में 2008-12 के दौरान प्रतिवर्ष हानियाँ हुईं, जिसकी कुल लागत ₹226.09 करोड़ है।

इस प्रतिवेदन में शीर्षस्थ स्तर पर आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण को प्रकाशित किया गया जिनके द्वारा वर्ष 2008-12 में आयोजित की गई बैठकों में इन फैक्ट्रियों के संचालन की त्रुटियों को न चिन्हित किया गया और न ही फैक्ट्रियों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए सुधार की कार्रवाई करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

मंत्रालय, ओ एफ बी एवं फैक्ट्री प्रबंधन को, सेवाओं एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के जी एस एण्ड सी मदों की आवश्यकता के लिए बाजार के मौजूदा प्रतिस्पर्द्धात्मक रवैये का अवलोकन करना चाहिए तथा वर्तमान प्रणाली की समग्र पुनरीक्षा करनी चाहिए ताकि मौजूदा कमियों/त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सके। प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि ओ ई एफ जी, व्यवहार्य एवं सक्षम तरीके से कार्य कर सकें और गुणवत्ता, मात्रात्मक एवं समयबद्धता के साथ, माँगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके एवं आवधिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से रक्षा तैयारियां सुनिश्चित हो सके।

(सुपर्णा देब)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(आयुध निर्माणियाँ)

कोलकाता
दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षर

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः

अनुलग्नक-I

(पैराग्राफ 2.1और 4.1में संदर्भित)

पूर्व लेखा परीक्षा टिप्पणियों/संस्तुतियों पर ओ.एफ.बी./ मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

पूर्व प्रतिवेदन में उल्लिखित विषय	पैराग्राफ/प्रतिवेदन सं.	पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों/संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई
भंडारों का अति प्रावधान	2007 की प्रतिवेदन सं. 19 का पैरा 3.2	ओ.एफ.बी. द्वारा निम्न सुधारात्मक कार्रवाई की गई हैः (क) ओ.एफ.बी के परिपत्र सं. 14/4/ओपीपी/एमएम(पी एण्ड सी) दिनांक 04.01.2007 के द्वारा सभी फैक्ट्रियों को अधिप्राप्ति के लिये विद्यमान दिशा निर्देश पर सख्त अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए। (ख) नवीन सामग्री अधिप्राप्ति नियम पुस्तक को जारी किया गया। (ग) अगर वितरण की आवश्यकता पड़े, तो फैक्ट्री को एक विशिष्ट मामले के रूप में ओ.एफ.बी. का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये।
विक्रेताओं के मध्य गठजोड़	2007 की प्रतिवेदन सं. 19 का पैरा 4.2.2	जुलाई 2007 में, गठजोड़ निर्माण के उन्मूलन के लिए एक विशिष्ट समिति द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके विस्तृत दिशा निर्देश बनाये गये तथा उन शर्तों को सभी फैक्ट्रियों को परिचालित कर दिया गया। तदनुसार, निविदा की शर्तों को ऐसे समाविष्ट उपबंधों के साथ संशोधित किया गया कि सभी फर्मों को उचित ढंग से सूचना मिल जाये और उद्धरण प्रस्तुत करते वे समय वे गठजोड़ का निर्माण करने से बचें।
अवधि-पश्चात उत्पादन	2005 की प्रतिवेदन सं. 6 का पैरा 8.2.6	प्रतिवेदित निर्गम आंकड़ों को वास्तविक निर्गम के अनुरूप करने के लिए सारे प्रयास किये जा रहे हैं तथा ओ. ई. एफ. मुख्यालय ने समयबद्ध तरीके से पिछले वर्षों के सभी अवधि-पश्चात निर्गमित मदों को क्रियान्वित करने के लिये कार्य योजना बनायी।
परिहार्य समयोपरि भुगतान	2005 की प्रतिवेदन सं. 6 का पैरा 8.2.5	मांगकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जितने आउटपुट श्रम घन्टों की आवश्यकता है, उससे कम इनपुट श्रम घन्टों (साधारणतया उपलब्ध)के होने के कारण सामान्य कार्यकारी घन्टों से अधिक(ओ. टी.) काम करने की आवश्यकता पड़ती है।

पूर्व प्रतिवेदन में उल्लिखित विषय	पैराग्राफ/प्रतिवेदन सं.	पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों/संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई
विभिन्न फैक्ट्रियों में सामान्य मदों के उत्पादन लागत में व्यापक भिन्नता	2005 की प्रतिवेदन सं. 6 का पैरा 8.2.6	एक से अधिक फैक्ट्रियों में उत्पादित सर्वनिष्ठ मदों की लागत में, भिन्नता का प्रमुख कारण, एक फैक्ट्री द्वारा वाह्यस्रोतीकरण था। सामान्य मदों के लिए बेहतर लागत नियंत्रण, अंतर्वर्तीय उत्पादन के लिए अलग-अलग अनुभाग तथा व्यापार द्वारा निर्मित किया गया है। समय-समय पर फैक्ट्रियों को सामान्य मदों को सामान्य स्तर पर स्थिर रखने के लिए सामग्री और श्रम अनुमान को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी किये गए हैं।
मशीन - घन्टों का अल्प उपयोग	2005 की प्रतिवेदन सं. 6 का पैरा 8.2.5	ओ. एफ. बी. ने मार्च 2008 में प्रतिदिन युगल शिफ्ट में काम करने के आधार पर, कारखानों में संलग्न मशीनों के क्षमता उपयोग की गणना के लिए फैक्ट्रियों को निर्देश जारी किया।
वार्षिक उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण	2008 की पी.ए. प्रतिवेदन सं. 4 का पैरा 3.7.1	ओ. एफ. बी. लक्ष्य निर्धारण बैठक के पूर्व, फैक्ट्रियों के पास उपलब्ध क्षमता तथा उत्पादन लक्ष्य की नियमित रूप से पुनरीक्षा करता है और अधिकतम सीमा तक क्षमता उपयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अन्तिम प्रयोक्ताओं के साथ आवधिक वार्तालाप भी करता है।

अनुलग्नक -II

(पैराग्राफ-5.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान मदवार लक्ष्य, उत्पादन, निर्गम एवं गिरावट

क्रम संख्या	मद का नाम	लक्ष्य	उत्पादन	निर्गम	गिरावट	गिरावट की प्रतिशतता	निर्गम मूल्य (₹)	गिरावट का मूल्य (₹ करोड़ में)
		(संख्या में)						
	2008-09							
1	ऊनी मोजे ओ.जी.	500000	460000	460000	40000	8	43	0.17
2	युद्ध विभेदक ट्राउजर	300000	203500	203500	96500	32	904	8.72
3	युद्धक ट्राउजर आई.सी.के.	200000	200000	200000	0	0		0
4	युद्ध विभेदक जैकेट	300000	203500	203500	96500	32	837	8.08
5	युद्धक जैकेट आई.सी.के.	100000	100000	100000	0	0		0
6	संयोजी हार्नेस	3100	1500	1500	1600	52	1480	0.24
7	परिवद्धनीय स्प्लिट	577	577	577	0	0		0
8	टेंट 2 एम	10000	10000	10000	0	0		0
9	ई.सी.ए.डी. पैराशूट एस.डी. 8.5	25000	16921	16921	8079	32	6710	5.42
10	पी.टी.ए.(एम)	2100	0	0	2100	100	61060	12.82
11	रूई के गद्दे	100000	72693	32135	67865	68	700	4.75
12	व्हाइट लाइन चमड़े के दस्ताने	200000	75000	59493	140507	70	627	8.81
13	बूट हाई एंकल डी.वी.एस.	500000	400000	143304	356696	71	1395	49.76
14	ईधन हीटर स्पेस ऑयल प्रज्ज्वजन	22000	15000	13698	8302	38	5200	4.32
15	जमीनी शीट टी.पी.ओ.-ओ.जी.	86000	35000	8698	77302	90	620	4.79
16	चगुल युनीवर्सल	200000	200000	188049	11951	6	203	0.24
17	टेंअ आर्कटिक मीडियम	3500	3000	2022	1478	42	35470	5.24
18	जल रोधी आवरण 9.1 x 9.1. एच	7500	2000	2000	5500	73	12670	6.97
19	जल रोधी आवरण 5.5X 4.5 एम	3300	0	0	3300	100	3442	1.14
20	जल रोधी आवरण 2.4X 1.8 एम	300	0	0	300	100	932	0.03
21	जल रोधी आवरण 1.7X 1.2 एम	1100	0	0	1100	100	447	0.05
22	जल रोधी आवरण 3.7X 3.0 एम	850	0	0	850	100	1761	0.15
23	ढक्कन विहीन किरमिच बाल्टी	100000	100426	85996	14004	14	194	0.27
24	बैग किट सवर्था ओ.जी.	10000	10000	10000	0	0		0
25	हैट एफ. एस. युद्ध विभेदक आई.सी.के.	10000	10000	10000	0	0		0
26	रोल वाद्य पार्का	25000	25000	25000	0	0		0
27	कोट युद्धक आई.सी.के.	10000	0	0	10000	100	1410	1.41
28	शर्ट अंगोला ड्रेब	200000	200040	200000	0	0		0
29	सर्ज पतलून बी.डी.	450000	440680	440680	9320	2	984	0.92
30	कोट ई.सी.सी.	40000	24498	24498	15502	39	7300	11.32
31	ऊनी जर्सी वी नेक ओ.जी.	150000	150000	150000	0	0		0
32	दरी	205994	125000	125000	80994	39	369	2.99
33	पुरूषों के लिए बनियान ए.एफ. ओ.जी.	50000	0	0	50000	100	204	1.02
34	ग्लेशियर कैप	20000	15185	15000	5000	25	300	0.15
35	बैरेक कम्बल	196160	110061	110060	86100	44	548	4.72

क्रम संख्या	मद का नाम	लक्ष्य	उत्पादन	जारी	कमी	कमी की प्रतिशतता	निर्गम मूल्य (₹)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
		(संख्या में)						
36	टेंट 4 एम	20000	24880	21481	0	0		0
37	गेटर ग्लेशियर	20000	20000	20000	0	0		0
38	वायु रोधी जैकेट	10000	10000	10000	0	0		0
39	वायु रोधी ट्राउजर	10000	10000	10000	0	0		0
40	शयन बैग	50000	45364	45309	4691	9	2370	1.11
41	ग्लेशियर पान्चो	23900	23900	23900	0	0		0
42	जल निरोधक बैग	20000	20000	20000	0	0		0
43	ऊनी खाकी मोजे	400000	260000	260000	140000	35	69	0.97
44	प्लाई आउटर 4 एम	6290	6360	3635	2655	42	9500	2.52
45	एंड पर्दे	15130	15130	8640	6490	43	5500	3.57
46	ओवर आल माजरी	5000	750	750	4250	85	603	0.26
47	खाकी शर्ट पी.डब्ल्यू. पी.सी.	25000	25000	25000	0	0		0
48	खाकी ट्राउजर पी.सी. पी.डब्ल्यू	10000	10000	10000	0	0		0
49	पैराटूपर बूट	12556	0	0	12556	100	900	1.13
50	मच्छरदानी	205000	196000	184093	20907	10	560	1.17
51	एच.ए.पी. (एम)	50	0	0	50	100	65690	0.33
52	किवमिच की पानी टंकी 230 ली. क्षमता	4000	4000	4000	0	0		0
							योग	**155.56**
			2009-10					
1	ऊनी मोजे ओ.जी.	800000	500000	500000	300000	38	130	3.90
2	युद्ध विभेदक ट्राउजर	300000	376500	376500	0	0		0
3	युद्धक ट्राउजर आई.सी.के.	200000	2620	2620	197380	99	820	16.19
4	युद्ध विभेदक जैकेट	300000	376500	376500	0	0		0
5	युद्धक जैकेट आई.सी.के.	200000	1200	1200	198800	99	915	18.19
6	संयोजी हार्नेस	3000	3000	3000	0	0		0
7	परिवद्धनीय स्प्लिंट	600	600	600	0	0		0
8	टेंट 2 एम	14112	13112	13112	1000	7	31900	3.19
9	ई.सी.ए.डी. पैराशूट एस.डी. 8.5	50000	4816	4816	45184	90	7880	35.60
10	पी.टी.ए.(एम)	2100	1075	1075	1025	49	72000	7.38
11	सेमल रूई के गद्धे	125600	85062	85062	40538	32	800	3.24
12	बुनावटी घर्निस सेट एस.डी.एम.	50000	47000	47000	3000	6	284	0.09
13	बुनावटी घर्निस सेट पट्टिका 4.12	50000	42000	42000	8000	16	120	0.10
14	उच्च गुल्फीय बूट	487444	32500	32500	454944	93	1550	70.52
15	भूमि पत्तरें टी.पी.ओ.- ओ.जी.	48547	95107	95107	0	0		0
16	चुगल यूनीवर्सल	100000	100000	100000	0	0		0
17	उत्तर ध्रवीय तम्बू मध्यम	1000	1500	1500	0	0		0
18	जल रोधी आवरण 9.1X 9.1 एम	5000	700	700	4300	86	12670	5.45
19	जल रोधी आवरण 5.5X 4.5 एम	3300	0	0	3300	100	4200	1.39
20	जल रोधी आवरण 2.4X 1.8 एम	400	0	0	400	100	1310	0.05
21	जल रोधी आवरण 3.7X 3.0 एम	400	0	0	400	100	2890	0.12

क्रम संख्या	मद का नाम	लक्ष्य	उत्पादन	जारी	कमी	कमी की प्रतिशतता	निर्गम मूल्य (₹)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
		(संख्या में)						
22	वस्त्राच्छदित टंकी क्षमता 6140 ली.	250	250	250	0	0		0
23	किरमिच बाल्टी बिना ढक्कन	24000	4000	4000	20000	83	300	0.60
24	बैग किट यूनीवर्सल ओ.जी.	50000	35080	35080	14920	30	185	0.28
25	युद्धक टोपी/टोप एफ.एस. आई.सी.के.	170000	0	0	170000	100	220	3.74
26	युद्धक कोट आई.सी.के.	75000	0	0	75000	100	1660	12.45
27	हल्की भूरी अंगोला शर्ट	200000	150000	150000	50000	25	665	3.33
28	ट्राउजर सर्ज बी.डी.	50000	10000	10000	40000	80	1120	4.48
29	कोट इ.सी.सी.सी.	69000	236	236	68764	99.65	8000	55.01
30	ऊनी जर्सी वी नेक ओ.जी.	250000	21100	21100	228900	92	570	13.05
31	दरी	100000	0	0	100000	100	435	4.35
32	पुरूषों के लिए बनियान ए.एफ. ओ.जी.	50000	11550	11550	38450	77	240	0.92
33	ग्लेशियर कैप	15000	6298	6298	8702	58	350	0.30
34	बैरेक कम्बल	326160	180000	180000	146160	45	750	10.96
35	टेंट 4 एम	18889	14789	14789	4100	22	42500	17.43
36	गेटर ग्लेशियर	10000	10000	10000	0	0		0
37	वायु रोधी जैकेट	5000	5000	5000	0	0		0
38	वायु रोधी ट्राउजर	5000	5000	5000	0	0		0
39	शयन बैग	50000	50000	50000	0	0		0
40	ग्लेशियर पान्चो	10000	2000	2000	8000	80	1800	1.44
41	जल निरोधक बैग	10000	10000	10000	0	0		0
42	ऊनी खाकी मोजे	400000	440000	440000	0	0		0
43	प्लाई आउटर 4 एम	34689	818	818	33871	98	10500	35.56
44	एंड कर्टेन	41568	0	0	41568	100	6200	25.77
45	लाइनर इनर 4 मी.	18624	12744	12744	5880	32	5375	3.16
46	कमर पेटी. एल.टी. डब्ल्यू. टी.	100000	100000	100000	0	0		0
47	मच्छरदानी	205000	30000	30000	175000	85	560	9.80
48	छत्र सैनिको का बूट	12556	9010	9010	3546	28	900	0.32
49	शर्ट पी.डब्ल्यू.पी.वी.डी.डी. ओ.जी.	400000	110000	110000	290000	73	510	14.79
50	ट्राउजर पी.डब्ल्यू पी.वी. डी.डी. ओ.जी.	1750000	643750	643750	1106250	63	580	64.16
51	पी.टी.ए.(रिजर्व)	565	415	415	150	27	38500	0.58
52	एच.ए.पी. (एम)	50	48	48	2	4	65690	0.01
							योग	**447.90**
	2010-11							
1	ऊनी मोजे ओ.जी.	1000000	1000000	1000000	0	0		0
2	युद्ध विभेदक ट्राउजर	500000	467500	467500	32500	7	1370	4.45
3	युद्धक ट्राउजर आई.सी.के.	500000	468000	468000	32000	6	1150	3.68
4	संयोजी हार्नेस	5000	0	0	5000	100	1600	0.80
5	परिवद्धनीय स्प्लिट	904	904	904	0	0		0
6	टेंट 2 एम	4700	1000	1000	37000	79	33500	12.40
7	ई.सी.ए.डी. पैराशूट एस.डी. 8.5	65000	23800	23800	41200	63	8300	34.20
8	पी.टी.ए.(एम)	500	514	514	0	0		0

क्रम संख्या	मद का नाम	लक्ष्य	उत्पादन	जारी	कमी	कमी की प्रतिशतता	निर्गम मूल्य (₹)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
		(संख्या में)						
9	पी.टी.ए.(आर)	150	100	100	50	33	44200	0.22
10	सेमल रूई गद्दे	70000	0	0	70000	100	976	6.83
11	बूट हाई एंकल डी.वी.एस.	300000	200292	200292	99708	33	2015	20.09
12	सेट हार्नेस वेब टाइप एस.डी.एम.	50000	27000	27000	23000	46	373	0.86
13	सेट हार्नेस वेब टाइप स्ट्रेप 4.12 एम	40000	25000	25000	15000	38	155	0.23
14	उत्तर ध्रुवीय वृहत टेंट	80	47	47	33	41	176700	0.58
15	उत्तर ध्रुवीय मध्यम टेंट	1500	1500	1500	0	0		0
16	जल रोधी आवरण 9.1X 9.1 एम	6473	5450	5450	1023	16	15300	1.57
17	जल रोधी आवरण 5.5X 4.5 एम	2700	2700	2700	0	0		0
18	जल रोधी आवरण 2.4X 1.8 एम	1150	0	0	1150	100	1310	0.15
19	जल रोधी आवरण 1.7X 1.2 एम	3810	0	0	3810	100	593	0.23
20	जल रोधी आवरण 3.7X 3.0 एम	731	731	731	0	0		0
21	जल रोधी आवरण 7.3X 5.5 एम	3100	0	0	3100	100	7500	2.33
22	किरमिच की पानी बाल्टी बिना ढ़क्कन	50000	0	0	50000	100	300	1.50
23	बैग किट सर्वथा ओ.जी.	300000	265567	265567	34433	11	200	0.69
24	कैप/हैट एफ.एस.डिसरप्ट आई.सी.के.	100000	10000	10000	90000	90	310	2.79
25	युद्धक कोट आई.सी.के.	50000	2000	2000	48000	96	4100	19.68
26	हल्की भूरी अंगोला शर्ट	160000	152886	152821	7179	4	730	0.52
27	सर्ज ट्राउजर बी.डी.	100000	75587	75000	25000	25	1180	2.95
28	कोट ई.सी.सी.	50000	25539	25000	25000	50	8400	21.00
29	ऊनी जर्सी वी नेक ओ.जी.	200000	205000	205000	0	0		0
30	दरी	50000	10443	10443	39557	79	780	3.09
31	पुरूषों के लिए बनियान ए.एफ. ओ.जी	200000	125000	125000	75000	38	270	2.03
32	ग्लेशियर कैप	30000	1087	1050	28950	97	403	1.17
33	बैरेक कम्बल	350000	260397	260000	90000	26	865	7.79
34	टेंट 4 एम	18800	18800	18800	0	0		0
35	गुल्फ रक्षक ग्लेशियर	27220	27220	27220	0	0		0
36	वायु रोधी जैकेट	27000	600	600	26400	98	1270	3.35
37	वायु रोधी ट्राउजर	29000	600	600	28400	98	830	2.36
38	शयन बैग	100000	105000	105000	0	0		0
39	पान्चो ग्लेशियर	27000	19000	19000	8000	30	1800	1.44
40	जल निरोधक बैग	5000	5000	5000	0	0		0
41	ऊनी खाकी मोजे	250000	120000	120000	130000	52	124	1.61
42	प्लाई आउटर 4 एम	18000	10623	10623	7377	41	11000	8.11
43	एंड कर्टेन	20000	10016	10016	9984	50	6470	6.46
44	शस्त्र पाउच गोला बारूद आई.सी.के.	30000	30000	30000	0	0		0
45	शर्ट पी.डब्ल्यू पी.वी.डी.डी. ओ.जी.	500000	470003	470000	30000	6	608	1.82
46	ट्राउजर पी.डब्ल्यू पी.वी.डी.डी. ओ.जी.	1300000	1350503	1350030	0	0		0

क्रम संख्या	मद का नाम	लक्ष्य	उत्पादन	जारी	कमी	कमी की प्रतिशतता	निर्गम मूल्य (₹)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
		(संख्या में)						
47	मच्छरदानी	205000	99300	99300	105700	52	560	5.92
48	टेंक फैब 6140 लीटर	300	300	300	0	0		0
49	लाइनर इनर 2 मी.	900	900	900	0	0		0
50	लाइनर इनर 4 मी.	6400	5485	5485	915	14	5630	0.52
51	फ्लाई आउटर 2 मी.	1540	1540	1540	0	0		0
52	230 ली.क्षमता की किरमिच की टंकी	2500	2500	2500	0	0		0
							योग	**183.42**
			2011-12					
1	ऊनी मोजे ओ.जी.	1200000	1200000	1200000	0	0	137	0
2	युद्ध विभेदक ट्राउजर	550000	538500	535400	14600	3	1493	2.18
3	युद्धक पतलून आई.सी.के.	550000	538500	535400	14600	3	1254	1.83
4	युद्धक विभेदक जैकेट	8000	2556	2556	5444	68	1600	0.87
5	युद्धक जैकेट आई.सी.के.	400	350	350	50	13	3100	0.02
6	सयोजी घर्निस	8300	2550	2550	5750	69	35845	20.61
7	परिवद्धरीय खपची	30000	28400	28254	1746	6	9047	1.58
8	टेंट 2 एम.	645	450	450	195	30	84334	1.64
9	ई.सी.ए.डी. पैराशूट एस.डी. 8.5	1000	386	386	614	61	48241	2.96
10	पी.टी.ए.(एम)	100000	56000	56000	44000	44	1064	4.68
11	सेमल रूई के गद्धे	400000	217078	217078	182922	46	2200	40.24
12	बुनावटी घर्निस सेट एस.डी.एम.	40000	35000	35000	5000	13	407	0.20
13	बुनावटी घर्निस सेट पट्टिका 4.12	50000	40000	40000	10000	20	166	0.17
14	उच्च गुल्फीय बूट	130	130	130	0	0		0
15	भूमि पत्तरें टी.पी.ओ.- ओ.जी.	2000	2000	2000	0	0		0
16	चुगल यूनवर्सल	3500	0	0	3500	100	7358	2.58
17	उत्तर ध्रवीय तम्बू मध्य में	14000	1950	1950	12050	86	20543	24.75
18	जल रोधि आच्छदन 9.1X 9.1 एम	4000	0	0	4000	100	4548	1.82
19	जल रोधि आच्छदन 5.5X 4.5 एम	50000	50000	50000	0	0		0
20	जल रोधि आच्छदन 2.4X 1.8 एम	927	0	0	927	100	4120	0.38
21	जल रोधि आच्छदन 3.7X 3.0 एम	2200	0	0	2200	100	8250	1.82
22	किरमिच की पानी बाल्टी बिना ढक्कन	100000	100000	100000	0	0		0
23	बैग फिट सर्वथा ओ.जी.	180000	214433	214433	0	0		0
24	युद्धक टोपी/टोपा एफ.एस. आइ.सी.के.	350000	50480	50480	299520	86	326	9.76
25	युद्धक कोट आई.सी.के.	115000	93183	93183	21817	19	4305	9.39
26	हल्की भूरी अंगोला शर्ट	350000	315170	315170	34830	10	796	2.77
27	सरज ट्राउजर बी.डी.	400000	145305	145305	254695	64	1270	32.35
28	कोट ई.सी.सी.	80000	27000	27000	53000	66	8500	45.05
29	ऊनी जर्सी वी नेक ओ.जी.	250000	201507	201507	48493	19	1200	5.82
30	दरी	50000	0	0	50000	100		0
31	पुरूषों के लिए बनियान ए.एफ. ओ.जी.	250000	140432	140432	109568	44	294	3.22
32	वर्फीली टोपी	57000	21628	21628	35372	62	431	1.52

क्रम संख्या	मद का नाम	लक्ष्य	उत्पादन	जारी	कमी	कमी की प्रतिशतता	निर्गम मूल्य (₹)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
		(संख्या में)						
33	बैरेक कंबल	300000	256348	256348	43652	15	943	4.12
34	बम्बू 4 एम	17100	2971	2971	14129	83	50290	71.05
35	वर्फीले गुल्फ रक्षक	100000	95000	95000	5000	5	551	0.28
36	वायु रोधी जैकेट	54000	18200	18200	35800	66	1334	4.78
37	वायु रोधी ट्राउजर	49000	18400	18400	30600	62	872	2.67
38	शयन बैग	140000	121000	121000	19000	14	3771	7.16
39	वर्फीले पान्चो	35000	23000	23000	12000	34	1890	2.27
40	जल निरोधक बैग	27000	10172	10172	16828	62	257	0.43
41	ऊनी खाकी मोजे	450000	450000	450000	0	0		0
42	प्लाई आउटर 4 मी.	9000	20298	20125	0	0		0
43	आखिरी पर्दे	34700	2050	2050	32650	94	7684	25.09
44	शस्म पान्थों आइ.सी.के.	40000	42000	42000	0	0		0
45	शर्ट पी.वी.डी.डी. ओ.जी. ट्राउजर	500000	457534	457534	42466	8	663	2.82
46	ट्राउजर पी.डब्ल्यू.डी.डी. ओ.जी.	500000	474474	474474	25526	5	774	1.98
47	मच्छरदानी	390000	162669	162669	227331	58	610	13.86
48	बस्याच्छोदित 61.40 ली.क्षमता टंकी	700	390	390	310	44	23160	0.72
49	लाइनर इनर 2 मी.	1550	1550	1550	0	0		0
50	लाइनर इनर 4 मी.	8200	2365	2255	5945	73	6200	3.69
51	फ्लाइ आउटर 2 मी.	2000	3625	3625	0	0		0
52	230 ली.क्षमता की किरमिच की टंकी	7000	4500	4500	2500	36	4465	1.12
						योग		**360.25**
						कुल योग		**1147.13**

स्रोतः (i) डी.जी.ओ.एस. नई दिल्ली एवं ओ.ई.एफ. समूह मुख्यालय कानपुर के मध्य लक्ष्य निर्धारण बैठक का कार्यवृत्त

(ii) ओ.ई.एफ. समूह मुख्यालय कानपुर द्वारा तैयार मार्च 2009, 2010, 2011 एवं 2012 के लिए प्रधान मदों (थल सेना) का मासिक उपलब्धि प्रतिवेदन

अभ्युक्तियाँ : 2008-09 के लिए, क्रमांक 44 से 49 एवं 2009-10 के लिए क्रमांक 8 एवं 35 के मदों के संबंध में, ओ.ई.एफ. समूह मुख्यालय कानपुर द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गये थे, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारण बैठक में डी.जी.ओ.एस. द्वारा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया था।

अनुलग्नक -III

(पैराग्राफ 7.1 में संदर्भित)

आयुध फैक्ट्रियों में गुणवत्ता प्रबंधन से संबन्धित क्रिया-कलापों का फ्लो - चार्ट

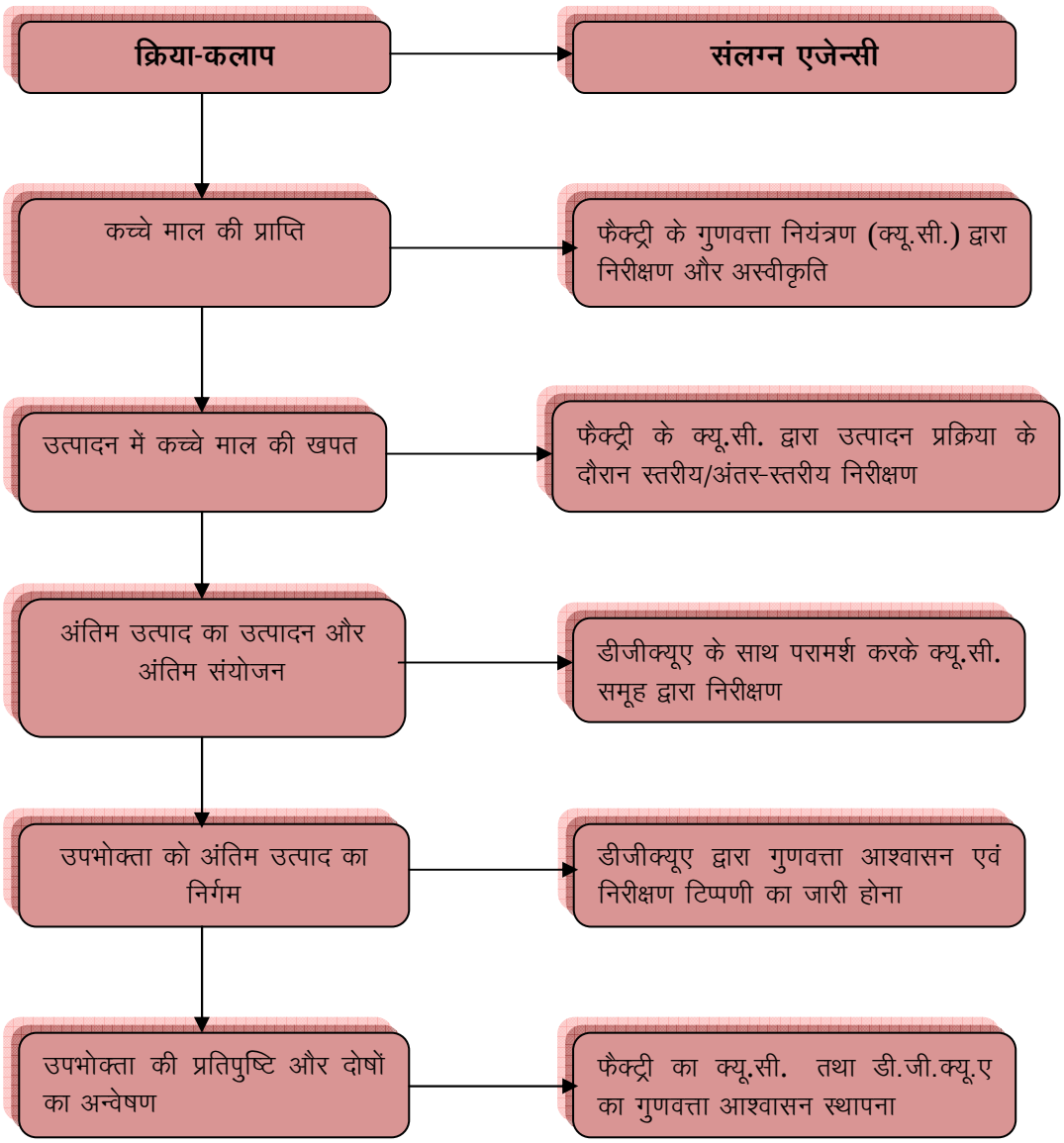

नोट

क्यू.सी.- गुणवत्ता नियंत्रण

क्यू. ए. - गुणवत्ता आश्वासन

अनुलग्नक -IV

(पैराग्राफ 7.6 में सन्दर्भित)

परेषिती स्तर पर अस्वीकृति का विवरण

मामलों का सारांश	लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ
आयुध पैराशूट फैक्ट्री	
वर्ष 2006 में ए. डी. आर. डी. ई. द्वारा सी एफ एफ पैराशूट विकसित करने के पश्चात, थल सेना ने (अक्टूबर 2008 में) आयुध फैक्ट्री बोर्ड को 700 पैराशूटों का आदेश दिया। थोक उत्पादन की स्वीकृति (वी पी सी) के पूर्व 40 सी एफ एफ प्रणालियों को अप्रैल 2009 तक वैधीकरण हेतु प्रस्तुत करना था। किन्तु ओ.पी.एफ. ₹4.10 करोड़ लागत के 42 पैराशूट फरवरी - मार्च 2010 में सैन्य उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालय आगरा (ए ए टी एस) को प्रेषित कर दिए। डी जी क्यू ए एवं ए डी आर डी ई द्वारा निरीक्षण एवं जाँच करके प्रयोक्ता के प्रणालियों परीक्षण हेतु पैराशूटों का निर्गम भी कर दिया गया। किन्तु जुलाई 2010 में महानिदेशक पैदल सेना ने यह मुद्दा उठाया कि पैराशूटों में जीवन हेतु खतरनाक कमियाँ,जैसे छतरी का फटना, संयोजन कड़ियों में दरार, आक्सीजन बोतलों का विस्फोट आदि मौजूद थीं तथा आयुध फैक्ट्री बोर्ड से उन विक्रेताओं /व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया जो त्रुटि- पूर्ण पैराशूट बनाने में शामिल थे क्योंकि इन्हें सेवा की सामरिक नीति की तैयारी के संचालन हेतु निर्गमित किया गया था। मंत्रालय ने (मई 2012 में) कहा कि प्रारम्भिक विकास की समस्याएं दूर कर ली गई हैं तथा थोक उत्पादन की अनुमति दे दी गई है।	प्रयोक्ताओं द्वारा पायी जीवन के लिए खतरनाक त्रुटियाँ, फैक्ट्री की अदक्ष एवं निष्प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के साथ एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) द्वारा गुणवत्ता आश्वासन निरीक्षण की विफलता को इंगित करती है। इसके साथ ही, विलम्बित उत्पादन एवं उपभोक्ता परीक्षण से सेना के प्रचालन हेतु तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।
अगस्त 2007 में मंगोलिया को उपहार जारी करने के लिए सेना के आदेश के विपरीत ओ.पी.एफ. कानपुर ने थलसेना उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल को दिसम्बर 2008 में 25 सेट सी.एफ.एफ. पैराशूट प्रेषित की । ए.ए.टी.एस. ने ओ.पी.एफ. को सूचित किया कि (मार्च 2009) 25 सेट, ए.डी.आर.डी.ई. द्वारा परीक्षित किये गए तथा उपयुक्तता/योग्यता परीक्षण में विफल हो गये। अतः, पैराशूट ओ.पी.एफ. कानपुर को सुधार के लिए वापस भेज दिए गए और सुधार के बाद, जनवरी 2010 में उन्हें पुनः ए.टी.एस. आगरा को प्रेषित कर दिया। आगे, थल सेना ने जनवरी 2011 में ओ.पी.एफ. से अनुरोध किया कि वह इस आशय का एक आवश्यक प्रमाण-पत्र अग्रेषित करे कि पैराशूट, हर दृष्टि से युद्धक अवपात के लिए उपयोग हेतु उपयुक्त थे। तथापि, ओ.पी.एफ. प्रबंधन ने, यह उत्तर दिया कि पैराशूट एस.क्यू.ए.ओ., एस.क्यू.ए.ई. (जी.एस.) द्वारा परीक्षित किए गए थे तथा उनके द्वारा जाँच-टिप्पणी जारी कर दी गई थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने फरवरी 2011 में कहा कि, प्रणाली विशिष्ट के अनुसार हर दृष्टि से उपयुक्त थी।	ओ.पी.एफ. द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, 25 सेट सी.एफ.एफ. पैराशूट (₹ 1.94 करोड़) , जुलाई 2012 तक मंगोलिया को निर्गमित किये जाने के लिए शेष थे।
आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर	
ओ.ई.एफ. हजरतपुर द्वारा 2008-09 में निर्मित टेंट 4 एम. के संबंध में, सी.ओ.डी. कानपुर ने सितम्बर 2008 में एक त्रुटी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) द्वारा वस्त्र संघटकों के भौतिक रूप से परीक्षण एवं जांच से यह प्रकट हुआ कि (दिसम्बर 2008) , विमा, कार्यकुशलता तथा अंतिम सज्जा, क्लोराईट परीक्षण व जल-रोधन के संबंध में, मुख्य रूप से भिन्नता पाई गई जिसके कारण, अंतिम स्तर पर उपयोग के दौरान, टेंट के वस्त्र संघटाकों का टिकाऊपन एवं उसकी प्रयोज्यता प्रभावित हो सकती थी। पुनश्च धात्विक संघटकों के दोषयुक्त प्रतिदर्शे के परीक्षण के पश्चात सी.क्यू.ए. (जी.एस.)	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सी.क्यू.ए. (जी.एस.) कानपुर द्वारा दोषमुक्त घोषित किये जाने के बावजूद ओ.ई.एफ. हजरतपुर ने घात्विक संघटकों की वापसी नहीं की तथा उन

	टेंटों के बाद में स्वीकृत

प्रकरणों का सरांश	लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ
कानपुर ने पाया कि (जनवरी 2009) प्रतिदर्श, विशिष्टि की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे। अतः, सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) ने जनवरी 2009 में, दोषपूर्ण टेंटों की वापसी की सिफारिश की। तदनुसार, सी.ओ.डी. कानपुर ने अप्रैल 2009 में फैक्ट्री से, ₹ 1.86 करोड़ मूल्य के पाँच सौ दोषपूर्ण टेंटों जो कि सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) द्वारा अप्रोज्य घोषित कर दिए गए थे, की वापसी हेतु अनुरोध किया। फिर भी, ओ.ई.एफ.एच. ने नवम्बर 2009 में वस्त्र संघटकों की वापसी की तथा उसके पश्चात सी.ओ.डी. कानपुर द्वारा इकाईयों को टेंट निर्गमित किये गए। अतएव, दोषपूर्ण धात्विक संघटकों की वापसी किए बिना निम्न कोटि के टेंटों के निर्गम से सी.ओ.डी. कानपुर के स्तर पर गुणवत्ता से समझौता करने की स्थिति के साथ-साथ फैक्ट्री के गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था की कमी उजागर होती है।	कर लिया गया। जो यह दर्शाता है कि सी.ओ.डी. कानपुर एवं ओ.ई.एफ. हजरतपुर दोनों के ही स्तर पर गुणवत्ता से समझौता किया गया।
ओ ई एफ कानपुर	
मार्च 2008 के दौरान ओ.ई.एफ. कानपुर ने सी.ओ.डी. कानपुर को 74 टेंट 4 एम निर्गमित किया। सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) द्वारा प्रतिदर्श भण्डारों के निगरानी/लेखापरीक्षा जाँच के दौरान, शंकु परीक्षण एवं बी.डब्ल्यू.आर.[20] से संबंधित विशिष्ट के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रतिदर्श लॉट को अस्वीकृति हेतु (मई 2008) संस्तुत कर दिया गया। सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) आगे सी.ओ.डी. कानपुर से प्रयोक्ताओं को ₹27.59 लाख मूल्य के परेषण को निर्गम से रोकने का अनुरोध किया (जून 2008) । फैक्ट्री ने मार्च 2009 में, स्वीकार किया कि मूल तंतु के निम्न गुणवत्ता एवं दोषयुक्त होने के कारण, जल का रिसाव, टेंट के आंतरिक सतह में गीलापन तथा मोड़ने पर तंतु के टूटने या छिद्रित होने जैसी समस्यायें उत्पन्न हुई। मई 2012 में, मंत्रालय ने कहा कि टेंट, सी.ओ.डी. कानपुर द्वारा स्वीकृत कर लिए गए तथा कोई हानि नहीं हुई।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) के, परेषण को निर्गम से रोकने के अनुदेश की अवहेलना करते हुए, सी.ओ.डी. ने, मांगकर्ता इकाइयों को दोषयुक्त निर्गमित किये।
ओ.सी.एफ. शाहजहाँपुर	
सी.क्यू.ए. (टी. एण्ड सी.) विशिष्टि के आधार पर ओ.सी.एफ.एस. ने थल सेना को निर्गम के लिए कम्बलों का निर्गम किया जिसमें समय-समय पर बदलाव होते रहते थे। अक्टूबर 2008 के दौरान देखा गया कि ओ.सी.एफ.एस. के पास, ₹2.35 करोड़ मूल्य के 40,000 दोषयुक्त कम्बल (2005-09 के दौरान निर्मित) उपलब्ध थे। तत्पश्चात 1872 कम्बल, विभिन्न फैक्ट्रियों को उपयोग के लिए निर्गमित कर दिए गए। अतः अब भी ₹2.24 करोड़ मूल्य के 38,128 कम्बलों का निस्तारण फैक्ट्री द्वारा किया जाना बाकी था। मंत्रालय ने मई 2012 में कहा कि अस्वीकृत कम्बलों का भण्डारण इसलिए हुआ कि तैयार कम्बल के लिए स्वीकार्य मानक में बदलाव किए बिना सूत की बनावट स्वीकार्य सीमा में बार-बार बदलाव होते थे। उन्होंने आगे कहा कि, उत्पादन कारखाने द्वारा पांच प्रतिशत के अपरिहार्य अस्वीकृति की मांग के बावजूद अनुमान में मात्र एक प्रतिशत (यू.ए.आर.) प्रदान की गई।	तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2005-08 के दौरान फैक्ट्री ने 10,28,840 कम्बलों की आपूर्ति की। जिसमें से मात्र 40,000 (3.89 प्रतिशत) कम्बल वजन में भिन्नता के कारण अस्वीकृत हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि विशिष्टि में काई समस्या नहीं थी बल्कि दोषपूर्ण उत्पादन एवं निम्न कोटि के गुणवत्ता नियंत्रण के कारण समस्या उत्पन्न हुई, जिसे यू.ए.आर. की प्रतिशतता बढ़ाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। उत्पादन दक्षता एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने के लिए सुधारात्मक उपायों के बारे में उत्तर मौन है।

[20] बर्डमैन्स वाटर रिप्लेन्सी टेस्ट

प्रकरणों का सरांश	**लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ**
ओ.पी.एफ. कानपुर, ओ.सी.एफ. शाहजहाँपुर एवं ओ.ई.एफ. हजरतपुर में सर्वनिष्ठ मद	
थल सेना से प्राप्त 6.20 लाख कोट कम्बैट आई.सी.के. प्रति मार्च 2007 तक 1.85 लाख कोट अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि उनकी उपरी बाह (बंद करने पर) कसी हुई थी और इनर के साथ उसे पहनने पर बाहों की नाप अधिक हो जाती थी। यह भण्डार थल सेना एवं डिपो के विभिन्न कमान कार्यालयों में दोषयुक्त भण्डार के रूप में पड़ा हुआ था। ओ.ई.एफ. मुख्यालय ने डी.जी.ओ.एस. को (जून 2008) में सूचित किया कि उनके द्वारा थोक मात्रा में सुधार का कार्य संभव नहीं है और उन्होंने सुधार कार्य के लिए आदेश प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। किन्तु, कोट आई.सी.के. की बड़ी मात्रा का सेल्फ/उपयोग अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद, मार्च 2011 तक सी.ओ.डी. कानपुर द्वारा, 14,909 कोट 'परिष्कृत' एवं 'सुधार के अधीन' घोषित कर दिए गये। अब तक डी.जी.ओ.एस./सी.ओ.डी. कानपुर से ₹22.48 करोड़ मूल्य के 1.70 लाख अस्वीकृत कोट की शेष मात्रा के सुधार हेतु न तो कोई मांग-पत्र और ना ही कोई सूचना प्राप्त हुई थी।	गुणवत्ता नियंत्रण व गुणवत्ता आश्वासन में विफलता के कारण प्रयोक्ताओं के स्तर पर कोटों की अस्वीकृति हुई। इसक अलावा फैक्ट्रियों द्वारा अस्वीकृत कोटों के सुधार के लिए कदम नहीं उठाने से उनकी उपयोग अवधि समाप्त हो गई।

अनुलग्नक -V
(पैराग्राफ 7.7 में संदर्भित)
फैक्ट्री-वार उपभोक्ताओं की शिकायतें

फैक्ट्री	अस्वीकृत मदें	मुख्य त्रुटि की प्रकृति (अवधि)	अभ्युक्तियाँ
ओ.ई.एफ. कानपुर	उच्च हाई एंकल बूट (थल सेना)	कम कड़ापन तथा तल्ले में पॉलिमर तत्वों की कम प्रतिशतता (सितम्बर 2009)	नवीन भण्डार निर्गमित
	बैग किट यूनीवर्सल (वायु सेना)	कपड़ों के रंगों मे फर्क, कटे के निशान, त्रुटिपूर्ण सिलाई एवं फफूंद कि उत्पत्ति (मई 2008 से सितंबर 2009)	नवीन भण्डार निर्गमित / निर्गम हेतु तैयार
	चमड़े के काले जुते डी एम एस (वायु सेना)	फफूंद से संक्रमित (नवंबर 2008 से जुलाई 2009)	नवीन भण्डार निर्गमित
	प्रेक्षेपक लांगूल इकाई (वायु सेना)	टेल यूनिट में जंग के निशान एवं दरारें (अगस्त-2009)	सुधार कार्य शेष
	बैलिस्टिक टेल यूनिट(वायु सेना)	बुनावट में त्रुटि, लम्बाई में कमी, निकल की अनुचित परत (जून एवं अगस्त 2009)	वापसी की आवश्यकता
	एंकल बूट डी एम एस (वायु सेना)	त्रुटिपूर्ण (1430 नग) (2011-12)	त्रुटिपूर्ण भण्डार का सुधार कर दिया गया और शिकायत का निवारण कर दिया गया
ओ.पी.एफ. कानपुर	कमीज पी वी एल बी एच एस एवं पी सी एच एस (वायु सेना)	धब्बों का निशान, बुनावटी कमी, जेबों की सिलाई एवं आकार मे भिन्नता, रंगो में अन्तर (जनवरी 2009 से सितंबर 2009)	वापसी कर की गई
	पतलून पी वी बी जी/ पी सी वी जी (वायु सेना)	नमी से ग्रस्त, फफूंद की उत्पत्ति (सितम्बर 2009 से अक्टूबर 2010)	वापसी कर की गई
	काले ऊनी मोजें(वायु सेना)	रंगो मे भिन्नता (850 जोड़े) (2011-12)	वापसी कर की गई
ओ.सी.एफ. एस. शाहजहाँपुर	नीला कंबल (वायु सेना)	धब्बों के निशान, बुनावटी त्रुटि, ऊन का असमान वितरण (जनवरी से मार्च 2010)	आंशिक वापसी कर दी गई
		वजन मे भिन्नता (637 नग) (2011-12)	जाँच बोर्ड का गठन कर दिया गया
	बैरक कम्बल (थल सेना)	उल्लेख नहीं (नवम्बर-2010)	अन्वेषण के अधीन
	शेल आउटर पारका (वायु सेना)	निम्नस्तरीय वस्त्र सामग्री एवं कारीगरी (अक्टूबर-2010)	सुधार/ वापसी प्रतीक्षित
	मर्दाना ऊनी जर्सी (थल सेना)	निम्नस्तरीय कारीगरी एवं परिसज्जा (सितंबर-2010)	अन्वेषण के अधीन
	पतलून सर्ज पी.डब्ल्यू. एंड पी. डब्ल्यू. पी.वी. ओ.जी. (थल सेना)	निम्नस्तरीय कारीगरी एवं परिसज्जा (अगस्त-2010)	सुधार/ वापसी प्रतीक्षित
	हल्की भूरी मर्दाना अंगोला कमीजें (थल सेना)	निम्नस्तरीय कारीगरी एवं परिसज्जा (जुलाई-2010)	सुधार/ वापसी प्रतीक्षित

फैक्ट्री	अस्वीकृत मदें	मुख्य त्रुटि की प्रकृति (अवधि)	अभ्युक्तियाँ
ओ.सी.एफ. अवाडी	पतलून पी वी डी डी ओजी (थल सेना)	घटिया सिलाई, निम्नस्तरीय परिसज्जा, अनुचित सतहीकरण (मई - जून 2010)	वापसी कर दी गई
	उन्नत युद्धक वर्दी (थल सेना)	रंग उड़ना तथा गर्मी में गैर आरामदेह (फरवरी -2010)	अन्वेषण प्रतिक्षित
	ई सी ए डी पैराशूट (थल सेना)	भण्डार की आर्द्र एवं खराब स्थिति (नवम्बर -2008)	वापसी कर दी गई
	हल्की भूरी अंगोला कमीजें (थल सेना)	आर्द्र एवं क्षतिग्रस्त स्थिति (दिसम्बर 2008)	वापसी कर दी गई
	युद्ध विभेदक जैकेट एवं पतलून (थल सेना)	मात्रा कम पाई गई (सितम्बर-2010)	जाँच पड़ताल का परिणाम प्रतीक्षित
ओ.ई.एफ. हजरतपुर	मुख्य सस्पेंशन पट्टी	अरेस्टर बैरियर एवं लोहे के तारों वाली रस्सियाँ के किनारों में असमय टूट-फूट (सितम्बर-2009)	शिकायत का आंशिक निवारण
	टी ई एफ एस 4 एम एवं 2 एम	तम्बुओं के प्रेषण में कमी एवं लकड़ी के बक्सों के बगैर टेंटों की प्राप्ति (नवम्बर/दिसम्बर 2010)	शिकायत का अभी तक निवारण नहीं हुआ
	एम ई एन ए 30/40 फिट	पैकिंग कृन्तक, दीमक एवं फफूँद से संक्रमित पाया गया (जनवरी/दिसम्बर 2010)	शिकायत का आंशिक रूप से निवारण हुआ।
	युद्ध विभेदक जैकेट	त्रुटिग्रस्त (11370 नग) (2011-12)	शिकायत का अभी तक निवारण नहीं हुआ
	युद्ध विभेदक पतलून	त्रुटिग्रस्त (25514 नग) (2011-12)	शिकायत का आंशिक निवारण हुआ

अनुलग्नक -VI

(पैराग्राफ 8.1.1 में सन्दर्भित)

अनुमानित लागत, वास्तविक लागत एवं निर्गम मूल्य का मदवार विश्लेषण

वर्ष	मद	अनुमानित लागत (ई.सी.) (₹)	वास्तविक लागत (ए.सी.) (₹)	निर्गम मूल्य (आई.पी.) (₹)	ई.सी. एवं ए.सी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ई.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ए.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत
फैक्ट्री : ओ.ई.एफ.कानपुर							
2008-09	शयन बैग	2723.06	2824.44	2370	3.72	12.97	16.09
	चर्म बूट एंकल डी.वी.एस.	720.31	725.31	651	0.69	9.62	10.25
	बचाव करने वाले बैग	6862.96	6779.27	5660	-1.22	17.53	16.51
	शौचालय स्क्रीन	1341.51	1406.52	1180	4.85	12.04	16.1
	कालर हेड पास लार्ज	1290.26	1332.06	921	3.24	28.62	30.86
	पैक समर्थक पट्टियाँ	36.05	34.48	24	-4.36	33.43	30.39
2009-10	सेमल रूई के गददे	878.86	909.68	800	3.51	8.97	12.06
	शयन वैग मध्यम	3676.77	3586.92	3200	-2.44	12.97	10.79
	उच्च एंकल बूट डी.वी.एस.	1935.49	1911.75	1550	-1.23	19.92	18.92
	हीटर स्पेस आयल बर्निंग	5869.53	5866.4	5200	-0.05	11.41	11.36
	शौचालय स्क्रीन एम.के. -III	6061.26	5810.48	4900	-4.14	19.16	15.67
	जमीनी पत्तरें. पी.ओ.	714.23	732.37	620	2.54	13.19	15.34
	फेब्रीकेटेड टंकी 6140 ली.	23821.73	24048.07	18490	0.95	22.38	23.11
	कमर के लिए हल्के बैग	117.54	115.19	60	-2	48.95	47.91
	भूरी लाइनिगं फेल्ट	218.53	232.7	170	6.48	22.21	26.94
	एंकलेट वेबिंग	259.3	253.7	155	-2.16	40.22	38.9
2010-11	मध्यम शयन वैग	4251.26	4267.54	3460	0.38	18.61	18.92
	ट्रेसिग पट्टियाँ	3981.94	4115.87	3700	3.36	7.08	10.1
	वृहत् शयन वैग	4548.47	4311.38	3460	-5.21	23.93	19.75
	उच्च एंकल वूट डी.वी.एस.	2634.38	2826.36	2015	7.29	23.51	28.71
	सेमल रूई के गद्दे	1272.8	1256.47	976	-1.28	23.32	22.32
	वैग फिट यूनीवर्सल ओ.जी.	288.65	290.32	200	0.58	30.71	31.11
	कमर वन्द पेटियाँ पी.जी.एस. -1	246.03	260.87	205	6.03	16.68	21.42
	क्रपर पी.जी.एस.	795.22	784.35	666	-1.37	16.25	15.09
	कैनवस की जल टंकी -230 ली.	4440.86	4595.33	4000	3.48	9.93	12.96
	बूट एंकल डी.वी.एस	1491.7	1537.28	1300	3.06	12.85	15.44
	सिंथेटिक काली कमर पेटी	321.99	348.4	250	8.2	22.36	28.24
2011-12	वहत् शयन बैग	5182.75	5247.30	3771	1.25	27.24	28.13
	आर्कटिक टेंट मीडियम	66972.67	63525.79	56175	-5.15	16.12	11.57
	फ्लाई आउटर 4 एम	14062.10	13911.97	11990	-1.07	14.74	13.82
	कैनवस की जल टंकी 230 ली.	5247.00	5252.85	4465	0.11	14.90	15.00
	शौचालय स्क्रीन एम.के-III	9221.19	9056.65	8645	-1.78	6.25	4.55
	सेमल रूई के गद्दे	1438.72	1397.20	1368	-2.89	4.92	2.09
	विस्तर बन्द	1351.14	1280.74	1058	-5.21	21.70	17.39

वर्ष	मद	अनुमानित लागत (ई.सी.) (₹)	वास्तविक लागत (ए.सी.) (₹)	निर्गम मूल्य (आई.पी.) (₹)	ई.सी. एवं ए.सी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ई.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ए.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत
फैक्ट्री : ओ.पी.एफ. कानपुर							
2008-09	विस्तारणीय टेंट 4 एम	30788.24	31204.32	27080	1.35	12.04	13.22
	ई.सी.ए.डी. पैराशूट 8.5 एम.	7372.84	7329.94	6710	-0.58	8.99	8.46
	ट्राउजर डिस जंगल	1192.88	1134.37	904	-4.9	24.22	20.31
	जैकेट सी.डी. जंगल	965.86	956.98	837	-0.92	13.34	12.54
	ट्राउजर पी.वी. ओ.जी.	645.08	655.19	580	1.57	10.09	11.48
	ट्राउजर पी.वी.बी.जी.	948.31	903.16	760	-4.76	19.86	15.85
	कोट सी.डी.	2005.06	1864.42	1410	-7.01	29.68	24.37
	स्टिट शर्ट सी.वी.एस.बी.एस.	563.42	518.57	415	-7.96	26.34	19.97
	ब्रेक पैराशूट एस.यू. 30	100598.48	104394.39	94650	3.77	5.91	9.33
	ब्रेक पैराशूट एम.आई.जी. 23	29681.25	30246.61	24730	1.9	16.68	18.24
	पैराशूट पी.टी.ए.एम.	71211.15	74753.82	61060	4.97	14.26	18.32
	पैराशूट पी.टी.ए.आर.	41692.03	45269.21	32310	8.58	22.5	28.63
2009-10	सामरिक आक्रमण पैरा	45196.15	44965.51	38500	-0.51	14.82	14.38
	ट्राउजर पी.वी.बी.जी.	1073.63	1006.35	905	-6.27	15.71	10.07
	स्टिट शर्ट पी.वी. एस.बी.एस.	640.31	589.62	500	-7.92	21.91	15.2
	कोट सी.डी.	2104.69	2306.87	1660	9.61	21.13	28.04
	ब्रेक पैराशूट एम.आई.जी. 21	26209.6	24850.76	23410	-5.18	10.68	5.8
2010-11	पी.टी.ए- एम.	84333.61	91036.96	77870	7.95	7.66	14.46
	सामरिक आक्रमण पैराशूट	48241.16	52935.98	44200	9.73	8.38	16.5
	स्टिट शर्ट पी.वी. एस.बी.एस.	693.28	609.8	550	-12.04	20.67	9.81
	ब्रेक पैराशूट एम.आई.जी.	26550.9	27498.53	24500	3.57	7.72	10.9
	ब्रेक पैराशूट एम.आई.जी. 23	35154.23	32129.86	31900	-8.6	9.26	0.72
2011-12	जैकेट सी.डी. थल सेना लोगो	1371.40	1352.72	1231	-1.36	10.24	9.00
	टेंट 2 एम.	39786.98	36604.58	35845	-8.00	9.91	2.08
	पी.टी.ए-एम.	97046.00	90738.81	84334	-6.50	13.10	7.06
	पैराशूट पी.टी.ए.आर.	56936.56	51766.42	48241	-9.08	15.27	6.81
	ब्रेक पैराशूट. एम.आई.जी. -29	57141.09	51526.95	50085	-9.83	12.35	2.80
	ब्रेक पैराशूट. एस.यू.30	129802.83	127563.19	116255	-1.73	10.44	8.86
फैक्ट्री : ओ.सी.एफ. शाहजहॉपुर							
2008-09	बैरक कम्बल एन.जी.	793.97	864.32	548	8.86	30.98	36.6
	ऊनी जर्सी वी नेक ओ.जी.	572.95	606.59	458	5.87	20.06	24.5
	शेल आउटर पारका	2248.42	2297.84	1570	2.2	30.17	31.67
	दरी	501.87	538.72	369	7.34	26.47	31.5
	पुरूषों के लिए शर्ट ए.डी.	611.77	622.11	554	1.69	9.44	10.95
	नीला कम्बल	1707.56	1536.2	1220	-10.04	28.55	20.58
	कोट सी.डी.	1951.46	1807.01	1410	-7.4	27.75	21.97
	पुरूषों के लिए पारका	3460.58	3177.39	2718	-8.18	21.46	14.46
	सूट टेरीवूल बी.जी..	3842.74	3530.64	2880	-8.12	25.05	18.43

वर्ष	मद	अनुमानित लागत (ई.सी.) (₹)	वास्तविक लागत (ए.सी.) (₹)	निर्गम मूल्य (आई.पी.) (₹)	ई.सी. एवं ए.सी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ई.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ए.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत
2009-10	शर्ट पी.वी.डी.डी.ओ.जी.	728.12	807.87	625	10.95	14.16	22.64
	वैरक कम्बल एन.जी.	1010.69	1090.87	750	7.93	25.79	31.25
	पुरूषों के लिए शर्ट ए.डी.पी.डब्ल्यू.	797.85	849.69	665	6.5	16.65	21.74
	शर्ट पी.डब्ल्यू.पी.वी. डी.डी. ओ.जी.	636.98	726.9	560	14.12	12.09	22.96
	कोट सी.डी.	2280.76	3203.51	1660	40.46	27.22	48.18
	पुरूषों के लिए टोपी युक्त जैकेट	4210.56	5885.18	3620	39.77	14.03	38.49
	टेरीबूल सूट बी.जी.	4407.68	6149.45	3700	39.52	16.06	39.83
	टोपी एफ.एस.बी.जी.	400.85	548.05	332	36.72	17.18	39.42
	पुरूषों के लिए शर्ट ए.डी.पी.डब्ल्यू. (वायु सेना)	800.38	1128.48	665	40.99	16.91	41.07
2010-11	कमीज पी.वी.डी.डी. ओ.जी.	765.9	817.14	724	6.69	5.47	11.4
	बैरक कम्बल एन.जी.	952.75	1034.38	865	8.57	9.21	16.38
	ऊनी जर्सी वी नेक ओ.जी.	1371.69	1425.65	1100	3.93	19.81	22.84
	शर्ट पी.डब्ल्यू.पी.वी.डी.डी. ओ.जी.	669.98	708.61	608	5.77	9.25	14.2
	वायु सेना हेतु नीला कम्बल	2019.65	2116.83	1650	4.81	18.3	22.05
	टेरीवूल सूट वी.जी.	4898.47	4850.41	4000	-0.98	18.34	17.53
	टोपी एफ.एस.बी.जी.	435.1	422.46	360	-2.91	17.26	14.78
	ऊनी जर्सी डार्क बी.जी.	1275.39	1340	1030	5.07	19.24	23.13
2011-12	कोट सी.डी.	5343.61	4818.96	4305	-9.82	19.44	10.67
	बैरक कम्बल एन.जी.	1184.44	1152.05	943	-2.73	20.38	18.15
	ऊनी जर्सी वी.नेक ओ.सी.	1630.64	1587.32	1200	-2.66	26.41	24.40
	शर्ट पी.वी.डी.डी.ओ.जी.	856.30	838.45	663	-2.08	22.57	20.93
	टेरीवूल सूट बी.जी.	6026.41	4381.62	4360	-27.29	27.65	0.49
	वायु सेना हेतु नीला कम्बल	2456.35	2258.25	1799	-8.06	26.76	20.34
फैक्ट्री: ओ.सी.एफ. अवाडी							
2008-09	250 जी.एस.एम. एफ.ए.एण्ड बी.डी.	1172.29	1083.63	904	-7.56	22.89	16.58
	जैकेट सी.डी.	1025.98	961.71	837	-6.26	18.42	12.97
	पुरूषों के लिए कमीज अगोंला पी.डब्ल्यू	687.36	694.69	586	1.07	14.75	15.65
	एस.डी. पैराशूट	7533.67	7415.85	6710	-1.56	10.93	9.52
	ओवर आल गहरा भूरा	1397.16	1416.55	1156	1.39	17.26	18.39
	शर्ट पी.वी. एल.वी. एफ. एस.	634.32	696.32	462	9.77	27.17	33.65
	ओवर आल कवायदी खाकी	966.61	1003.94	771	3.86	20.24	23.2
	खाकी पतलून पी.डब्ल्यू.पी.सी.	717.99	772	517	7.52	27.99	33.03
	शर्ट पी.वी. एल.जी.	599.6	664.31	459	10.79	23.45	30.91
	ओवर आल हरित खाकी	1184.15	1192.93	982	0.74	17.07	17.68
	निस्तारणीय शॉर्टस	191.34	190.54	89	-0.42	53.49	53.29
2009-10	250 जी.एस.एम.एफ.ए. एण्ड वी.डी.	1408.45	1485.7	1300	5.48	7.7	12.5
	जैकेट सी.डी.	1153.31	1217.58	1100	5.57	4.62	9.66
	पुरूषों के लिए अंगोला कमीज पी.डब्ल्यू	784.27	853.07	665	8.77	15.21	22.05
	एस.डी. पैराशूट	8627.52	8338.48	7880	-3.35	8.66	5.5

वर्ष	मद	अनुमानित लागत (ई.सी.) (₹)	वास्तविक लागत (ए.सी.) (₹)	निर्गम मूल्य (आई.पी.) (₹)	ई.सी. एवं ए.सी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ई.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत	ए.सी. एवं आई.पी. के मध्य भिन्नता का प्रतिशत
	ओवर आल डी.बी.	1597.23	1545.95	1390	-3.21	12.97	10.09
	शर्ट पी.वी. एल.बी.एफ. एस.	716.37	692.3	591	-3.36	17.5	14.63
	शर्ट पी.वी. एल.जी.	714.04	691.62	596	-3.14	16.53	13.83
2010-11	पुरूषों के लिए शर्ट अंगोला पी.डब्ल्यू	793.59	801.44	730	0.99	8.01	8.91
	शर्ट पी. डब्ल्यू. पॉली	669.83	666.27	608	-0.53	9.23	8.75
	ओवर आल डीप ब्राउन	1530.04	1647.57	1460	7.68	4.58	11.38
2011-12	ट्राउजर सी.डी.	1810.26	1728.95	1466	-4.49	19.02	15.21
	जैकेट सी.डी.	1549.94	1418.79	1231	-8.46	20.58	13.24
	ट्राउजर पी.डब्ल्यू.पी.वी. खाकी	992.99	877.12	774	-11.67	22.05	11.76
	पुरूषों के लिए कमीज अंगोला पी.डब्ल्यू	991.57	1026.84	796	3.56	19.72	22.48
	एस.डी. पैराशूट	9192.45	10899.06	9047	18.57	1.58	16.99
	ओवर आल डीप ब्राउन	1907.58	1817.73	1591	-4.71	16.60	12.47

स्रोतः -2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 के लिए आयुध निर्माणी संगठन के वार्षिक लेखे का खण्ड-।।

अनुलग्नक - VII

(पैराग्राफ 8.3 में संदर्भित)

दो फैक्ट्रियों में सर्वनिष्ठ मदों के लिए लागत भिन्नता के कारण अतिरिक्त व्यय

वर्ष	मद	फैक्ट्री	उत्पादन लागत (₹)	अंतर (₹)	उत्पादित मात्रा (सं.)	उच्च लागत के कारण अतिरिक्त व्यय (₹)
2008-09	इ.सी.ए.डी पैराशूट एस.डी 8.5 एम.	ओ.ई. एफ.एच.	6295.78		1854	
		ओ.सी.एफ.ए	7415.85	1120.07	8600	9632602
	टेंट 4 एम.	ओ.ई. एफ.सी.	23403.66		2300	
		ओ.पी.एफ	31204.32	7800.66	5000	39003300
2009-10	टेंट 2 एम.	ओ.ई. एफ.सी.	25360.96		3000	
		ओ.पी.एफ	29539.66	4178.7	9000	37608300
	टेंट 4 एम.	ओ.ई. एफ.एच.	6119.9		1671	
		ओ.ई. एफ.सी.	33684.95	27565.05	5361	147776233
	इ.सी.ए.डी पैराशूट एस.डी 8.5 एम.	ओ.सी.एफ.ए	8338.48		1723	
		ओ.ई. एफ.एच.	16608.25	8269.77	2073	17143233
	युद्ध विभेदक ट्राउजर	ओ.ई. एफ.एच.	891.8		95120	
		ओ.सी.एफ.ए	1485.7	593.9	276500	164213350
	युद्ध विभेदक जैकट	ओ.ई. एफ.एच.	677.91		95120	
		ओ.सी.एफ.ए	1217.58	539.67	276500	149218755
2010-11	टेंट 4 एम.	ओ.ई. एफ.सी.	38208.97		6732	
		ओ.ई. एफ.एच.	40360.85	2151.88	1029	2214285
	ट्राउजर पी वी डी डी ओ.जी.	ओ.ई. एफ.एच.	344.5		100000	
		ओ.सी.एफ.ए	817.14	472.64	421188	199070296
	युद्ध विभेदक ट्राउजर	ओ.सी.एफ.ए	1427.52		291000	
		ओ.ई. एफ.एच.	1592.15	164.63	100000	16463000
	इसीएडी पैराशूट एसडी 8.5 एम.	ओ.ई. एफ.एच.	7522.88		5000	
		ओ.सी.एफ.ए	8624.8	1101.92	4800	5289216
	फ्लाई आउटर 4 मी	ओ.सी.एफ.ए	6457.57		2424	
		ओ.ई. एफ.सी.	11983.91	5526.34	2318	12810056
2011-12	युद्धक जैकट	ओ.सी.एफ.ए	699.90		125000	
		ओ.ई. एफ.एच.	1418.79	718.89	289829	208355170
	टेंट का फ्लाई आउटर 4 एम.	ओ.ई. एफ.एच.	7810.11		5489	
		ओ.ई. एफ.सी.	13911.97	6101.86	7272	44372726
	मच्छरदानी	ओ.ई. एफ.सी.	376.96		16000	
		ओ.सी.एफ.एस	564.75	187.79	300	56337
	बैग़ किट यूनिवर्सल	ओ.ई. एफ.एच.	264.09		6000	
		ओ.ई. एफ.सी.	1182.39	918.30	1600	1469280
					योग	**1054696139**

स्त्रोत : आंकड़े, आयुध फैक्ट्रियों के वार्षिक लेखा से संकलित है।

शब्द-संक्षेप

परिशिष्ट - I

ए

ए ए टी एस	थलसेना उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल
एडीनल डी जी ओ एस (सी एन एण्ड ए)	अपर महानिदेशक आयुध सेवाएं (वस्त्र, आवश्यकता एवं प्रशासन)
ए डी आर डी ई	हवाई प्रदाय अनुसन्धान विकास संस्थान
ए एच एस पी	मोहर बन्द विवरण धारक प्राधिकरण
ए एम सी	वार्षिक अनुरक्षण संविदा
ए पी आर	वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा
ए टी एन	कार्यवाही टिप्पणी

बी

बी पी सी	थोक उत्पादन अनुमयता

सी

सी ए डी / सी ए एम	कम्प्यूटर सहाय्यित अभिकल्प/कम्प्यूटर सहाय्यित निर्माण
सी एफ ए	नियंत्रक वित्त एवं लेखा
सी एफ एफ	युद्धक अबाधित अवपात
सी जी डी ए	महानियंत्रक रक्षा लेखा
सी एन एण्ड ए	वस्त्रादिक, आवश्यकता एवं प्रशासन
सी एन सी	कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रित
सी ओ डी	केन्द्रीय आयुध डिपो
सी क्यू ए (टी एण्ड सी)	गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वस्त्रादिक)
सी क्यू ए (जी एस)	गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (सामान्य भण्डार)
सी आर पी एफ	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
सी एस टी	निविदाओं का तुलनात्मक विवरण
सी वी सी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग

डी

डी बी जी	गहरा नीला धूसर
डी डी जी ओ एस (जी(एस एण्ड सी)	उप महानिदेशक आयुध सेवाएं (सामान्य भंडार एवं वस्त्रादिक)
डी जी ओ एफ	महानिदेशक आयुध फैक्ट्रियाँ
डी जी ओ एस	महानिदेशक आयुध सेवाएं
डी जी क्यू ए	महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन
डी जी एस एण्ड डी	महानिदेशक आपूर्ति एवं निस्तारण
डी पी एम	रक्षा अधिप्राप्ति नियम, पुस्तक
डी वी एस	प्रत्यक्ष वल्कीकृत जूते

	ई
ई सी ए डी	आपातकालीन वायुवीय माल प्रदाय
ई सी सी	चरम सर्द स्थिति
	एफ
एफ एस	पूरी आस्तीन
	जी
जी एफ आर	सामान्य वित्तीय नियमावली
	एच
एच ए पी	उच्च स्थल पैराशूट
	आई
आई सी के	पैदल सेना युद्धक किट
आई ई	औद्योगिक कर्मचारी
आई एफ डी	अन्तर-फैक्ट्री माँग
	एल
एल ए ओ	स्थानीय लेखा कार्यालय
एल पी आर	पूर्व क्रय दर
एल टी ई	सीमित निविदा जाँच
	एम
एम सी ओ	सामग्री नियंत्रण कार्यालय
एम ई एन ए	बहुसंख्यक अवयव शुद्ध संयोजन
एम एच ए	गृह मंत्रालय
एम एम पी एम	सामग्री प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति नियमपुस्तक
	एन
एन ए बी एल	परीक्षण एवं परिमापन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड
	ओ
ओ सी एफ ए	आयुध वस्त्र फैक्ट्री अवाडी
ओ सी एफ एस	आयुध वस्त्र फैक्ट्री शाहजहाँपुर
ओ ई	आयुध उपस्कर
ओ ई एफ एच क्यू	आयुध उपस्कर फैक्ट्री मुख्यालय
ओ ई एफ सी	आयुध उपस्कर फैक्ट्री कानपुर
ओ ई एफ जी	आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह
ओ ई एफ एच	आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर
ओ एफ बी	आयुध फैक्ट्री बोर्ड
ओ पी एफ	आयुध पैराशूट फैक्ट्री कानपुर
ओ टी	समयोपरि
ओ टी ई	खुली निविदा जाँच
	पी
पी ए सी	एकाधिकृत मद प्रमाण-पत्र
पी सी ए (फै)	प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ)

पी पी सी	नियोजन, उत्पादन एवं नियंत्रण
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पी टी ए (म)	सामरिक आक्रमण पैराशूट (मुख्य)
पी टी ए (आर)	सामरिक आक्रमण पैराशूट (सुरक्षित)
पी डब्लू पी सी ओ जी	पोली ऊन पालिस्टर सूती जैतूनी हरा
पी वी डी डी ओ जी	पॉली विसकॉस डोप रंजित जैतूनी हरा
	क्यू
क्यू ए	गुणवत्ता आश्वासन
क्यू सी एस	गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग
	आर
आर एफ आर	सुधार हेतु वापसी
	एस
एस डी पी आर	प्रावधान पुनरीक्षा हेतु स्थाई आदेश
एस एच आई एस	भण्डार धारक अनुपलब्धता पत्र
एस एम एच	मानक श्रम घण्टे
एस ओ पी	स्थाई प्रचालन प्रक्रिया
एस क्यू ए ई (जी एस)	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (सामान्य भण्डार)
एस क्यू ए ई (टी सी)	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (वस्त्रादिक)
एस टी ई	एकल निविदा जाँच
	टी
टी ई	निविदा जाँच
टी ई सी	तकनीकी मूल्यांकन समिति
टी ई एफ एस	फ्रेम सहाय्यित विस्तारणीय टेंट
टी पी सी	निविदा क्रय समिति
टी पी ओ	तिरपाल
	यू
यू ए आर	अपरिहार्य अस्वीकृति
यू एम एच	इकाई श्रम घण्टे
	डब्ल्यू
डब्ल्यू आई पी	चालू कार्य